सत्यमेव जयते

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2016-17

वन विभाग, राजस्थान

तत्कालीन उप वन संरक्षक चिड़ियाघर, जयपुर आकांक्षा चौधरी
माननीया मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजे को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए

माननीया मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजे नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर का
भ्रमण करते हुए

छाया सौजन्य : जगदीश गुप्ता

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2016-17

वन विभाग, राजस्थान

forest.rajasthan.gov.in

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
●	प्राक्कथन	iii
●	वन विभाग : एक नजर में	iv
●	विभाग के प्रमुख उद्देश्य एवं प्रबन्ध सिद्धान्त	v-vi
●	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की क्रियान्विती	vii-viii
●	वर्ष 2014–15 से 2016–17 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट	ix-xxi
●	नीतिगत दस्तावेज के संकल्पों (सुराज संकल्प–2014) की क्रियान्विति के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति	xxii-xxix
अध्याय		
1.	राजस्थान के वन संसाधन : एक परिचय	1–4
2.	प्रशासनिक तंत्र एवं कार्य प्रणाली	5–16
3.	वन सुरक्षा	17–20
4.	वानिकी विकास	21–51
5.	मृदा एवं जल संरक्षण	52–57
6.	मूल्यांकन एवं प्रबोधन	58–61
7.	वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबन्धन	62–68
8.	कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त	69–72
9.	वन अनुसंधान	73–76
10.	विभागीय कार्य योजना	77–79
11.	तेन्दू पत्ता योजना	80–81
12.	सूचना प्रौद्योगिकी	82–88
13.	मानव संसाधन विकास	89–91
14.	सम्मान एवं पुरुस्कार	92–94
15.	संचार एवं प्रसार	95–96
16.	सामाजिक, आर्थिक समृद्धि में वनों का योगदान एवं साझा वन प्रबन्ध	97–104
17.	राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता	105
18.	परिशिष्ट	106–121

सत्यमेव जयते

ए. के. गोयल
IFS
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,
जयपुर
फोन : 0141-2700016

प्राक्कथन

"वन से जल और जल से जीवन"। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए राज्य वन विभाग ने इस वर्ष न केवल पौधारोपण पर ही ध्यान दिया साथ ही स्थानीय स्तर पर जल की उपलब्धता बढ़ाने पर भी ठोस, परिणामात्मक व सार्थक कदम उठाए हैं।

राज्य के वन क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के उद्देश्य से इस वर्ष 57,103 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कर 371.17 लाख पौधे रोपित किए गए हैं। प्रदेश के अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर व रतनगढ़ में नगर वन उद्यान बनाए जाने के प्रस्ताव का स्टेट कैम्पा स्टीयरिंग कमेटी ने अनुमोदन कर दिया है। माननीया मुख्यमंत्री महोदया ने दिनांक 18 जनवरी, 2017 को सीकर में स्मृति वन का भी लोकार्पण कर इसे आम जनता के लिए खोल दिया है।

इस वर्ष मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के फेज प्रथम के अन्तर्गत 3529 गांवों में विभाग द्वारा 6634 कार्यों को सफलता पूर्वक पूर्ण कराया गया। अभियान के द्वितीय फेज में विभाग द्वारा 4200 गांवों में ₹ 320 करोड़ राशि के 18890 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। इस अभियान के माध्यम से ग्रामों को जल की उपलब्धता के क्रम में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया जा रहा है। योजना के प्रथम व द्वितीय चरणों में प्राप्त सफलता को ध्यान में रखते हुए 19 जिलों के लिए ₹ 15761.24 लाख की एक योजना नाबार्ड से स्वीकृत कराई गई है।

वन्यजीव संरक्षण की दिशा में भी इस वर्ष कतिपय महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास बसे 140 गांवों के निवासियों को वन-धन योजना के अन्तर्गत इस वर्ष वैकल्पिक रोजगार दिए जाने हेतु कौशल प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में नाहरगढ़ जैविक उद्यान का लोकार्पण माननीया मुख्यमंत्री महोदया ने 4 जून, 2016 को कर दिया है। रणथम्भौर, सरिस्का व मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के समीपवर्ती 16163 निवासियों को 100 प्रतिशत अनुदानित दरों पर गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं।

वन सुरक्षा, संवर्धन व संरक्षण के क्षेत्र में दक्ष मानव संसाधन का होना अत्यन्त आवश्यक है। इस वर्ष विभाग में 228 वनपालों तथा 1630 वनरक्षकों की भर्ती की गई है। मानव संसाधन विकास की दिशा में इस वर्ष एक अभिनव प्रयोग कर नवनियुक्त वनरक्षकों को पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों व सी.आर.पी.एफ. प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर में प्रशिक्षण दिलवाया गया है। पुलिस विभाग के सहयोग से इस वर्ष 1513 वनरक्षकों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाना संभव हो सका।

विभाग की इस वर्ष की गतिविधियों का लेखा-जोखा इस प्रतिवेदन में आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रतिवेदन को तैयार करने में विभाग के जिन अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों/पर्यटकों ने सामग्री व छाया के रूप में सहयोग उपलब्ध कराया है, उन सभी को साधुवाद !

मैं समझता हूँ यह प्रतिवेदन सभी संबंधित व्यक्तियों एवं वर्गों के लिए उपयोगी रहेगा।

(ए. के. गोयल)

वन विभाग : एक नजर में

प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	:	3,42,239 वर्ग किमी.
प्रदेश का कुल वन क्षेत्र	:	32,828.35 वर्ग किमी.
आरक्षित वन क्षेत्र	:	12,352.78 वर्ग किमी.
रक्षित वन क्षेत्र	:	18,408.85 वर्ग किमी.
अवर्गीकृत वन क्षेत्र	:	2,066.74 वर्ग किमी.
कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र	:	9.59
प्रदेश का कुल वनावरण (2015)	:	16,171 वर्ग किमी.
वृक्षावरण	:	8,269 वर्ग किमी.
वनावरण एवं वृक्षावरण	:	24,440 वर्ग किमी.
राज्य पशु	:	चिंकारा एवं ऊंट
राज्य पक्षी	:	गोडावण
राज्य वृक्ष	:	खेजड़ी
राज्य पुष्प	:	रोहिड़ा
राष्ट्रीय उद्यान	:	3
वन्य जीव अभयारण्य	:	26
बाघ परियोजनाएं	:	3 (रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स)
महत्त्वपूर्ण पक्षी स्थल	:	24
रामसर स्थल	:	2 (केवलादेव नेशनल पार्क एवं सांभर झील)
संरक्षित क्षेत्र (कंजर्वेशन रिजर्व)	:	10
कुल प्रादेशिक मण्डल	:	38
वन्य जीव मण्डल	:	16
विभागीय कार्य मण्डल	:	5
कार्य आयोजना अधिकारी	:	7
भू–संरक्षण अधिकारी	:	7
भारतीय वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	145
राज्य वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	429
अभियांत्रिकी सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	7
अधीनस्थ सेवा (स्वीकृत पद)	:	7,400
लेखा एवं तकनीकी संवर्ग	:	747
मंत्रालयिक संवर्ग/कार्मिक (स्वीकृत पद)	:	1000
चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	:	413
वर्क चार्ज कार्मिक	:	5,694
ग्राम्य वन सुरक्षा समितियां	:	6,186
स्वयं सहायता समूह	:	3,749

विभाग के प्रमुख उद्देश्य एवं प्रबन्ध सिद्धान्त

वन विभाग के उत्तरदायित्व :

राजस्थान प्रदेश में वन विभाग, राजस्थान को निम्न कार्य आवंटित हैं :

- प्रदेश के उपलब्ध वन क्षेत्रों का संरक्षण एवं विकास।
- प्रदेश के वन्य जीवों का रक्षित क्षेत्र एवं रक्षित क्षेत्र से बाहर संरक्षण एवं विकास।
- प्रदेश के जैव संसाधनों की सुरक्षा एवं विकास।
- मरु प्रसार नियंत्रण
- जलवायु परिवर्तन को वन संसाधनों से नियंत्रित करने का प्रयास करना।
- वन प्रबंध में सभी भागीदारों व स्थानीय समुदायों की सहभागिता प्राप्त करना तथा उन्हें प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ उपलब्ध कराना।
- सतत वन प्रबंधन
- पर्यावरण संतुलन के प्रयास करना।
- मृदा एवं जल संरक्षण
- वनों पर आधारित समुदायों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए क्षमता विकास एवं कौशल संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन।

लक्ष्य (Targets) :

राज्य वन नीति के अनुसार विभाग के आधारभूत लक्ष्य इस प्रकार हैं:–

- मानव समुदाय की पारिस्थितिकीय सुरक्षा के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता से राजस्थान के प्राकृतिक वनों की सुरक्षा, संरक्षण व विकास करना।
- इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं गैर काष्ठीय वन उपज की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में राज्य का हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजकीय एवं सामुदायिक भू–खंडों, निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि तथा गैर कृषि भूमि पर सघन वृक्षारोपण करना।
- वर्तमान व भावी पीढ़ी की मांगों की आपूर्ति के लिए सटीक प्रबन्धकीय उपायों व आधुनिक तकनीक के प्रयोग से वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना।
- मरुस्थलीय क्षेत्रों में शेल्टर बेल्ट, ब्लॉक वृक्षारोपण, टीबा स्थिरीकरण तथा कृषि वानिकी के माध्यम से मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण करना तथा सभी प्रकार की भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम करना।
- वन उपज विशेषकर गैर काष्ठीय वन उपज की प्रक्रिया, मूल्य संवर्धन तथा विपणन की उचित सुविधाओं का विकास कर आदिवासियों व अन्य वन आधारित समुदायों की आजीविका सम्बन्धी आवश्यकताओं की आपूर्ति करना एवं इस प्रकार उनकी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम करना।
- राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, 'कन्जर्वेशन रिजर्व' (संरक्षित क्षेत्र) तथा 'सामुदायिक रिजर्व' की संख्या में वृद्धि कर वानस्पतिक एवं वन्य जीवों तथा जीनपूल की विविधता को संरक्षित करना।
- जैव विविधता से समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों यथा तृणभूमि, ओरण, नम भूमि आदि में जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबन्ध के साथ–साथ राज्य में दुर्लभ व लुप्त प्रायः वनस्पति व वन्य जीव प्रजातियों का स्थानिक व बाह्य–स्थानिक उपायों से संरक्षण करना।
- वानिकी के सतत् प्रबन्धन के लिए साझा वन प्रबन्ध व्यवस्था के माध्यम से ग्राम समुदायों का सशक्तीकरण करना।
- वन उपज के श्रेष्ठतर उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा वनों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए शोध आधारित वानिकी को सशक्त करना।
- उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनाए जाने योग्य, शोध के परिणामों तथा प्रमाणिक तकनीकों का प्रसार व प्रसारण तथा कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अनुषंगी सेवाएं उपलब्ध कराना।
- वानिकी कार्मिकों, ग्रामीणों व अन्य महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारों की तकनीकी व व्यावसायिक दक्षता के उन्नयन हेतु जीवनवृत्ती नियोजन व विकास के सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से मानव संसाधन विकास का संस्थानीकरण करना।
- वन विभाग की कार्यप्रणाली में गहन सहभागी रणनीति का समावेश कर वन प्रबन्ध का उत्तरदायित्व पारम्परिक प्रबन्ध व्यवस्था के स्थान पर जन अनुकूल उपागमों पर हस्तान्तरित करना ताकि इसे महिलाओं की बढ़ती सहभागिता के साथ जन आन्दोलन बनाया जा सके।
- वन नीति का प्रमुख उद्देश्य हरित आवरण में वृद्धि कर पर्यावरणीय स्थिरता व पारिस्थितिक सुरक्षा करना।

वन प्रबन्ध के सिद्धान्त :

इन लक्ष्यों को निम्न व्यापक सिद्धान्तों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा :–

- मौजूदा वन क्षेत्रों में सभी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेपों/दावों से पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। इन वनों का सतत् प्रबन्धन कार्य/प्रबन्ध योजना के माध्यम से किया जाएगा।
- स्थानीय समुदायों की भूमिका वन प्रबन्ध के केन्द्र में रहेगी। वन आधारित समुदायों व अन्य भागीदारों की चिन्ताओं, आकांक्षाओं व आवश्यकताओं को एकीकृत करने के लिए सहभागी उपागम अपनाया जायेगा।
- संरक्षित क्षेत्रों व श्रेष्ठ वन्य जीव अधिवास क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्यों की अधिसूचना 'लैण्ड स्केप' आधार पर जन केन्द्रित उपागम अपनाकर पुनः जारी की जाएगी। ऐसे लघु क्षेत्र जिनमें अच्छे वन हों अथवा अधिवास हो तथा ऐसी शामलाती भूमि जहां वन्य जीवों की सघन उपलब्धता हो, को 'कम्यूनिटी रिजर्व' अथवा सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों का प्रबन्धन उस क्षेत्र हेतु अनुमोदित प्रबन्ध योजना के अनुरूप किया जा सकता है।
- वनारोपण व चरागाह विकास के माध्यम से अकाल नियंत्रण कार्य वानिकी के केन्द्र में रहेंगे।
- राज्य वन विभाग, राज्य की जनता के वनों का संरक्षक है किन्तु वन पारिस्थितिकी तंत्र, विलुप्त व विलुप्ति के कगार पर पाई जाने वाली जैव विविधता, जो कि सतत् जीवन व आजीविका अर्जन के लिए महत्त्वपूर्ण है, की रक्षा का दायित्व सभी पर समान रूप से है। किन्तु यदि किसी मामले में लोक अभिरुचि में ऐसा संरक्षण नहीं किया जा सके तो क्षेत्र की जनता जिस उत्पाद व सेवाओं से वंचित हो रही हो उसका मुआवजा ऐसी गतिविधि प्रस्तावित किए जाने वाले से मांगा जाना चाहिए।
- 'सेक्टोरल' नीति व कार्ययोजना में पर्यावरणीय चिन्ताओं का समावेश कर वनों के हित में राज्य के अन्य राजकीय विभागों व लोकतांत्रिक संस्थाओं से समन्वय किया जाएगा।
- एक पारदर्शी, उत्तरदायी व जवाबदेह तथा गम्भीर व समर्पित मानव शक्ति तथा पर्याप्त आधारभूत संरचना वाले वन प्रशासन पर बल दिया जायेगा।

रणनीति (Strategy) :

- राजकीय, सामुदायिक व निजी स्वामित्व वाले भू–खण्डों पर विस्तृत वनीकरण एवं चरागाह विकास कर राज्य का हरित आवरण 20% तक करना।
- वृक्षावली–वृक्षारोपण एवं टिब्बा स्थिरीकरण के माध्यम से मरु प्रसार की रोकथाम।
- जीव–जन्तुओं एवं वनस्पति का यथा–स्थान ***(in-situ)*** एवं बाह्य–स्थान ***(ex-situ)*** संरक्षण।
- कृषि वानिकी के माध्यम से गैर वनभूमि पर अधिकाधिक वृक्षों का रोपण।
- वन क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।
- उन्नत तकनीक अपनाना तथा कार्यालयों का आधुनिकीकरण।
- वन क्षेत्रों का कार्य योजना के अनुरूप प्रबन्धन व प्रबन्ध योजना तैयार कर परिपक्व वृक्षारोपण क्षेत्रों के विदोहन उपरान्त पुनः वृक्षारोपण।
- प्रकृति–पर्यटन स्थलों के चिह्नीकरण उपरान्त, विकसित कर उन्हें विरासत–पर्यटन के साथ जोड़ना।
- मानव संसाधन विकास एवं क्षमता व दक्षता अभिवृद्धि।
- साझा वन प्रबन्धन का संस्थानीकरण व महिला सशक्तीकरण।
- जन समुदाय को वानिकी विकास के साथ जोड़ना। वन सुरक्षा एवं संवर्धन में बड़े पैमाने पर जनसहभागिता उपागम अपनाना।
- ''प्रदूषण फैलाने वाला ही उसका मूल्य चुकाए'' के सिद्धान्त का अनुपालन।
- बहुउद्देशीय प्रजातियों के रोपण के माध्यम से अधिकाधिक सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना।
- वन उपज की मांग घटाने तथा स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ देते हुए उनकी आपूर्ति में वृद्धि करने की द्विमार्गी रणनीति अपनाना।
- नदी घाटी व बाढ़ सम्भाव्य नदियों के आवाह क्षेत्रों का सटीक मृदा व जल संरक्षण तकनीकों से उपचार तथा कन्दरा क्षेत्रों का सुधार।
- औरण व देव वनों को आवश्यक वित्तीय व विधिक सहयोग।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण वर्ष 2016 की क्रियान्विति की सूचना

क्र. संख्या	विभाग से सम्बन्धित अभिभाषण के बिन्दु	क्रियान्विति
145	सज्जनगढ़ बॉयोलोजिल पार्क को, इसमें पूर्व से निर्मित 21 एनक्लोजर्स में उदयपुर एवं अन्य जन्तुआलयों व वन्यजीवों को स्थानान्तरित कर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इसी वर्ष माचिया बॉयोलोजिकल पार्क, जोधपुर का कार्य भी पूर्ण हो चुका है तथा आमजन के उपयोगार्थ इसे खोला जा चुका है। जोधपुर में बिलाड़ा के खारा तथा ओसियां में रेस्क्यू सेंटर का निर्माण वर्ष 2015–16 में कराया जा रहा है।	सज्जनगढ़ बॉयोलोजिकल पार्क को दिनांक 12.04.2015 व माचिया बॉयोलोजिकल पार्क को दिनांक 21.01.2016 को आमजन के लिए खोला जा चुका है। वर्ष 2015–16 में जोधपुर में बिलाड़ा के खारा तथा ओसियां में रेस्क्यू सेंटर के निर्माण हेतु रुपये 12.00 लाख का आवंटन किया गया था। लेकिन उक्त कार्य हेतु उप वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा ₹ 2 करोड़ 15 लाख की राशि चाही गई थी, जो कैम्पा मद में उपलब्ध नहीं होने के कारण आवंटित नहीं की जा सकी। अत: उक्त जगह रेस्क्यू सेंटर का निर्माण नहीं कर ₹ 12.00 लाख समर्पित किये जा चुके हैं।
146	इसी वित्तीय वर्ष 2015–16 में रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाईगर रिजर्व, जवाई बांध कन्जरवेशन रिजर्व के समीपस्थ गांवों में स्थानीय लोगों को 50 प्रतिशत अनुदान पर 12 हजार गैस कनेक्शन दिये जा रहे हैं। अत्यधिक गर्मी के मौसम में वन्यजीवों के लिए पानी की व्यवस्था हेतु कैम्पा योजना के अन्तर्गत ₹ 8 करोड़ व्यय कर 80 जल संरक्षण संरचनाओं एवं गजलर्स का निर्माण कराया जा रहा है।	वर्ष 2015–16 में रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाईगर रिजर्व, जवाई बांध कन्जरवेशन रिजर्व के अधिनस्थ गांवों में स्थानीय लोगों को क्रमश: 4834, 5000 व 2000 कुल 11834 गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं। कैम्पा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में अत्यधिक गर्मी के मौसम में वन्यजीवों को पानी पिलाये जाने की व्यवस्था हेतु माह अप्रैल, 2016 से जून, 2016 तक राशि ₹ 100.00 लाख का प्रावधान रखा गया था, जिसमें से राशि ₹ 65.69 लाख का व्यय किया जा चुका है। एड हॉक कैम्पा से ₹ 49.36 करोड़ स्टेट कैम्पा में रिलीज नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2015–16 में जल संरक्षण संरचनाओं एवं गजलर्स का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका है वर्ष 2016–17 में संरक्षित क्षेत्रों में गजलर्स निर्माण हेतु राशि ₹95.00 लाख का आवंटन किया जाकर कार्य प्रगतिरत है।

क्र. संख्या	घोषणा	क्रियान्विति
147.	गत वर्षों में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2013 से 2015 की अवधि में उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किये गये विश्लेषण के अनुसार राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र में 85 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उदयपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बागदड़ा क्रोकोडाइल क्षेत्र को आमजन हेतु खोल दिया गया है। इसके अलावा पर्यटकों के भ्रमण हेतु विकसित की गई ईको–टूरिज्म साइटस यथा मेनाल एवं हमीरगढ़ (भीलवाड़ा), बस्सी एवं सीतामाता (चित्तौड़गढ़), सुन्डामाता (जालौर), गुढ़ाविश्नोईयान (जोधपुर), मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान एवं भैंसरोडगढ़ को पर्यटकों के लिए खोल दिया है।	क्रियान्विति की आवश्यकता नहीं है।

कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का विहंगम दृश्य

छाया : डी. के. भारद्वाज

वर्ष 2014-15 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

(माह दिसम्बर, 2016)

क्र. संख्या	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
1.	115.00	चूरू जिले में ₹ 1 करोड़ 73 लाख की लागत से नेचर पार्क की स्थापना की मैं घोषणा करती हूं।	वन मण्डल चूरू अधीनस्थ रक्षित वनखण्ड जी.एल.आई. के 22 हैक्टेयर क्षेत्र में नेचर पार्क विकसित करने हेतु वर्ष 2014-15 में राशि ₹ 71.40 लाख एवं 2015-16 हेतु राशि ₹ 101.60 लाख कुल ₹173.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.01.2015 को जारी की जा चुकी है। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 21.07.2015 से उक्त पार्क के विकास हेतु राशि ₹ 419.92 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति प्राप्त हुई। वर्ष 2016-17 में 185.50 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब तक कुल 778.42 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। पार्क में विकास कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:- ● नेचर पार्क जी.एल.आई. एरिया चूरू में पक्की दीवार एवं चैन लिंक फैंसिंग तथा नेचर ट्रेल आदि निर्माण हेतु RSRDC, Bikaner को वर्ष 2014-15 में ₹65.90 लाख की राशि स्थानान्तरित की गई तथा ₹5.50 लाख का साइट क्लीयरेंस का कार्य वर्ष 2014-15 में वन विभाग द्वारा पूर्ण कराया गया। ● वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा दीवार निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। 5800 पौधे रोपित किये गये। औषधीय पौधों का रोपण माह फरवरी, 2017 में किया जावेगा तथा कुल 2200 रनिंग मीटर दीवार निर्माण के विरुद्ध 1765 रनिंग मीटर पक्की दीवार 6 फीट ऊंचाई तक निर्मित। फ्रन्ट साइड में 100 मीटर दीवार निर्मित तथा जाली लगाने	प्रगतिरत	

(माह दिसम्बर, 2016)

क्र. संख्या	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
			का कार्य प्रगतिरत है। ● RSRDC द्वारा 3400 र.मी. ईको ट्रेल का निर्माण किया जा चुका है। वॉच टॉवर निर्माण कार्य पूर्ण तथा टॉप फ्लोर पर सिटिंग व्यवस्था, रेलिंग एवं शेड आदि लगाने का कार्य प्रगतिरत है। विभागीय स्तर पर योगा सेंटर, एक टांका एवं 4 हट्स निर्मित, अवशेष एक हट/रेस्ट प्लेस बनाने तथा नर्सरी जीर्णोद्धार का कार्य प्रगतिरत है। ● आर.एस.आर.डी.सी. बीकानेर द्वारा एंट्रीगेट, दीवार निर्माण, रेस्क्यू सेंटर निर्माण, पेयजल सुविधा, विजिटर्स एवं स्टाफ फैसिलिटीज आदि कार्य प्रगतिरत है। ● RSRDC, Bikaner के साथ किये गये ₹ 601.90 लाख के एम.ओ.यू. के विरुद्ध कुल राशि ₹ 265.90 लाख अग्रिम स्थानान्तरित किये गये। जिसके विरुद्ध RSRDC द्वारा माह दिसम्बर, 2016 तक कुल राशि ₹ 200.00 लाख व्यय किये गये तथा वन विभाग द्वारा 107.37 लाख व्यय किये गये। पार्क में अब तक ₹307.37 लाख व्यय हो चुका है।	प्रगतिरत	
2.	120.11.0	धौलपुर में वन विहार को विकसित किया जाएगा। इसके विकास कार्य के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।	उक्त घोषणा के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्य स्तर पर आर्किटैक्ट के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में मैसर्स आभा नारायण लाम्बा एसोसिएट, मुम्बई द्वारा सिविल वर्क के कार्य करवाये जाने हेतु राशि ₹ 267.93 लाख के प्राक्कलन एवं फिन्शिंग वर्क के राशि ₹ 227.87 लाख के प्राक्कलन प्रस्तुत किये गये हैं। उप वन संरक्षक, धौलपुर द्वारा भूमिगत	प्रगतिरत	

(माह दिसम्बर, 2016)

क्र. संख्या	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
			बिजली व्यवस्था की लाइन हेतु 80.00 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान बताया है तथा पानी की व्यवस्था हेतु 13.86 लाख रुपये व्यय होना दर्शाया है। उप वन संरक्षक, धौलपुर में वन विहार कोठी, धौलपुर के संधारण, जीर्णोद्धार एवं विकास हेतु उक्तानुसार कुल राशि ₹589.46 लाख की आवश्यकता बतायी है जिसके क्रम में राशि ₹ 436.62 लाख उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 7470 दिनांक 08.11.2016 एवं 8067 दिनांक 23.11.2016 द्वारा पर्यटन विभाग, राजस्थान को निवेदन किया गया है।		

(माह दिसम्बर, 2016)

बजट घोषणा वर्ष 2015-16

क्र. संख्या	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
1.	55	सवाईमाधोपुर पर्यटन सीजन में रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में निर्धारित Carrying Capacity से कई गुना अधिक पर्यटक रणथम्भौर भ्रमण हेतु आते हैं। बढ़ते हुए पर्यटक दवाब के दृष्टिगत रणथम्भौर टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र आमली वन खण्ड में एक टाईगर सफारी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।	• बाघ परियोजना रणथम्भौर के निकट आमली वन खण्ड में टाईगर सफारी की योजना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.01.2015 को स्वीकृत की गई। टाईगर सफारी की डी.पी.आर. के लिए कन्सलटेंट की सेवाएं लेने हेतु टेंडर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। डी.पी.आर. तैयार होने के पश्चात् टाईगर सफारी की डिजाईन का अनुमोदन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से प्राप्त किया जाएगा। • कन्सलटेंसी सेवाओं की अनुमानित लागत ₹ 200 लाख एवं परियोजना की अनुमानित लागत ₹133.65 करोड़ है। • टाईगर सफारी की बाहरी फैंसिंग का कार्य वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ कर 1 किमी. बाउण्ड्रीवॉल निर्मित की गई, जिस पर 48.02 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2016-17 हेतु राशि ₹ 300.00 लाख का प्रावधान स्वीकृत है। • केन्द्र सरकार के ई-समीक्षा पोर्टल पर इस प्रकरण (प्रकरण सं. CSC/RJ/129) के सम्बन्ध में यह टिप्पणी दी गई है कि वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस परियोजना की स्वीकृति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा नहीं दी जा सकती है।	प्रगतिरत	
2.	56	उदयपुर में एक नया बायोलॉजिकल पार्क तैयार हो चुका है। साथ ही जयपुर और जोधपुर में भी एक-एक	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क (बीछवाल) का मास्टर ले-आउट प्लान पत्रांक 317 दिनांक 22.02.2016 से अनुमोदन	प्रगतिरत	अप्रैल, 2018

(माह दिसम्बर, 2016)

क्र. संख्या	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
		बायोलॉजिकल पार्क का कार्य प्रगति पर है। अब मैं बीकानेर में ₹ 25 करोड़ की लागत से बीछवाल बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना करने की घोषणा करती हूं।	किया गया है। वर्ष 2015-16 में इसके प्राथमिक निर्माण हेतु सरकार ने ₹ 1.00 करोड़ की राशि आर.एस.आर.डी.सी. लिमिटेड को हस्तान्तरित की गई थी, जिसके विरुद्ध अब तक ₹ 65.50 लाख व्यय हो चुके हैं। वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमानों में इस हेतु राशि ₹ 50.00 लाख का प्रावधान स्वीकृत है। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क की बाउंड्री हेतु चैन लिंक लगाने की ईंट चिनाई कार्य 3500 रनिंग मीटर में से 2300 मीटर में किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। उक्त कार्य आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा किया जा रहा है। अनुमोदित मास्टर ले आउट प्लान के आधार पर तैयार की गई डी.पी.आर. की लागत ₹ 36.00 करोड़ है, जिसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव दिनांक 02.05.2016 को राज्य सरकार को प्रेषित किये गये। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 13.07.2016 द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति की जाकर पुन: संशोधित डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु पत्रांक 918 दिनांक 25.10.2016 द्वारा भिजवाई जा चुकी है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को पत्रांक 912 दिनांक 17.10.2016 द्वारा 20 एनक्लोजर्स की डिजाइन एवं ड्राईंग अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई है।		
3.	57	गत बजट में चूरू में नेचर पार्क बनाने की घोषणा की गयी थी, जिसके लिए ₹ 7 करोड़ की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवायी जाएगी।	वन मण्डल चूरू अधीनस्थ रक्षित वनखण्ड जी.एल.आई. के 22 हैक्टेयर क्षेत्र में नेचर पार्क विकसित करने हेतु वर्ष 2014-15 में राशि ₹ 71.40 लाख एवं 2015-16 हेतु राशि ₹ 101.60 लाख कुल ₹173.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.01.2015 को जारी की	प्रगतिरत	जून, 2018

(माह दिसम्बर, 2016)

क्र. संख्या	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
			जा चुकी है। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 21.07.2015 से उक्त पार्क के विकास हेतु राशि ₹ 419.92 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति प्राप्त हुई। वर्ष 2016-17 में 185.50 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब तक कुल 778.42 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। पार्क में विकास कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है :- प्रगतिरत अप्रैल, 2018 ● नेचर पार्क जी.एल. आई. एरिया चूरू में पक्की दीवार एवं चैन लिंक फैंसिंग तथा नेचर ट्रेल आदि निर्माण हेतु RSRDC, Bikaner को वर्ष 2014-15 में ₹ 65.90 लाख की राशि स्थानान्तरित की गई तथा ₹5.50 लाख का साइट क्लीयरेंस का कार्य वर्ष 2014-15 में वन विभाग द्वारा पूर्ण कराया गया। ● वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं आर. एस. आर. डी. सी. द्वारा दीवार निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। 5800 पौधे रोपित किये गये। औषधीय पौधों का रोपण माह फरवरी, 2017 में किया जावेगा तथा कुल 2200 रनिंग मीटर दीवार निर्माण के विरुद्ध 1765 रनिंग मीटर पक्की दीवार 6 फीट ऊंचाई तक निर्मित। फ्रन्ट साइड में 100 मीटर दीवार निर्मित तथा जाली लगाने का कार्य प्रगतिरत है। ● RSRDC द्वारा 3400 र.मी. ईको ट्रेल का निर्माण किया जा चुका है। वॉच टॉवर निर्माण कार्य पूर्ण तथा टॉप फ्लोर पर सिटिंग व्यवस्था, रेलिंग एवं शेड आदि लगाने का कार्य प्रगतिरत है। विभागीय स्तर पर योगासेंटर, एक टांका एवं 4 हट्स निर्मित,		

(माह दिसम्बर, 2016)

क्र. संख्या	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
			अवशेष एक हट/रेस्ट प्लेस बनाने तथा नर्सरी जीर्णोद्धार का कार्य प्रगतिरत है। ● आर.एस.आर.डी.सी. बीकानेर द्वारा एंट्रीगेट, दीवार निर्माण, रेस्क्यू सेंटर निर्माण, पेयजल सुविधा विजिटर्स एवं स्टाफ फेसिलिटीज आदि कार्य प्रगतिरत हैं। RSRDC, Bikaner के साथ किये गये ₹601.90 लाख के एम.ओ.यू. के विरुद्ध कुल राशि ₹ 265.90 लाख अग्रिम स्थानान्तरित किये गये। जिसके विरुद्ध RSRDC द्वारा माह दिसम्बर, 2016 तक कुल राशि ₹ 200.00 लाख व्यय किये गये तथा वन विभाग द्वारा 107.37 लाख व्यय किये गये। पार्क में अब तक ₹ 307.37 लाख व्यय हो चुका है।		
4.	58	जयपुर-पुष्कर बाईपास मुख्य मार्ग पर 20 हैक्टेयर क्षेत्र में हर्बल गार्डन तथा वन खंड नोलक्खा, जिला झालावाड़ में स्मृति वन विकसित किया जायेगा। इन कार्यों पर ₹ 2 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	● जयपुर-पुष्कर बाईपास मुख्य मार्ग पर अजमेर जिले में हर्बल गार्डन, बजट घोषणा के अनुरूप निर्माण का निर्धारित कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस पर माह मार्च, 2016 तक ₹ 31.00 लाख व्यय। अवशेष कार्य के लिए वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मद से वित्तीय राशि ₹11.00 लाख का बजट आवंटन कर दिया गया है। वर्षा ऋतु में औषधीय प्रजातियों के 5000 पौधों का रोपण कर दिया गया है। अन्य अवशेष कार्य प्रगति पर है। ● नोलक्खा स्मृति वन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा राशि ₹ 113.00 लाख का उपयोग किया जा चुका है।	क्रियान्वित	मार्च, 2017

(माह दिसम्बर, 2016)

क्र. संख्या	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
5.	59	वन क्षेत्र के निकट रहने वाले लोगों के विकास, उनकी वनों पर निर्भरता कम करने, रोजगार उपलब्ध करवाने, वन्य जीव तथा वनों की सुरक्षा के लिए वन धन योजना रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, माउण्ट आबू, कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य एवं जवाई Conservation reserve में Pilot basis पर लागू की जायेगी। इस हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 7 करोड़ 50 लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	वन धन योजना को राज्य सरकार के पत्रांक एफ3(1) वन/2015 दिनांक 12.08.2015 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। इस वर्ष हेतु आवंटित बजट राशि ₹ 252.23 लाख में से आर.एस.एल.डी.सी. को कौशल प्रशिक्षण हेतु राशि ₹157.00 लाख निजी निक्षेप खाते में स्थानान्तरित किये जा रहे हैं। दिनांक 06.11.2015 को आर.एस. एल. डी.सी. से रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण हेतु उक्त संस्थान एवं वन विभाग के मध्य एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हो गया है। संरक्षित क्षेत्रों के समीपस्थ 140 ग्रामों का चयन कर लिया गया है तथा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। माह मार्च, 2016 तक राशि ₹ 231.29 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2016-17 हेतु राशि ₹ 500.00 लाख का प्रावधान स्वीकृत है, जिसका आवंटन सम्बन्धित उप वन संरक्षकों को किया जा चुका है। माह दिसम्बर,2016 तक ₹ 62.03 लाख का व्यय हुआ है।	प्रगतिरत	
6.	60	रणथम्भौर, सरिस्का टाईगर रिजर्व तथा जवाई Leopard Conservation reserve की पेरीफरी में बसे गांवों में क्रमश: 5 हजार, 5 हजार एवं 2 हजार Gas connection जारी करने हेतु ₹ 2 करोड़ 25 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।	बजट घोषणा के अनुरूप क्रियान्वित गैस कनेक्शन लक्ष्य प्राप्ति रणथम्भौर 5000 4834 सरिस्का 5000 5000 जवाई कंजर्वेशन रिजर्व 2000 2000	क्रियान्वित	मार्च, 2016

(माह दिसम्बर, 2016)

क्र. संख्या	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
7.	335	पिछले वर्षों में वन विभाग द्वारा वनों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु वर्क फोर्स की कमी महसूस की जा रही है। इसको देखते हुए वन विभाग में वन रक्षक के 500 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा।	• वन रक्षकों के सृजित 500 पदों पर भर्ती की जा चुकी है।	क्रियान्वित	

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्य

एनीकट बड़कियाकल, बेगू

फेज–1 चित्तौड़गढ़

फेज–1 उदयपुर

बजट घोषणा वर्ष 2016-17

(माह दिसम्बर, 2016)

क्र. संख्या	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
1.	62.0.0	शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने हेतु राज्य में 'नगर वन उद्यान योजना' लागू की जाएगी। प्रथम चरण में जयपुर व अजमेर में कम से कम 20 हैक्टेयर भूमि पर नगर वन उद्यान विकसित किये जायेंगे, जिनमें स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष, औषधीय पौधे, जोगिंग ट्रैक एवं साइकिल ट्रैक आदि की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी। बजट बहस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जवाब दिनांक 14.03.2016 में कोटा शहर में चम्बल नदी के किनारे भदाना वन खण्ड की 30 हैक्टेयर भूमि पर एक नगर उद्यान विकसित किया जाएगा। इस उद्यान का विकास वन विभाग तथा UIT Kota के संयुक्त प्रयासों से किया जावेगा। जिस पर ₹ 5 करोड़ का व्यय अनुमानित है।	नगर वन उद्यान हेतु अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर व रतनगढ़ (चूरू) में वर्ष 2016-17 में नगर वन उद्यान बनाए जाने हेतु प्रस्तावों का अनुमोदन स्टेट कैम्पा स्टीयरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 14.09.2016 को किया जा चुका है तथा राशि रिलीज करने हेतु प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किये जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा ₹ 1.79 करोड़ रिलीज किये जा चुके हैं।	प्रक्रियाधीन	
2.	63.0.0	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत वन क्षेत्रों, वन्यजीव क्षेत्रों तथा गैर-वन क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने हेतु राज्य के 17 जिलों यथा अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक,	वित्त विभाग की उच्च स्तरीय समिति द्वारा योजना का अनुमोदन दिनांक 11.02.2016 को किया जा चुका है। नाबार्ड द्वारा पत्रांक NB.JAI/SPD/2549/RIDF-XXII (Rajasthan)/56th PSC/2016-17 Dated 22.08.2016 द्वारा राशि ₹ 157.61 करोड़ की नाबार्ड वित्त पोषित (Project for Development of Water	क्रियान्वित	

(माह दिसम्बर, 2016)

क्र. संख्या	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
		अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर एवं सिरोही में ₹157 करोड़ 61 लाख की लागत से विशेष परियोजना क्रियान्वित की जायेगी।	Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF-XXII, Phase-III-2016-17 to 2020-21 परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है। जिलों में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य हेतु अग्रिम मृदा कार्य प्रारम्भ करवाए जा रहे हैं।		
3.	64.0.0	राज्य में वन विकास एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु वर्ष 2016-17 में campa funds के माध्यम से ₹ 138 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु कैम्पा फण्ड के माध्यम से ₹ 138 करोड़ के विरुद्ध अब तक वर्ष 2016-17 में स्वीकृत कार्य कराए जाने हेतु कार्यकारी एजेंसियों को राशि ₹ 175.81 करोड़ का आवंटन किया जा चुका है।	क्रियान्वित	2016-17
4.	65.0.0	रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के बीच स्थित गांवों के निवासियों के लिए वर्तमान में प्रचलित पुनर्वास पैकेज की समीक्षा कर उसे तर्कसंगत बनाया जाएगा। यह पुनर्वास का पैकेज उन्हीं गांवों पर लागू होगा जो स्वेच्छा से अपने पुनर्वास की इच्छा व्यक्त करते हैं।	पुनर्वास पैकेज की समीक्षा हेतु दिनांक 2-3 मई, 2016 को विभाग स्तर पर बैठक आयोजित की गई है। बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार संशोधित ग्राम विस्थापन पैकेज 2016 तैयार की जाकर राज्य स्तरीय प्रबोधन समिति के समक्ष दिनांक 19.05.2016 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा आवश्यक बदलाव सुझाये गये हैं, जिसे सम्मिलित कर बैठक में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं।	प्रक्रियाधीन	
5.	65.01.0	टाईगर रिजर्व क्षेत्रों के निकटवर्ती गाँवों में नवीन कुकिंग गैस कनेक्शन हेतु वर्तमान में लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय है, जिसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की घोषणा। आगामी	टाईगर रिजर्व्स के निकटवर्ती ग्रामों में 40000 नवीन कु किंग गैस कनेक्शन 100 प्रतिशत अनुदान पर दिये जाने हेतु कैम्पा मद से राशि ₹ 20 करोड़ आवंटित कर दी गई है। रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में 15000, सरिस्का टाईगर रिजर्व में 15000 व मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व	प्रगतिरत	

(माह दिसम्बर, 2016)

क्र. संख्या	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
		वर्ष में ऐसे 40 हजार गैस कनेक्शन दिये जाने प्रस्तावित हैं।	में 10000 गैस कनेक्शन वितरण करने का लक्ष्य है। लाभार्थियों का चिह्नीकरण कर जिला रसद अधिकारियों के माध्यम से सम्बन्धित गैस एजेंसियों को लक्ष्य आवंटित किये जा रहे हैं। गैस कनेक्शन वितरित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.10.2016 को 'जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना (Fuel Wood Free Village Scheme) टाईगर रिजर्व क्षेत्रों हेतु गैस कनेक्शन वितरण की योजना' का अनुमोदन किया गया। माह दिसम्बर, 2016 तक सरिस्का में 12021, रणथम्भौर में 1142 एवं मुकन्दरा में 3000 गैस कनेक्शन दिये गये हैं।		
6.	66.0.0	Multiple Districts: Alwar, Bundi, Jhalawar, Kota रणथम्भौर टाईगर प्रोजेक्ट की सुरक्षा हेतु Special Tiger Protection Force (STPF) का गठन किया हुआ है। मैं अब सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर प्रोजेक्ट के लिए भी STPF के गठन की घोषणा। इन 2 नये STPF के लिए पुलिस की जगह Forest guard एवं Forest watcher नियुक्त किये जायेंगे, जिनकी भर्ती केवल प्रोजेक्ट से विस्थापित होने वाले गाँव, प्रोजेक्ट से सटे हुए गाँव और उनके buffer क्षेत्र में स्थित गाँवों के युवाओं में से होगी। इस हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।	सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में Special Tiger Protection Force (STPF) के गठन के लिए forest watchers की भर्ती प्रोजेक्ट से विस्थापित होने वाले गांव, प्रोजेक्ट से सटे हुए गांव और उनके बफर क्षेत्र में स्थित गांवों के युवाओं में से करने हेतु भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रगतिरत है। बजट घोषणा के अनुरूप सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में STPF के गठन हेतु कार्यवाही की जा रही है।	प्रक्रियाधीन	

(माह दिसम्बर, 2016)

क्र. संख्या	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
7.	341.0.0	Tiger reserve में वन्य जीवों का संरक्षण तथा इन क्षेत्रों में पर्यटन का विकास स्थानीय लोगों के रचनात्मक सहयोग से ही संभव है। स्थानीय समुदाय की उन्नति में पर्यटन उद्योग की भागीदारी के क्रम में प्रथम चरण में राज्य के रणथम्भौर एवं सरिस्का Tiger reserve के 10 किलोमीटर की परिधि में संचालित होटल, रिसोर्ट आदि पर Local conservation fees लागू किया जाना प्रस्तावित है। यह फीस tiger conservation foundation द्वारा वसूल की जाएगी और सम्बन्धित tiger reserve से लगते हुए गांवों में eco-development और स्थानीय समुदाय की उन्नति के लिए उपयोग में ली जायेगी।	रणथम्भौर एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व के 10 किमी. की परिधि में संचालित होटल, रिसोर्ट आदि पर Local conservation fees लागू करने हेतु राज्य स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।	प्रक्रियाधीन	
8.	411.00	विलायती बबूल से निर्मित कोयले के परिवहन को सरल बनाने के उद्देश्य से transit pass जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं decentralisation किया जावेगा।	राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक एफ15(33) फोरेस्ट/98 दिनांक 24.05.2016 से राजस्थान वन उपज (परिवहन) नियम 1957 के नियम 3 के उप नियम (1) के क्लॉज (।।) के प्रावधान अन्तर्गत सरलीकरण के आदेश पारित कर दिए गए हैं तथा राजस्व अधिकारियों को भी चारकोल के परिवहन परिपत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।	क्रियान्विति	

नीतिगत दस्तावेज के संकल्पों (सुराज संकल्प-2014) की क्रियान्विति के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति

(माह दिसम्बर, 2016)

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
1.	13.20	The Rajasthan Forest (Amendment) Bill 2012 में इस क्षेत्र के काश्तकारों/ ग्रामीणों के हितों के विपरीत लाए गए प्रावधानों को पुन: संशोधित किया जाएगा।	उक्त घोषणा की अनुपालना से राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2014 विधेयक पारित किया जाकर राजस्थान के राजपत्र दिनांक मार्च 4, 2014 में प्रकाशित किया जा चुका है।	क्रियान्वित
2.	15.01-(i)	राजकीय वन क्षेत्रों में परम्परागत उपज कैर-खींप की फली आदि को संरक्षण दिया जाएगा।	राजकीय वन क्षेत्रों में परम्परागत उपज कैर-खीप की फली आदि को संरक्षण देने के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राज. जयपुर के द्वारा परिपत्र क्रमांक 1303-1503 दिनांक 09.07.2014 जारी कर दिया गया है। उक्त परिपत्र की पालना में निम्न प्रगति रिपोर्ट है- 1. **संभाग बीकानेर :** बीकानेर संभाग के विभिन्न वन मण्डलों में फोग प्रजाति का 710 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 287000 र.मी. में बीजारोपण किया गया तथा खींप प्रजाति का 100 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। 2. **संभाग, जोधपुर :** जोधपुर संभाग के विभिन्न वन मण्डलों में फोग प्रजाति का 20284 र.मी. में बीजारोपण तथा खींप प्रजाति का 2809 र.मी. में बीजारोपण किया गया। 3. **संभाग जयपुर :** जयपुर संभाग में वन मण्डल झुंझुनूं में जाल प्रजाति का 12 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा बीजारोपण किया गया।	क्रियान्वित
	15.01- (ii)	ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य वन सहकारी समिति के गठन को उचित प्रोत्साहन एवं संरक्षण दिया जाएगा।	वर्तमान में वन क्षेत्रों में ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों तथा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय विकास समितियां वन/वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों के संरक्षण, संवर्धन, विकास एवं लाभांश के युक्तियुक्त वितरण हेतु ग्राम्य वन सहकारी समितियों	क्रियान्वित

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
			के रूप में कार्य कर रही है। इनके गठन को उचित प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राज. जयपुर के द्वारा परिपत्र क्रमांक 3174 दिनांक 11.08.2014 जारी कर दिया गया है।	
3.	15.02	''वनौषधि के लिए वन भूमि का पट्टा दिया जाएगा।''	वन क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से वनौषधि का उत्पादन होता है, जिसे वन सुरक्षा समितियों के सदस्यों द्वारा एकत्रित कर उपभोग किया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनौषधि उत्पादन हेतु वन भूमि का पट्टा दिया जाना प्रतिबन्धित है। केवल लघु वन उपज एकत्रीकरण के अधिकार दिये गये हैं।	सम्भव नहीं (नियमों में प्रावधान नहीं)
4.	15.04	राज्य के वन क्षेत्रों को प्रभावी रूप से आच्छादित करने हेतु परिणामजनक योजना बनाई जाएगी।	राज्य के वन क्षेत्रों को प्रभावी रूप से आच्छादित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013–14 में नाबार्ड के वित्तीय सहयोग हेतु प्राप्त करने हेतु Project For Development of Water Catchment Through Greening of Rajasthan Under RIDF - XIX (Phase-II) योजना प्रस्तावित की गयी। उक्त परियोजना राज्य के 17 जिलों यथा अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर व सिरोही (आबू तहसील को छोड़कर) में संचालित की जा रही है। उक्त परियोजना की अवधि वर्ष 2013–14 से 2018–19 है जिसमें भू–संरक्षण, साझा वन प्रबन्ध, क्षमता संवर्धन, प्रचार–प्रसार तथा प्रबोधन एवं मूल्यांकन के कार्य सम्मिलित किए गए हैं। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत राशि ₹282.49 करोड़ है। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित राशि ₹282.49 करोड़ की यह परियोजना राज्य सरकार से स्वीकृत कराकर क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2015–16 में 28400 हैक्टेयर में वृक्षारोपण पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2016–17 में 12600 हैक्टेयर वन क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	क्रियान्वित

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
5.	15.05	बाघ अभयारण्य से प्रभावित होकर विस्थापित होने वाले परिवारों को बसाने की योजना की समीक्षा कर उसे रोजगार, आवास एवं जीविकोपार्जन के स्थाई संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाएगी।	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.9.2015 को रणथम्भौर टाईगर रिजर्व के लिए ₹ 450.00 लाख एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व हेतु ₹ 1214.00 लाख की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। बाघ परियोजना क्षेत्रों से विस्थापित एवं विस्थापित होने वाले परिवारों से चर्चा कर विस्थापन स्थलों पर आधारभूत सुविधा, ढांचागत विकास एवं रोजगार के सम्बन्ध में मुख्यत: निम्न कार्यों को चिह्नित किया गया– 1. ट्रेनिंग : टेलरिंग, उन्नत कृषि, जैम कटिंग एवं कुटीर उद्योग। 2. ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम : स्टॉल फीडिंग, एनीमल होम्स हेतु ऋण, टीकाकरण, फर्टिलिटी कैम्प्स एवं पशुपालन प्रसार कार्यक्रम। 3. रोजगार : डेयरी, कियोस्क का आवंटन, खनन पट्टे का आवंटन 4. ढांचागत विकास : अप्रोच रोड, विद्युत एवं जल आपूर्ति, शिक्षा, सामुदायिक सुविधाएं। बजट प्रावधान हेतु पत्रावली राज्य सरकार को प्रेषित की गई है। जिस पर राज्य सरकार से दिनांक 15.01.2015 को प्राप्त एकल पत्रावली पर वित्त विभाग द्वारा टिप्पणी अंकित की गई है कि "AD is advised to put up proposals in BFC with detailed justifications" बी.एफ.सी. में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे, लेकिन उक्त कार्य हेतु प्रावधान स्वीकृत नहीं हुआ है। दिनांक 2 व 3 मई, 2016 को ग्राम विस्थापन पैकेज में संशोधन हेतु वर्कशॉप आयोजित की गई। वर्कशॉप में हुए विचार विमर्श के अनुसार संशोधित पैकेज तैयार किया गया जिसे राज्य स्तरीय प्रबोधन समिति द्वारा बैठक दिनांक 19.05.2016 में अनुमोदित किया राज्य सरकार से संशोधित पैकेज के अनुमोदन पश्चात् रोजगार,	

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
			आवास एवं जीविकोपार्जन के स्थाई संसाधन उपलब्ध कराने की योजना की स्वीकृति हेतु पुनः एकल पत्रावली राज्य सरकार को भिजवाई जावेगी।	
6.	15.06	National Parks तथा Sanctuaries के प्रभावी प्रबोधन (Monitoring) के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो समय-समय पर ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण कर इनके रख-रखाव तथा विकास के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देगी।	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) वन/98 पार्ट, जयपुर, दिनांक 05.07.2010 समसंख्यक पत्रांक दिनांक 15.12.2014 एवं दिनांक 29.12.2014 के द्वारा राज्य वन्यजीव मण्डल का पुनर्गठन किया जा चुका है।	क्रियान्वित
7.	15.08	वनवासी युवकों की वन संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी।	वनवासी युवकों की वन संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राज. जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक 3925-4020 दिनांक 11.09.2014 जारी कर दिया गया है। इस परिपत्र के द्वारा विभिन्न वन क्षेत्रों में गठित वन सुरक्षा समितियों/पारिस्थितिकीय विकास समितियों में युवकों को वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण कार्य से सक्रिय रूप से जोड़ने के निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, नेहरू युवा केन्द्र, भारत निर्माण क्लब, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. एवं विद्यालयों में स्थापित ईको-क्लब से सम्बद्ध युवकों की वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण कार्य में भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में उप वन संरक्षक, वन्यजीव उदयपुर द्वारा वन्यजीव गणना कार्य, वन एवं वन्यजीव सुरक्षा कार्य में वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों से वनवासी युवकों को कार्य पर लिया जा रहा है साथ ही बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ में भी वन्यजीव सुरक्षा कार्य पर वनवासी युवकों को कार्य पर लगाया गया है।	क्रियान्वित

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
8.	19.07	राज्य एवं पर्यावरण हित में पीपीपी मोड पर वनों के संरक्षण की नीति निर्धारित करना।	राज्य एवं पर्यावरण हित में पीपीपी मोड पर वनों के संरक्षण की नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय करार राज्य सरकार के स्तर से अनुमोदित कर दिया गया है। भारत सरकार से अनुमोदन अपेक्षित है।	प्रगतिरत
9.	19.13	सरकारी सड़कों एवं किसानों की खातेदारी भूमि की रिक्त भूमि पर सरकार द्वारा पेड़ लगाकर उसके संवर्धन, सुरक्षा एवं लाभ में किसानों को 50 प्रतिशत भागीदारी वाली योजना बनाई जाएगी।	उक्त सुराज संकल्प घोषणा के सम्बन्ध में हरित राजमार्ग नीति में दिये दिशानिर्देशों की पालना में यदि वन विभाग को सरकारी सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करने हेतु अधिकृत किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा दिये गये राज्यादेश अनुसार विभाग में प्रचलित साझा वन प्रबन्ध के (VFPMC/EDC) ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों अथवा पर्यावरण विकास समिति द्वारा कार्य करवाया जाना प्रचलित नियमानुसार प्रस्तावित किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत किये गये वृक्षारोपण के संवर्धन सुरक्षा एवं लाभ में स्थानीय किसानों/ग्राम्य वन सुरक्षा समिति के सदस्यों को न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ में भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। किसानों की खातेदारी भूमि की रिक्त भूमि के सम्बन्ध में परिभ्रांषित एवं वृक्षविहीन हुई वन भूमि को हरा–भरा करने में ग्रामवासियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी प्राप्त करने की योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000 में घोषित की जा चुकी है जिसमें किये गये वृक्षारोपण के संवर्धन सुरक्षा एवं लाभ में स्थानीय व्यक्तियों/किसानों/ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों को न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ में भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।	प्रगतिरत
10.	18.46	वैल्यू एडीशन (मूल्यवर्धन) एवं वनोपज आधारित उद्योगों को विशेष पैकेज दिया जाएगा।	राजस्थान में लघु वनोंपज आधारित लघु उद्योगों में उद्यमी लघु वन उपज को कच्चे माल की तरह प्रयोग करते हैं। खिलौना/हैण्डीक्राफ्ट बनाने के उद्योग में उपयोग में लाई जाने वाली लकड़ी भी संबंधित उद्यमियों द्वारा खुले बाजार से प्राप्त की जाती है तथा	क्रियान्वित

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
			बीड़ी बनाने के उपयोग में आवश्यक तेन्दू पत्ता भी लघु उद्यमी बाजार से क्रय करते हैं। अतः इन कार्यों के लिए वन विभाग द्वारा वेल्यू एडीशन (मूल्यवर्धन) एवं विशेष पैकेज दिए जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।	
11.	3.15	राज्य में पशुधन, कृषि व जनजीवन के लिए हानिकारक ज्यूलीफ्लोरा (कीकर) की प्रजातियों को प्रोत्साहित करने वाले कांग्रेस सरकार द्वारा पारित कानून की वैज्ञानिक समीक्षा कर समाधान निकाला जाएगा।	वर्तमान में वन विभाग में प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा (कीकर) रोपित करना अथवा प्रोसोपिस ज्यूलीफलोरा (कीकर) का बीजारोपण करना प्रतिबन्धित है। जयूलीफ्लोरा (कीकर) प्रजाति को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में कोई निर्देश भी जारी नहीं किये गये हैं। राजस्व अधिकारियों को प्रोसोपिस ज्युलीफ्लोरा से बने चारकोल के परिवहन पारपत्र (TP) जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।	क्रियान्वित
12.	23.8	विभिन्न विभागों के प्रबोधन हेतु निर्धारित मापदण्ड के विरुद्ध अर्जित उपलब्धियों का सत्यापन Third Party द्वारा कराये जाने की योजना बनाई जाएगी।	विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के विरुद्ध अर्जित उपलब्धियों का Third Party द्वारा सत्यापन कराये जाने के क्रम में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 के अन्तर्गत करवाये जा रहे कार्यों में से 109 कार्यस्थलों का मूल्यांकन स्वतंत्र निकाय सी–डेक नामक संस्था से करवा लिया गया है। विभाग में नाबार्ड परियोजनान्तर्गत विकास कार्य वर्ष 2012–13 से करवाये जा रहे हैं। इस योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों का मूल्यांकन, कार्य आरम्भ के तीन वर्ष पश्चात् कराया जाना है। अत: उक्त योजनान्तर्गत करवाये जा रहे कार्यों का मूल्यांकन, स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की कार्यवाही प्रगति पर है। कैम्पा योजनान्तर्गत करवाये जा रहे कार्यों का मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसी से करवाये जाने हेतु शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, जोधपुर का चयन किया जाकर कार्यादेश दिया जा चुका है एवं संबंधित संस्थान ने कार्य आरम्भ कर दिया है। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि विकास	प्रगतिरत

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
			योजनान्तर्गत विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य करवाये जा रहे हैं। उक्त योजना का नोडल विभाग कृषि विभाग है। उक्त नोडल विभाग अपने स्तर से इस योजना में करवाये गये कार्यों का स्वतंत्र एजेंसी से मूल्यांकन करवाता है। उक्त योजनाओं के साथ-साथ अन्य लघु योजनाओं के अन्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यों का भी मूल्यांकन, विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाइयों द्वारा निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ नियमित रूप से किया जा रहा है।	
13.	23.12	प्रत्येक विभाग के सहायतार्थ विषय विशेषज्ञों की सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, जिससे विभाग की योजनाएँ न केवल सही रूप से बन सके बल्कि उनका क्रियान्वयन भी प्रभावी रूप से जमीनी स्तर पर संभव हो सके।	इस प्रयोजनार्थ विभाग में पूर्व में ही विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञ समितियां/बोर्ड गठित हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (TREE) द्वारा अपने पत्र क्रमांक प.(5)अप्रमुवसं/परिसू/नीतिगत दस्तावेज/2680 दिनांक 10.11.2014 द्वारा राज्य सरकार को विभाग में वर्तमान में कार्यरत समितियों/बोर्ड की सूचना प्रेषित कर दी गई है।	क्रियान्वित
14.	2.16	ऊँट और मोर को राज्य धरोहर घोषित किया जायेगा। इसी प्रकार Great Indian Bustard एवं Siberian crane को भी राज्य धरोहर घोषित करने के लिए नीति निर्धारित की जायेगी।	ऊँट को पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य पशु घोषित कराया गया है। मोर राष्ट्रीय पक्षी एवं गोडावण राज्य पक्षी घोषित है। उक्त वन्यजीवों को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के शिड्यूल 1 में शामिल होने के कारण पूर्ण सुरक्षा एवं संरक्षण प्राप्त है। साइबेरियन क्रेन एक प्रवासी पक्षी है तथा गत कई वर्षों से राजस्थान में इसका आवागमन नहीं है, अत: इस पक्षी को राज्य धरोहर घोषित किया जाना उचित नहीं है।	क्रियान्वित
15.	3.13	पर्यावरण संरक्षण हेतु खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया जायेगा।	राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप-8) विभाग के क्रमांक एफ 11(33) राज. 8/77/जयपुर दिनांक 31.10.1983 द्वारा खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया जा चुका है।	क्रियान्वित

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
16.	1.19	राजस्थान की जलवायु की विषमता को देखते हुए कम पानी में पनप सकने वाले तथा ईंधन देने वाले पेड़ों यथा खेजड़ी एवं नर्सरी लगाने के कार्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा।	राजस्थान की जलवायु की विषमता को देखते हुए कम पानी में पनप सकने वाले तथा ईंधन देने वाले पेड़ों यथा खेजड़ी एवं नर्सरी लगाने के कार्यों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राज. जयपुर के द्वारा परिपत्र क्रमांक 7850–7950 दिनांक 10.02.2015 जारी कर दिया गया है। नर्सरियों में अधिकाधिक खेजड़ी के पौधों की तैयारी का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में खेजड़ी एवं रोहिड़ा के 25,90,000 पौधे तैयार किए गए, जिनका रोपण इसी वर्ष विभिन्न वृक्षारोपण कार्यों में किया जा रहा है।	क्रियान्वित

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में Sarus Crane, egrate, drongo & Bee Eaters

छाया : छोटू खान

प्रदेश का पक्षी सौन्दर्य

Red Avadavat

Egyptian Vulture

Common Kingfisher

Purple Swamphen

Asian Brown Flycatcher

Indian Vulture

Small Minivet

Pheasant-tailed Jacana

Baya Weaver

छाया : डी. के. भारद्वाज

1

राजस्थान के वन संसाधन : एक परिचय

23° 30' एवं 30° 11' उत्तरी अक्षांश तथा 69° 29′ एवं 78° 17' पूर्वी देशान्तर के मध्य, स्थित 3 करोड़ 42 लाख हैक्टेयर, भौगोलिक क्षेत्रफल पर विस्तृत राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.59 प्रतिशत भू–भाग पर वन हैं। राज्य का उत्तरी–पश्चिमी भाग मरुस्थलीय या अर्द्धमरुस्थलीय है जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है, यह भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। राज्य के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं यत्र–तत्र विद्यमान हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के मरुस्थलीय एवं गैर मरुस्थलीय भागों को अलग करती है।

राज्य के भौतिक प्रदेश (Physiographic Regions)

पश्चिमी मरुस्थल
अरावली पर्वतमाला क्षेत्र
पूर्वी मैदानी भाग
दक्षिणी–पूर्वी पठार

पारिस्थितिकीय तंत्र :

राज्य की जलवायु परिस्थितियों एवं वन–वनस्पति के आधार पर राज्य को निम्न चार मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्रों में बांटा गया है :–

मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्र (Major Ecosystems)

(i) मरुस्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र
- नहरी–सिंचित क्षेत्र
- असिंचित क्षेत्र
- लूणी बेसिन

(ii) अरावली पर्वत श्रृंखला पारिस्थितिकीय तंत्र
- उत्तरी अरावली प्रदेश
- मध्य अरावली प्रदेश
- दक्षिणी अरावली प्रदेश

(iii) पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकीय तंत्र
- बनास बेसिन

उदयपुर जिले के वन क्षेत्र का एक मनोरम दृश्य

छाया सौजन्य : ओ. पी. शर्मा

छाया : पी. सी. जैन

बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में अवस्थित बस्सी डैम

माही बेसिन
बाण गंगा बेसिन
साहिबी बेसिन
गम्भीरी बेसिन
वराह / बराह बेसिन

(iv) हाड़ौती पठार एवं कंदरा पारिस्थितिकीय तंत्र

चम्बल बेसिन
डांग क्षेत्र

भू-उपयोग :

राज्य के विभिन्न भागों में अलग–अलग प्रकार से भू–उपयोग हो रहा है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहाँ के लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। राज्य के विभिन्न भागों में अधिकांशतः भू–उपयोग, क्षेत्र में व्याप्त भूमि एवं जल स्रोतों की उपलब्धता तथा मानव द्वारा इनके उपयोग के लिये किये जा रहे प्रयासों पर निर्भर करते हुए अलग–अलग प्रकार से किया जा रहा है।

जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है वहाँ का अधिकांश भू–भाग कृषि जोत के नीचे है। दूसरी ओर उन क्षेत्रों में जहाँ की भूमि कम उपजाऊ है वहाँ पर कम जनसंख्या की उदर पूर्ति हेतु भी अधिक भू–भाग पर कृषि जोत की आवश्यकता रहती है। राज्य में वन, चारागाह एवं बंजर भूमि क्रमशः 9.59, 4.94 एवं 6.94 प्रतिशत है।

वन सम्पदा :

❑ वनों के प्रकार :

राजस्थान की विविधतापूर्ण एवं समृद्ध वन सम्पदा को वनस्पति के आधार पर ''एटलस फॉरेस्ट टाईप्स ऑफ इण्डिया, 2011'' में अग्रानुसार वर्गीकृत किया गया है:–

छाया सौजन्य : योगेन्द्र सिंह कालवी

घासीरामपुरा का पुराना वृक्षारोपण

FOREST TYPES

5A/C1a Very Dry Teak Forest
5A/C1b Dry Teak Forest
5A/C3 Southern Dry Mixed Deciduous Forest
5B/C2 Northern Dry Mixed Deciduous Forest
5/DS1 Dry Deciduous Scrub
5/DS2 Dry Savannah Forest
5/E1 *Anogeissus pendula* Forest
5/E1/DS1 *Anogeissus pendula* Scrub
5/E2 *Boswellia* Forest
5/E5 *Butea* Forest
5/E6 *Aegle* Forest
5/1S1 Dry Tropical Riverain Forest
5/1S2 Khair Sissu Forest
6B/C1 desert Thorn Forest
6B/C2 Ravine Thorn Forest
6B/DS1 *Zizyphus* Scrub
6/DS2 Tropical *Euphorbia* Scrub
6/E1 *Euphorbia* Scrub
6/E2 *Acacia senegal* Forest
6/E1S1 Desert Dune Scrub
Plantation / Tree Outside Forests (TOF)

Source : State of Forest Report 2015

❑ वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति

प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32828.35 वर्ग किमी. है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :–

क्र.सं.	वैधानिक स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	प्रतिशत
1.	आरक्षित वन (Reserved Forest)	12352.78	37.63
2.	रक्षित वन (Protected Forest)	18408.85	56.08
3.	अवर्गीकृत वन (Unclassed Forest)	2066.74	6.29
	कुल योग	**32828.37**	**100.00**

स्रोत : का.प्र.मु.व.सं. (का.आ.व.व.), राज

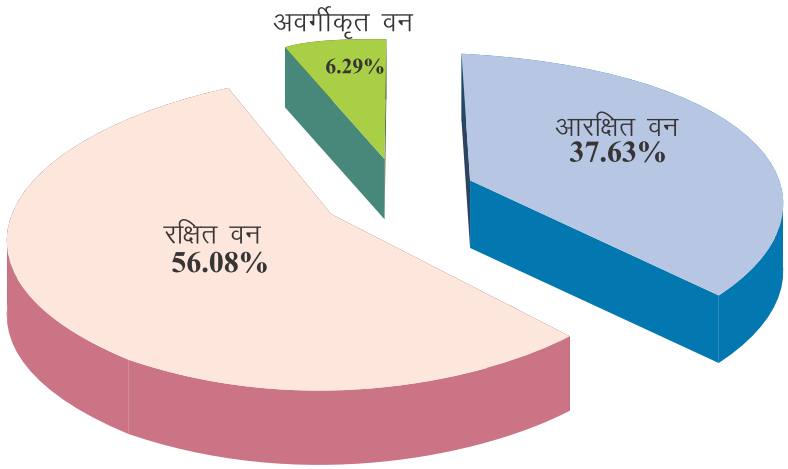

❑ प्रदेश का वानिकी परिदृश्य : एक दृष्टि में

- अभिलेखित वन (**Recorded Forests**) : 32,828.35 वर्ग किमी.
  - * राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष : 9.59 प्रतिशत
- वन आवरण (**Forest Cover**) : 16,171 वर्ग किमी.

(भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार)

ग्रीन वॉश के अन्तर्गत वनावरण

अत्यन्त सघन वन (छत्र घनत्व 70% से अधिक)	72 वर्ग कि.मी.
सामान्य सघन वन (छत्र घनत्व 40 से 70% तक)	3,969 वर्ग कि.मी.
खुले वन (छत्र घनत्व 10 से 40% तक)	7,833 वर्ग कि.मी.
योग	**11,874 वर्ग कि.मी.**

ग्रीन वॉश के बाहर वनावरण

अत्यन्त सघन वन	4 वर्ग कि.मी.
सामान्य सघन वन	457 वर्ग कि.मी.
खुले वन	3,836 वर्ग कि.मी.
योग	**4,297 वर्ग कि.मी.**
कुल वनावरण (Forest Cover)	**16,171 वर्ग कि.मी.**
वृक्षावरण (Tree Cover)	**8,269 वर्ग कि.मी.**
कुल वनावरण एवं वृक्षावरण (Total Forest Cover & Tree Cover)	24,440वर्ग कि.मी.
प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षावरण	0.036 है.
राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का	7.14%
भारत के वन एवं वृक्षावरण का	3.08%

राज्य में जिलेवार उपलब्ध वन क्षेत्र एवं वनावरण का विवरण परिशिष्ट 1 व 5 पर दृष्टव्य है।

2

प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली

सी. आर. पी. एफ. केन्द्र, अजमेर में प्रशिक्षण उपरांत 'पासिंग आउट' परेड़ छाया सौजन्य : वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर

वन प्रशासन :

वनों की प्रभावी सुरक्षा, संरक्षण एवं समुचित विकास की सुनिश्चितता के लिए एक सुदृढ़ एवं संवेदनशील, प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। विभाग के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की सफलता के लिए विभाग में पदस्थापित अधिकारियों एवं अधीनस्थ वनकर्मियों में समुचित कार्य विभाजन किया जाकर आयोजना निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के लिए अलग–अलग स्तर बनाए जाकर समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में वनकर्मियों की उपलब्धता, उनका प्रशिक्षित एवं दक्ष होना विशेष महत्त्व रखता है। सरकारी, सामुदायिक भूमि से मृदा के कटान को रोकने व जल का प्रभावी संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण करने तथा वनों के संरक्षण एवं विकास में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी मानसिकता वन अधिकारियों/कर्मचारियों में विकसित करने को दृष्टिगत रखते हुए विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित की गयी है। विभाग के प्रशासनिक तंत्र को कार्य की प्रकृति के अनुरूप मुख्यत: निम्न तीन स्तरों में विभक्त किया जा सकता है :

- **उच्च स्तरीय प्रशासन :**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स), राजस्थान, विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों, कार्य आयोजना तैयार करने, नदी घाटी एवं बाढ़ सम्भावित नदी परियोजनाएं, वन उत्पादन, तेन्दूपत्ता संबंधी कार्यों का स्वतंत्र रूप से देख–रेख एवं प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) प्रदेश में विकास, वन सुरक्षा, प्रशिक्षण, शोध, शिक्षा तथा प्रसार के साथ–साथ

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य भी देख रहे हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर द्वारा प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों की देखरेख एवं नियंत्रण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

छाया सौजन्य : नीतिन

वन्य जीव गणना के दौरान जल बिन्दु पर जल पीते लंगूर

प्रधान मुख्य वन संरक्षकगणों को दायित्व निर्वहन में सहयोग प्रदान करने एवं विशिष्ट योजनाओं की सुचारु क्रियान्विति के लिए राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं। वन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं, गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु राज्यादेश दिनांक 24.06.2016 से अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगणों को विभिन्न वृत्त क्षेत्रों के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, वन्य जीव प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं।

• मध्यम स्तरीय प्रशासन :

मध्यम स्तरीय वन प्रशासन को राजस्व प्रशासन के अनुरूप बनाया गया है। वन संभाग एवं राजस्व संभाग में बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए संभागीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षकों के पद सृजित किए गये हैं। दिनांक 02.01.2014 से सभी संभागीय मुख्य वन संरक्षकों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) के नियंत्रण में किया गया है। राज्य के सभी सातों क्षेत्रीय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों का कार्य क्षेत्र राजस्व संभागों के अनुरूप है।

इन सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक–एक वन संरक्षक का पद भी है। सम्भाग स्तर पर कार्यरत वन संरक्षक कार्यालयों का सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में विलयन किया जा चुका है। ये वन संरक्षक, सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में वरिष्ठतम सहयोगी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनके कर्तव्यों का निर्धारण पृथक् से कर दिया गया है। ये वन संरक्षक, जिला वन विकास अभिकरणों के अध्यक्ष के कार्य के साथ–साथ सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रत्येक संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में एक–एक कार्य आयोजना अधिकारी का पद सृजित किया गया है इनके द्वारा संबंधित संभाग के विभिन्न वन मण्डलों की कार्य योजना तैयार की जाएगी। ये अधिकारी कार्य आयोजना सम्बन्धी कार्य का निष्पादन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त) के नियंत्रण व निर्देशों के अनुरूप कर रहे हैं। भू–राजस्व का अभिलेख भी यही अधिकारी रखेंगे। इनमें से कार्य आयोजना अधिकारी के चार पद क्रमशः कोटा, जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर, भारतीय वन सेवा के तथा शेष तीन पद जोधपुर, भरतपुर व अजमेर राज्य वन सेवा के रखे गए हैं। प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए मुख्य वन संरक्षकों के अधीन उप वन संरक्षक (प्रशासन) तथा प्रत्येक संभाग के मूल्यांकन व प्रबोधन कार्यों के लिए एक पृथक् उप वन संरक्षक के नेतृत्व में पी. एण्ड एम. इकाई गठित की गई है। उप वन संरक्षक, मूल्यांकन एवं प्रबोधन अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई.) के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। विधि संबंधी कार्यों में सहायता हेतु प्रत्येक संभाग

में उप वन संरक्षक (विधि) का पद सृजित किया गया है।

इसी प्रकार वन्य जीव प्रबन्धन के लिये राज्य में पाँच मुख्य वन संरक्षक क्रमशः जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व जोधपुर में कार्यरत हैं।

प्रत्येक जिले में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं। प्रत्येक वन मण्डल में सामान्यतया दो उप खण्ड बनाए गए हैं। इन उप खण्डों में सहायक वन संरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। सामान्यतया एक उप खण्ड 3 से 4 रेंजों का है। उप खण्ड प्रभारी सहायक वन संरक्षकों के कार्य–दायित्व पृथक् से निर्धारित किए गये हैं। इस प्रणाली से वन एवं वन्य जीव सुरक्षा एवं प्रबन्धन कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण किया जा सकेगा। ये अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के साथ–साथ वानिकी विकास कार्यों का निष्पादन भी कराते हैं। प्रादेशिक वन मण्डलों के अतिरिक्त विभागीय कार्य योजना, वन्य जीव संरक्षण एवं विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक से आवश्यकतानुसार उप वन संरक्षकगण भी कार्यरत हैं।

• कार्यकारी स्तर :

वन मण्डल के अधीन सामान्यत: 5 से 7 वन रेंज (Forest Ranges) होती हैं। प्रत्येक रेंज के प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है। नाका प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होते हैं। प्रत्येक नाके का क्षेत्र बीट में बंटा होता है, जिसका प्रभारी वन रक्षक अथवा गेम वाचर होता है। 'बीट' वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है।

विशिष्ट योजनाओं/कार्यों के निष्पादन हेतु नाकों एवं बीट के स्थान पर कार्य स्थल प्रभारी पदस्थापन की व्यवस्था प्रचलित है।

वन सेवा :

प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों–कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वन सेवा का गठन किया जाकर भर्ती सम्बन्धी प्रत्येक सेवा के लिए विस्तृत एवं सुस्पष्ट सेवा नियम बनाये गये हैं। राज्य में विभिन्न वन सेवा संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति अग्रानुसार है:–

• भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service) :

भारतीय वन सेवा के राजस्थान संवर्ग में 145 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में राज्य में 88 अधिकारी विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं तथा 13 अधिकारी राज्य में ही विभाग से बाहर विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। भा.व.से. के 7 अधिकारी राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं, भारतीय वन सेवा के 8 अधिकारी सहायक वन संरक्षक के पद पर कार्यरत हैं तथा भारतीय वन सेवा के छः अधिकारी आदेशों की प्रतीक्षा में हैं। वर्तमान में भारतीय वन सेवा के स्वीकृत रिक्त पदों का विवरण (01–01–2017 की स्थिति अनुसार) इस प्रकार है:–

क्र. सं.	पद नाम	पद स्थापन का विवरण			रिक्त पद
		कैडर में पद	एक्स कैडर में	कुल पद	
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	2	2	4	1
2.	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	6	16	22	4
3.	मुख्य वन संरक्षक	21	14	35	19
4.	वन संरक्षक	16	7	23	9
5.	उप वन संरक्षक	44	8	52	13
	योग	**89**	**47**	**136**	**46**

चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारतीय वन सेवा के निम्न अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्रीमती सविता आनंद	30.9.2016
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी	30.09.2016
3.	श्री प्रताप सिंह छोलक	31.07.2016
4.	श्री वी.एस. बोहरा	31.05.2016
5.	श्री दयाराम सहारण	30.09.2016
6.	श्री लक्ष्मणलाल परमार	31.05.2016
7.	श्री करमाराम काला	31.05.2016
8.	श्री मुरारीलाल शर्मा	30.09.2016

• राजस्थान वन सेवा (Rajasthan Forest Service) :

राजस्थान वन सेवा में उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पद नाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	उप वन संरक्षक (हायर सुपर टाईम स्केल)	05	05
2.	उप वन संरक्षक (सुपर टाईम स्केल)	26	26
3.	उप वन संरक्षक (सलेक्शन स्केल)	52	52
4.	उप वन संरक्षक (सीनियर स्केल)	78	18
5.	सहायक वन संरक्षक (जूनियर स्केल)	268	129
	योग	**429**	**230**

• अभियांत्रिकी सेवा (Engineering Service) : –

विभाग में अभियांत्रिकी पदों का विवरण (01.01.2017 की स्थिति अनुसार) निम्नानुसार है :

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	अधिशासी अभियंता	4	1
2.	सहायक कृषि अभियंता	3	3
	योग	**7**	**4**

• राजपत्रित संवर्ग के विभिन्न अधिकारियों के स्वीकृत / रिक्त पदों का विवरण दिसम्बर, 2016 की स्थिति अनुसार:-

क्र.सं.	पद नाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	राजपत्रित संवर्ग में विभिन्न संवर्ग के अधिकारीगण	120	45

• वन अधीनस्थ सेवा (Forest Subordinate Service) :-

अधीनस्थ वन सेवा के क्षेत्रीय प्रथम, क्षेत्रीय द्वितीय, वनपाल, सहायक वनपाल तथा वन रक्षक के स्वीकृत पदों का विवरण दिसम्बर, 2016 की स्थिति अनुसार निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त पदों की संख्या
1.	क्षेत्रीय–प्रथम	258	57	201
2.	जू–अधीक्षक	01	–	1
3.	क्षेत्रीय–द्वितीय	451	339	112
4.	जू–सुपरवाइजर	4	1	3
5.	वनपाल	979	736	243
6.	सहायक वनपाल	1498	1262	236
7.	वनरक्षक	4467	3688	779
	योग	**7658**	**6083**	**1575**

• मंत्रालयिक सेवा

(Ministerial Service) :-

31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार मंत्रालयिक सेवा के कुल 1000 पद विभाग में स्वीकृत हैं जिनमें से 238 पद रिक्त चल रहे हैं।

• चतुर्थ श्रेणी संवर्ग :

31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार इस वर्ग के कुल 413 पद विभाग में स्वीकृत हैं जिनमें 36 पद रिक्त चल रहे हैं।

• लेखा एवं तकनीकी संवर्ग

(Accounts & Technical Service):-

विभाग में लेखा एवं तकनीकी संवर्ग के कुल 747 पद स्वीकृत हैं। 31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार इनमें से 250 पद रिक्त चल रहे हैं।

• वर्कचार्ज संवर्ग

(Work Charge Service) :-

विभाग में वर्तमान में 5694 कर्मकार वर्कचार्ज संवर्ग में कार्यरत हैं।

• विभाग में सीधी भर्ती से व अनुकम्पा नियुक्ति

विभाग में वर्ष 2015–16 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की अभिस्तावना पर राज्य सरकार द्वारा 38 सहायक वन संरक्षकों की नियुक्ति की गई है। जिनमें से 2 व्यक्तियों द्वारा त्याग पत्र दिया गया है तथा 2 व्यक्ति राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर पुनः अपने पूर्व विभाग में चले गए हैं। शेष 34 सहायक वन संरक्षक केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, कोयम्बटूर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

• विभाग में सीधी भर्ती नियुक्ति सम्बन्धी विवरण :

वर्ष 2015–16 में विभाग द्वारा वनपाल के 238 रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु दिनांक 26.10.15 को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है एवं वनरक्षक के 1800 रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु दिनांक 26.10.2015 को संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है। वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में दिनांक 31.12.2016 तक विभाग में वनपाल के 228 एवं वनरक्षक के 1630 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

• अनुकम्पात्मक नियुक्ति का विवरण :

01.01.2016 से 31.12.2016 तक सीधी भर्ती के पदों पर निम्नानुसार अनुकम्पात्मक नियुक्तियां दी गई हैं–

क्र.सं.	पदनाम	दी गई नियुक्तियों की संख्या	पद रिक्त नहीं होने से प्रकरण कार्मिक विभाग को भिजवाये गये
1.	कनिष्ठ लिपिक	20	–
2.	वनपाल	24	–
3.	वनरक्षक	16	–
4.	चालक	3	–
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	32	–
	योग	**95**	**8**

प्रशासनिक कार्य :

• पदोन्नति :

विभाग में अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक संवर्ग में वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में विभागाध्यक्ष स्तर पर निम्नानुसार पदोन्नतियां दी गई हैं–

क्र.सं.	पदनाम	दी गई पदोन्नतियों की संख्या	डी.पी.सी. वर्ष
1.	क्षेत्रीय वन अधिकारी–प्रथम	15	2016–17
2.	प्रशासनिक अधिकारी	3	2015–16
3.	क्षेत्रीय द्वितीय (वनपाल से)	46	2015–16
4.	कार्यालय अधीक्षक (कार्यालय सहायक से)	30	2015–16
5.	कार्यालय सहायक (वरिष्ठ लिपिक से)	85	2015–16
6.	वरिष्ठ लिपिक (कनिष्ठ लिपिक से)	42	2014–15
7.	निजी सचिव (वरिष्ठ निजी सहायक से)	1	2016–17

क्र.सं.	पदनाम	दी गई पदोन्नतियों की संख्या	डी.पी.सी. वर्ष
8.	निजी सहायक (आशुलिपिक से)	1	2015–16
9.	निरीक्षक	1	2015–16
10.	प्रारूपकार	1	2015–16
11.	अनुसंधान सहायक (साद.अव.कम.साद. विश्लेषक से)	1	2015–16
	योग	**226**	

वरिष्ठता सूचियों का वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में निम्नानुसार प्रकाशन किया गया है–

क्र.सं.	पदनाम	आदेश क्रमांक/दिनांक	विशेष विवरण
1.	वरिष्ठ निजी सहायक	895–911/सी दिनांक 3.5.2016	01.04.2016 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
2.	निजी सचिव	1495–1504/सी दिनांक 31.05.2016	01.04.2016 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
3.	निजी सहायक	4241–4305 सी/दिनांक 28.11.2016	01.04.2016 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
4.	आशुलिपिक	1099–1209/सी/दिनांक 13.05.2016	01.04.2016 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
5.	कार्यालय अधीक्षक	2139/सी/दिनांक 16.07.2015	01.04.2015 की स्थिति अनुसार प्रोविजनल वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
6.	कार्यालय सहायक	2719/सी/दिनांक 04.08.2015	01.04.2014 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
7.	वरिष्ठ लिपिक	32001/सी/दिनांक 28.09.2015	01.04.2014 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
8.	व. लि. कम स्वागतकर्ता	1547–1551/सी/ दिनांक 02.06.2016	01.04.2016 की स्थिति अनुसार प्रोविजनल वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
9.	कनिष्ठ लिपिक	1553–1663/सी/ दिनांक 03.06.2016	01.04.2015 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
10.	निरीक्षक	2872–2888/सी/ दिनांक 02.08.2016	01.04.2016 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
11.	अमीन	2848–2871/सी/ दिनांक 02.08.2016	01.04.2016 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
12.	ट्रेसर	2807–2847/सी/ दिनांक 02.08.2016	01.04.2016 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
13.	वनपाल	4307–4418/सी/ दिनांक 02.12.2016	01.04.2016 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
14.	प्रारूपकार	2793–2806/सी/ दिनांक 02.08.2016	01.04.2016 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	315/सी/दिनांक 21.01.2016	01.04.2015 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
16.	अनुसंधान सहायक	2269–79/सी/ दिनांक 16.07.2015	01.04.2015 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
17.	सर्वेयर/फील्डमेन	3–114/सी/ दिनांक 03.01.2017	01.04.2016 की स्थिति अनुसार प्रोविजनल वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
18.	साद अवलोकक कम विश्लेषक	2304–2309/सी/दिनांक 16.07.2015	01.04.2015 की स्थिति अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन

• विभागीय जांच एवं अपीलों का निस्तारण

वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक निस्तारित विभागीय जांच एवं अपील प्रकरणों का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	प्रकरण	वर्ष 2012–2013	वर्ष 2013–2014	वर्ष 2014–2015
1.	सीसीए 16 के प्रकरण	5	2	2
2.	सीसीए 17 के प्रकरण	1	1	1
3.	अपील प्रकरण	19	16	16

वर्ष 2016–17 (01.04.16 से 31.12.16 तक निस्तारित विभागीय जांच एवं अपील प्रकरण)

1. सीसीए 16 के अन्तर्गत 2 प्रकरण का निस्तारण किया गया।
2. सीसीए 17 के अन्तर्गत 1 प्रकरण का निस्तारण किया गया।
3. अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा लोकसेवकों को दिये गये दण्डों के विरुद्ध सीसीए नियम 23 के तहत अपीलीय अधिकारी के रूप में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा 10 अपील प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
4. सीसीए 16 के अन्तर्गत 3 अधिकारियों को आरोप पत्र वितरित कराये गये।

छाया : वन मण्डल, करौली

करौली वन मण्डल के एक पुराने वृक्षारोपण में पौधों में उल्लेखनीय बढ़त

• विधानसभा प्रश्न एवं आश्वासन

14वीं विधानसभा में वन विभाग को प्राप्त विधानसभा प्रश्नों की अद्यतन स्थिति (31.12.2016)

14वीं विधानसभा का प्रथम सत्र

प्रश्न का प्रकार	कुल प्राप्त	उत्तर प्रेषित	बकाया
तारांकित प्रश्न	9	9	0
अतारांकित प्रश्न	18	18	0
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/विशेष उल्लेख प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव	2	2	0
अत: सत्र काल	1	1	0
आश्वासन	0	0	0
योग	**30**	**30**	**0**

14वीं विधानसभा का द्वितीय सत्र

प्रश्न का प्रकार	कुल प्राप्त	उत्तर प्रेषित	बकाया
तारांकित प्रश्न	59	59	0
अतारांकित प्रश्न	44	44	0
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/विशेष उल्लेख प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव	16	16	0
अत: सत्र काल	1	1	0
आश्वासन	4	3	1
योग	**124**	**123**	**1**

14वीं विधानसभा का तृतीय सत्र

प्रश्न का प्रकार	कुल प्राप्त	उत्तर प्रेषित	बकाया
तारांकित प्रश्न	0	0	0
अतारांकित प्रश्न	0	0	0
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/विशेष उल्लेख प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव	3	3	0
अत: सत्र काल	0	0	0
आश्वासन	0	0	0
योग	**3**	**3**	**0**

14वीं विधानसभा का पंचम सत्र

प्रश्न का प्रकार	कुल प्राप्त	उत्तर प्रेषित	बकाया
तारांकित प्रश्न	12	12	0
अतारांकित प्रश्न	15	15	0
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/विशेष उल्लेख प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव	2	2	0
अत: सत्र काल	0	0	0
आश्वासन	6	5	1
योग	**35**	**34**	**1**

14वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र

प्रश्न का प्रकार	कुल प्राप्त	उत्तर प्रेषित	बकाया
तारांकित प्रश्न	52	52	0
अतारांकित प्रश्न	54	54	0
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/विशेष उल्लेख प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव	19	19	0
अत: सत्र काल	1	1	0
आश्वासन	5	3	2
योग	**131**	**129**	**2**

14वीं विधानसभा का षष्टम सत्र

प्रश्न का प्रकार	कुल प्राप्त	उत्तर प्रेषित	बकाया
तारांकित प्रश्न	57	39	18
अतारांकित प्रश्न	72	37	35
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/विशेष उल्लेख प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव	15	6	9
अत: सत्र काल	0	0	0
आश्वासन	6	1	5
योग	**150**	**83**	**67**

कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर

छाया सौजन्य : बीजू जोय

14वीं विधानसभा का सप्तम सत्र

प्रश्न का प्रकार	कुल प्राप्त	उत्तर प्रेषित	बकाया
तारांकित प्रश्न	11	4	7
अतारांकित प्रश्न	31	3	28
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/विशेष उल्लेख प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव	0	0	0
अत: सत्र काल	1	0	1
आश्वासन	0	0	0
योग	**43**	**7**	**36**

नोट : – उक्त बकाया प्रश्नों में वह प्रश्न भी सम्मिलित हैं जो तैयार कर राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये हुए हैं।

❁ विधिक कार्य

विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार के विरुद्ध व राज्य सरकार की ओर से दायर सात हजार से अधिक प्रकरण लंबित हैं। इन प्रकरणों के प्रभावी नियंत्रण व प्रबोधन हेतु प्रकरणों की सूचना को संकलित/समेकित कराने तथा उनकी प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से 12 प्रपत्रों (Formats) को Litigation Information Tracking & Evaluation System (LITES) Website पर समय–समय पर अपडेट किया जाता है।

वन विभाग द्वारा अपने जिला स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं व मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को निरन्तर न्याय विभाग की वेबसाइट पर दर्ज कराया जा रहा है।

विभाग से संबंधित 4944 न्यायिक प्रकरणों में से वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 23, माननीय उच्च न्यायालय में 1499, ट्रिब्यूनल में 193 एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 3194 तथा अन्य न्यायालयों में 35 प्रकरण विचाराधीन हैं।

❁ ''सूचना का अधिकार'' संबंधित कार्य :

राज्य सरकार ने दिनांक 03.05.2007 के आदेश में दिनांक 5.5.2011 को आंशिक संशोधन कर शासन सचिवालय स्तर पर शासन उप सचिव, राज्य लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित किए गए हैं।

इस क्रम में विभाग ने दिनांक 12.04.2016 व 18.11.2016 को संशोधित आदेश जारी कर राज्य में 94 सहायक लोक सूचना अधिकारी, 94 लोक सूचना अधिकारी व 23 अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।

प्राप्त आवेदनों का निस्तारण

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों/अपीलों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	वर्ष	अप्रैल से मार्च तक की स्थिति	निस्तारण	लंबित
1.	2013–14	302	302	0
2.	2014–15	279	279	0
4.	1 अप्रैल, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की स्थिति	251	239	12

प्राप्त अपीलों का निस्तारण

क्र.सं.	वर्ष	अप्रैल से मार्च तक की स्थिति	निस्तारण	लंबित
1.	2013–14	9	9	–
2.	2014–15	8	8	–
3.	1 अप्रैल, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की स्थिति	29	28	1

प्राप्त आवेदनों का निस्तारण

वर्ष 2013–14 से 2014–15 व 2015–16 तक विभाग में प्राप्त आवेदन पत्रों/अपीलों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वर्ष	अप्रैल से मार्च तक की स्थिति	निस्तारण	लंबित
1.	2013–14	2611	2611	0
2.	2014–15	2192	2192	0
3.	2015–16	3340	3106	234

प्राप्त अपीलों का निस्तारण

क्र.सं.	वर्ष	अप्रैल से मार्च तक की स्थिति	निस्तारण	लंबित
1.	2013–14	212	212	0
2.	2014–15	229	229	0
3.	2015–16	277	255	22

स्मृति वन, सीकर का एक मनमोहक दृश्य

छाया सौजन्य : आर. के. हूडा

❁ श्रम अनुभाग सम्बन्धी न्यायालय कार्य की प्रगति

- श्रमिकों के विभिन्न न्यायालयों में 128 आदेश विभाग के पक्ष में तथा 37 आदेश विभाग के विरुद्ध प्राप्त हुए हैं।
- विभाग में विभिन्न न्यायालयों के आदेशों की पालना हेतु 38 प्रकरणों में राशि ₹ 31,94,361/– के भुगतान हेतु स्वीकृतियाँ प्राप्त की गईं।

❁ लेखा अनुभाग संबंधी प्रगति

गत तीन वित्तीय वर्षों में लेखा अनुभाग की विभिन्न प्रतिवेदनों एवं पैराज के निस्तारण की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	विवरण	01.4.2013 को बकाया		निस्तारण 2013–14		01.04.2014 को बकाया		निस्तारण 2014–15		1.4.2015 को बकाया		निस्तारण 2015–16		लम्बित 31.03.2016	
		प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा
1.	सीएजी प्रतिवेदन	1	10	2	15	1	1	2	7	2	2	3	13	1	2
2.	जनलेखा समिति	4	52	6	56	2	8	2	10	1	1	1	1	4	61
3.	ड्राफ्ट पैरा	–	–	–	5	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–
4.	तथ्यात्मक विवरण	–	–	–	6	–	–	–	2	–	–	–	2	–	1
5.	महालेखाकार के आक्षेप	425	1250	10	137	457	1464	96	257	361	1207	26	80	335	1127
6.	निरीक्षण विभाग	72	565	11	158	63	444	4	60	62	447	19	192	65	489

3

वन सुरक्षा

वन विभाग का एक प्रमुख कार्य मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना है। इसके लिए वन विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से विधि प्रवर्तन तथा अवैध खनन, अतिक्रमण, चराई, छंगाई, वन उपज की चोरी, तस्करी एवं वन्य जीव सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम करता है। वन संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियां इस प्रकार हैं :–

❁ गश्तीदलों का गठन :

वन क्षेत्रों में वन अपराधों पर नियंत्रण एवं इनकी रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही हेतु नियमित पदस्थापित स्टाफ के अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्त हेतु गश्तीदलों का गठन किया गया है। इन गश्तीदलों द्वारा आकस्मिक चैकिंग कर वन अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। विभाग में वर्तमान में कुल 10 गश्तीदल संभागीय एवं वन्यजीव मुख्य वन संरक्षकों के नियंत्रण अधीन कार्यरत है।

❁ वायरलैस प्रणाली :

वन क्षेत्रों में घटित होने वाले वन अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सशक्त सूचना सम्प्रेषण का माध्यम स्थापित किया जाना अतिआवश्यक है। सुदूरवर्ती वन नाके/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलेस सेट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में विभाग में लगभग 1010 वायरलेस सेट्स हैं जिनमें से फिक्स्ड सेट्स की संख्या 663, वाहनों पर मोबाइल सेट्स 58 तथा हैण्डसेट्स 289 हैं।

❁ वन कर्मियों को हथियार उपलब्ध कराना:

वर्तमान युग में वन अपराधी द्रुतगति वाले वाहनों एवं आधुनिक हथियारों का उपयोग करते हैं। इसका सामना करने हेतु विभाग में वर्तमान में 32 रिवॉल्वर एवं 62 डीबीबीएल गन वन कर्मियों को आत्मरक्षा एवं वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

❁ अतिक्रमण

वनभूमि से अतिक्रमियों को बेदखल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित सहायक वन संरक्षकों को भू–राजस्व अधिनियम की धारा–91 के अन्तर्गत तहसीलदार की समस्त शक्तियों एवं कर्तव्यों के प्रयोग हेतु अधिकृत किया गया है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत

राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य में गश्त करते वनकर्मी

छाया सौजन्य : वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर

नव नियुक्त वन कर्मियों को एक हाथ से एक मिनट में रायफल खोलना व लोड करने का प्रशिक्षण : सी.आर.पी.एफ. ट्रेनिंग सेन्टर, अजमेर

वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.09.2016 तक प्राप्त सूचना अनुसार वनभूमि पर कुल 8192 प्रकरण अतिक्रमण के दर्ज हैं जिनमें 9080.889 हैक्टेयर वन क्षेत्र शामिल था। इनमें से दिनांक 30.09.2016 तक प्राप्त सूचना अनुसार कुल 644 प्रकरणों का निस्तारण कर कुल 489.8106 हैक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया एवं बतौर मुआवजा राशि रुपये 38.82 लाख वसूल की गई है।

❋ अवैध कटान

राज्य में वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.09.2016 तक अवैध कटान के कुल 1974 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 616 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 57.69 लाख वसूल किया गया।

❋ अवैध चराई

राज्य में वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.09.2016 तक अवैध चराई के कुल 1403 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 736 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 19.53 लाख वसूल किया गया।

❋ अवैध खनन

राज्य में वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.09.2016 तक अवैध खनन के कुल 3262 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें से कुल 255 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 129.44 लाख वसूल किया गया।

❋ वन्यजीव अपराध

राज्य में वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.09.2016 तक वन्यजीव के कुल 1506 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 10 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 4.67 लाख वसूल किया गया।

❋ अन्य वन अपराध

राज्य में वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.09.2016 तक अन्य वन अपराध के कुल 1718 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 259 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 56.81 लाख वसूल किया गया।

❋ पेड़ों की छंगाई एवं शाखा तराशी

राज्य में वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.09.2016 तक पेड़ों की छंगाई एवं शाखा तराशी के कुल 292 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 109 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 5.25 लाख वसूल किया गया।

❋ सीमा चिह्नों की तोड़फोड़, परिवर्तन एवं विवरण

राज्य में वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 30.09.2016 तक सीमा चिह्नों की तोड़फोड़, परिवर्तन एवं विरूपण के कुल 38 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 1 प्रकरण निर्णित किया जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 0.41 लाख वसूल किया गया।

खनन कार्यों में काम में ली जा रही पॉकलैण्ड मशीन जब्त करते वनकर्मी। इस वर्ष करौली वन मण्डल में ऐसी अनेक मशीनें जब्त की गई हैं।

छाया सौजन्य : व. म., करौली

❋ अवैध परिवहन :-

राज्य में वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिनांक 30.09.2016 तक अवैध परिवहन के कुल 734 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 43 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 55.73 लाख वसूल किया गया।

❋ अवैध आरामशीन

राज्य में वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिनांक 30.09.2016 तक अवैध आरामशीन के कुल 1702 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 12 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 09.72 लाख वसूल किया गया। 905 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।

❋ अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों को वनाधिकार पत्र जारी करना :

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के तहत आदिवासियों द्वारा वनभूमि पर दिनांक 13.12.2005 से पूर्व किये गये कब्जों को अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अधिनियम की क्रियान्विति के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग नोडल विभाग है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत उप मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है जिसमें वन अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। वन अधिकारों की पहचान करने हेतु ग्रामसभाओं द्वारा ''वन अधिकार समितियां'' गठित की गई हैं जिनके द्वारा ग्रामसभाओं को प्रेषित दावों की छानबीन कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। उप मण्डल स्तरीय समिति के पास ग्रामसभाओं से प्राप्त प्रस्तावों का कमेटी द्वारा परीक्षण कर अपनी अभिशंषा जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की जाती है। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण कर वन अधिकार दिये जाने के बारे में निर्णय लिया जाता है।

प्रदेश में दिनांक 30.11.2016 तक कुल 71,267 दावे विभिन्न ग्राम सभाओं में प्राप्त हुए। इनमें से कुल 36,063 दावे ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत किये गये तथा 33,741 दावे स्वीकृति योग्य नहीं पाये जाने के कारण निरस्त किये गये। इस प्रकार कुल प्राप्त दावों 71,267 में से 69,804 दावे निर्णित किए जा चुके हैं। इनमें से 35,902 व्यक्तिगत अधिकार पत्र तथा 136 सामुदायिक अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं। 1463 दावे उप खण्ड स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति स्तर पर विचाराधीन हैं।

वन भूमि डायवर्जन

दिनांक 15.08.2014 से वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव भिजवाने की प्रक्रिया आरम्भ होने के कारण ऑफ लाइन व ऑन लाइन प्रकरणों की प्रगति निम्न तालिकाओं में पृथक्-पृथक् दृष्टव्य है। 31 दिसम्बर, 2016 तक कुल 6 ऑफ लाइन आवेदनों में तथा 19 ऑन लाइन आवेदनों में अन्तिम स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

छाया सौजन्य : व. म., करौली

तीन पोखर वृक्षारोपण में सुरक्षा हेतु निर्मित कैटलगार्ड हट

एफ.सी.ए. (1980) के अन्तर्गत 01.01.2017 को विचाराधीन प्रकरणों का विवरण : (ऑफ लाइन आवेदन)

क्र.सं.	विभाग का नाम	विचाराधीन प्रकरण						कुल विचाराधीन प्रकरणों की संख्या	ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हो चुकी है किन्तु अभी विचाराधीन	1 जनवरी, 16 से 31 दिसम्बर, 16 तक जारी अन्तिम स्वीकृति
		यूजर एजेन्सी	भारत सरकार	राजस्थान सरकार	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक			
1.	सिंचाई	17	3	0	0	0	0	20	15	1
2.	रक्षा	7	0	0	0	0	0	7	7	0
3.	औषधालय	1	0	0	0	0	0	1	0	0
4.	पेयजल	5	1	0	0	0	0	6	6	0
5.	शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना	3	0	0	0	0	0	3	1	0
6.	उद्योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	खनन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	अन्य	13	2	2	0	1	0	18	10	4
9.	भारतीय रेल	1	4	0	0	0	0	5	3	0
10.	सड़क (राष्ट्रीय राज मार्ग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग)	36	8	0	0	1	3	48	42	1
11.	पॉवर ग्रिड	0	1	1	0	0	0	2	2	0
12.	विद्युत प्रसारण निगम	7	1	0	0	1	0	9	6	0
	कुल	**90**	**20**	**3**	**0**	**3**	**3**	**119**	**92**	**6**

एफ.सी.ए. (1980) के अन्तर्गत 01.01.2017 को विचाराधीन प्रकरणों का विवरण : (ऑन लाइन आवेदन)

क्र.सं.	विभाग का नाम	विचाराधीन प्रकरण						कुल विचाराधीन प्रकरणों की संख्या	ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हो चुकी है किन्तु अभी विचाराधीन	1 जनवरी, 16 से 31 दिसम्बर, 16 तक जारी अन्तिम स्वीकृति
		यूजर एजेन्सी	भारत सरकार	राजस्थान सरकार	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक			
1.	सिंचाई	2	1	0	0	0	0	3	0	0
2.	रक्षा	2	1	0	1	0	0	4	0	0
3.	औषधालय	1	0	0	0	0	0	1	0	0
4.	पेयजल	18	1	1	0	0	1	21	3	0
5.	शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना	1	0	0	0	0	0	1	1	0
6.	उद्योग	3	0	0	1	0	0	4	0	0
7.	खनन	10	1	1	1	0	0	13	0	0
8.	अन्य	46	2	5	5	0	6	64	8	13
9.	भारतीय रेल	0	2	0	0	0	1	3	0	0
10.	सड़क (राष्ट्रीय राज मार्ग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग)	125	0	1	2	0	6	134	28	3
11.	पॉवर ग्रिड	2	0	0	0	0	0	2	0	0
12.	विद्युत प्रसारण निगम	15	4	0	0	3	6	28	3	3
	कुल	**223**	**11**	**8**	**10**	**3**	**20**	**275**	**43**	**19**

4

वानिकी विकास

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, किन्तु राज्य का 9.59 प्रतिशत भू–भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.70 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के सम्पूर्ण भू–भाग के 20 प्रतिशत भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बने रहने के साथ–साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सकें।

प्रदेश की विषम परिस्थितियों यथा दो–तिहाई मरुप्रदेश, शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा, वृक्षाच्छादित क्षेत्र की कमी एवं अत्यधिक जैविक दबाव के बावजूद वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्राकृतिक वनों की स्थिति को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं वन विकास के जरिये सुधारने की नितांत आवश्यकता है।

इसी के मद्देनजर विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक भू–भाग को वनाच्छादित किये जाने के उद्देश्य से वानिकी विकास को गति प्रदान की जा रही है। राज्य में वनीकरण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने दिनांक 23.10.2012 को एक आदेश प्रसारित कर वन भूमि, सार्वजनिक अथवा संस्थागत

छाया सौजन्य : व. म., झालावाड़

ग्राम रुपपुरा, बालोदिया (झालावाड़) में 67वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में पौधारोपण करते हुए प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे

भूमि पर वृक्षारोपण करने की इच्छुक शैक्षणिक संस्थाओं, राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं ट्रस्टों को मात्र एक रुपये प्रति पौधे की दर से पौधे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसी प्रकार उपरोक्त संस्थाओं तथा भारत स्काउट एवं गाइड, एन.सी.सी. द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण प्रस्ताव प्रेषित करने पर उन्हें कुछ शर्तों के अध्याधीन 1000 पौधे तक 1 रुपये प्रति पौधे की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। कोई संस्था या व्यक्ति विशेष क्षेत्र विशेष के स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करना चाहे तो उसे भी कतिपय शर्तों के अध्याधीन एक रुपये प्रति पौधा की दर से ही उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

प्रदेश में वन विभाग द्वारा कराये जा रहे वनारोपण, पौध वितरण, पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों का विस्तृत विवरण अग्रानुसार है:–

वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्य :–

विषम पारिस्थितिकीय तंत्रों की विद्यमान, प्रतिकूल जलवायु एवं दो–तिहाई क्षेत्र मरु भूमि होने के कारण प्रदेश में वानिकी विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में इस कार्यान्तर्गत वृक्ष विहीन पहाड़ियों पर पुनर्वनीकरण, परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना, पंचायत भूमि पर ईंधन वृक्षारोपण, प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों की उत्पादकता में संवृद्धि, उड़ती हुई रेत से नहर तंत्रों की सुरक्षा हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण, ब्लॉक, वृक्षारोपण, उड़ती हुई रेत से आबादी क्षेत्रों, उपजाऊ कृषि भूमि एवं ढांचागत विकास अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों की सुरक्षार्थ टिब्बा स्थिरीकरण, पशुओं के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक चारा उत्पादन हेतु चारागाह विकास का कार्य वृक्षारोपण कर किया जा रहा है। पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं वर्षा जल संग्रहण–संचयन एवं नमी संरक्षण हेतु उपयुक्त स्थलों पर जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाता है। निजी भूमि पर वृक्षाच्छादन अभिवृद्धि हेतु इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों को रोपण के लिए बहुउपयोगी वृक्ष प्रजातियों के वांछित आनुवंशिकीय गुणवत्ता युक्त पौधे परम्परागत पौधशालाओं व उन्नत प्रौद्योगिकी पौधशालाओं में तैयार किये जाकर कृषि वानिकी के तहत वितरित किये जाते हैं।

वर्ष 2013–14 से चालू वर्ष 2016–17 में बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों की स्थिति निम्नानुसार है :–

कार्य का विवरण	उपलब्धि			लक्ष्य	उपलब्धि
	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	(दिस., 16 तक)
बिन्दु सं. 51 (ए) पौधारोपण (हैक्टेयर)	67722	70423	70893.00	57103	66442
पौधारोपण (लाखों में) 51 (ब)	437.038	451.962	451.142	371.17	438.54

वन विकास की योजनाएँ

राज्य में वन विकास की कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वन विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त नाबार्ड एवं जापान इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई. सी.ए.), जापान से वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है।

• राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 जापान इन्टरनेशनल कॉ–ऑपरेशन एजेंसी (JICA) के वित्तीय सहयोग से राजस्थान राज्य के दस मरुस्थलीय जिले (सीकर, झुंझुनूं, चूरू, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर बीकानेर) एवं पांच गैर मरुस्थलीय जिले (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर) तथा सात वन्यजीव

छाया सौजन्य : व. म., करौली

पुराने वृक्षारोपण में पौधों में उल्लेखनीय वृद्धि

संरक्षित क्षेत्रों (कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, फुलवाड़ी की नाल वन्यजीव अभयारण्य, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य, सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य, रावली टाडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य) में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कुल 650 गांव (मरुस्थलीय जिलों में 363 गांव, गैर–मरुस्थलीय जिलों में 225 गांव व वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के दो किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में 62 गांव) को चिह्नित किया गया है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

''साझा वन प्रबंधन (JFM) की प्रक्रिया से कराये गये वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन–समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और इस प्रकार राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करना।''

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक चिह्नित गांव में तीन नये स्वयं सहायता समूहों का गठन करके अथवा पूर्व गठित समूहों के कौशल में वृद्धि करते हुए आजीविका संवर्धन एवं गरीबी उन्मूलन कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू–जल संरक्षण कार्य भी किये जायेंगे। ग्रामवासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि कोई कार्य परियोजना में नहीं कराया जा सकता है तो अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर उस कार्य को ग्राम के समग्र विकास हेतु करवाया जाने का प्रयास किया जा रहा है।

8 वर्षीय यह परियोजना 2011–12 में प्रारम्भ की गई थी। इस परियोजना की कुल लागत ₹ 1152.53 करोड़ है। जिसमें से ₹ 884.77 करोड़ का ऋण JICA द्वारा वर्ष 2011–12 से 2018–19 तक आठ वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध कराया जावेगा।

परियोजना की कुल लागत ₹ 1152.53 करोड़ में कराए जाने वाले कार्यों का विवरण सारणी में दृष्टव्य है।

परियोजना में कराये जाने वाले कार्य

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	योग
1.	वनीकरण	423.28
2.	कृषि वानिकी गतिविधियां	1.63
3.	जल संरक्षण संरचनाएं	46.92
4.	जैव विविधता संरक्षण	84.36
5.	गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका सुधार	16.89
6.	समुदायों को गतिशील करना	65.42
7.	क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण एवं शोध	6.34
8.	परियोजना प्रबन्धन	29.82
9.	प्रबोधन एवं मूल्यांकन	5.90
10.	परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए संविदा कार्यकार	14.96
	योग	**695.52**
11.	लागत वृद्धि	97.50
12.	फिजीकल कन्टिनजेंसी	79.30
13.	परामर्शकारी सेवाएं	12.47
14.	प्रशासनिक लागत	219.17
15.	वैट एवं आयात कर	14.00
16.	निर्माण अवधि का ब्याज	27.50
17.	कमिटमेंट प्रभार	7.07
	योग	**457.01**
	महायोग	**1152.53**

परियोजना कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ''राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसायटी'' का गठन किया जाकर राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के तहत दिनांक 8 मार्च, 2011 को रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। राज्य सरकार

छाया सौजन्य : ओ. पी. शर्मा

वृक्षारोपण हेतु गुणवत्तायुक्त पौध तैयारी : पौधशाला खागधार

द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2011 को आदेश जारी कर राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना फेज–2 हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का गठन किया है।

सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र 27 मण्डल प्रबन्ध इकाइयों तथा 83 क्षेत्र प्रबन्ध इकाइयों में बांटा गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत कार्य करवाने हेतु ग्राम को इकाई के रूप में लिया गया है। मण्डल प्रबंधन इकाई स्तर पर सूक्ष्म नियोजन, विकास कार्य करवाने, प्रशिक्षण देने, आजीविका संवर्द्धन की गतिविधियां संचालित करने एवं जन जागृति हेतु एक स्वयंसेवी संस्था का चयन किया गया है जो उपरोक्त कार्यों में मण्डल प्रबन्ध इकाई/क्षेत्रीय प्रबन्ध इकाई/वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को सहयोग किया जा रहा है।

परियोजना प्रबन्ध इकाई के स्तर पर एक अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना प्रबन्ध सलाहकार समिति का भी नियोजन किया गया जिसमें अलग–अलग विषयों यथा वानिकी, आजीविका संवर्द्धन, साझा वन प्रबन्ध आदि के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की सेवाएं प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इस परियोजना में विषय विशेषज्ञों एवं अन्य स्टाफ की सेवाएं 'रिसोर्स आर्गनाईजेशन' के माध्यम से अनुबन्ध पर ली गई हैं, जिनमें वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धक (जैव विविधता, साझा वन प्रबन्धक, व्यवसायी योजना एवं बाजार से जुड़ाव, संचार विस्तार एवं प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, मूल्यांकन) व विभिन्न प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव, ऑफिस एक्जीक्यूटिव आदि शामिल हैं।

परियोजना के अन्तर्गत किसी भी गांव में गतिविधि शुरू करने से पहले नियोजित स्वयंसेवी संस्था द्वारा विभागीय अधिकारियों एवं स्थानीय निवासियों की साझा भागीदारी से सूक्ष्म नियोजन (माइक्रोप्लान) तैयार किया गया है। परियोजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म नियोजन के आधार पर ग्राम्य वन सुरक्षा प्रबन्ध समिति द्वारा मण्डल प्रबन्धन इकाई/क्षेत्रीय प्रबंधन इकाई के निर्देशन में किया जा रहा है। परियोजना अन्तर्गत सभी गांवों में समितियों का गठन कर सूक्ष्म नियोजन कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

परियोजना के अन्तर्गत आठ वर्ष की अवधि में कुल 83650 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराये जाना प्रस्तावित है। परियोजना अवधि में लगभग 375 लाख पौधे लगाये जाने की संभावना है। वर्ष 2016–17 में कुल 26807 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि पर वृक्षारोपण कार्य कराये जाने का लक्ष्य है जिसमें से दिसम्बर, 2016 तक लगभग 26407 हैक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण कार्य कराया जा चुका है। अब तक कुल 77918 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया जा चुका है जो परियोजना लक्ष्य का लगभग 93 प्रतिशत है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2011–12 में एक नये बायोलॉजिकल पार्क (माचिया बायोलॉजिकल पार्क, जोधपुर) का निर्माण तथा दो बायोलॉजिकल पार्क (सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, उदयपुर एवं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर) के विकास कार्य भी प्रारम्भ किये गये। सभी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क अप्रैल, 2015, माचिया बायोलॉजिकल पार्क जनवरी, 2016 एवं नाहरगढ़ बायोलॉजिक पार्क जून, 2016 में जनता के लिए खोल दिये गये हैं। इन पार्कों के विकास का द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जा चुका है।

आजीविका संवर्धन गतिविधियों के अन्तर्गत गैर–सरकारी संस्थाओं के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत तक 1160 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका था। चालू वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर, 2016 तक 583 और नये स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाकर कुल 1743 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। इन स्वयं सहायता समूहों का क्षमतावर्धन एवं रोजगार सृजन हेतु कार्य योजना निर्माण एवं वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करावाये जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है।

इसके अतिरिक्त कृषि वानिकी, जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, सामुदायिक संगठन तथा प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्य सम्बन्धित गतिविधियां भी क्रियान्वित की जा रही है।

वित्तीय प्रगति वर्ष 2016–17

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	मद	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	दिसम्बर, 2016 तक उपलब्धि
1.	वनीकरण	12326.31	12334.26	7727.67
2.	कृषि वानिकी गतिविधियां	42.60	55.97	1.44
3.	जल संरक्षण संरचनाएं	3689.55	3458.08	805.03
4.	जैव विविधता संरक्षण	1556.04	1344.92	820.27
5.	गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका सुधार	312.00	244.00	14.59
6.	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण एवं शोध	258.12	125.82	21.86
7.	समुदायों की गतिशीलता	815.30	1488.99	343.37
8.	परियोजना प्रबन्ध	505.70	491.75	152.09
9.	प्रबोधन एवं मूल्यांकन	78.00	44.50	3.37
10.	परियोजना प्रबंधन इकाई हेतु संविदा कार्मिक	282.00	281.70	166.82
	योग	**19865.62**	**19870.00**	**10056.49**
11.	प्रशासनिक लागत	134.38	130.00	82.36
12.	वैट एवं आयात कर	0.00	0.00	0.00
	योग	**134.38**	**130.00**	**82.36**
	महायोग	**20000.00**	**20000.00**	**10138.85**

भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि वर्ष 2016–17

क्र.सं.	मद	इकाई	लक्ष्य अनुमान	संशोधित अनुमान	दिसम्बर, 2015 तक उपलब्धियां
1.	**वनीकरण कार्य**				
अ.	अग्रिम कार्य	है.	5358	5608	272
ब.	अग्रिम कार्य सह वृक्षारोपण	है.	26807	26407	26407
2.	**जल संरक्षण संरचनाएं**				
अ.	एनीकट टाइप–प्रथम	संख्या	580	315	14
ब.	एनीकट टाइप–द्वितीय	संख्या	233	300	2
स.	चैकडेम	घनमीटर	68629	61000	56097
द.	कन्टूर बन्डिंग	रनिंग मी.	174837	145000	142338
य.	परकोलेशन टैंक	संख्या	266	266	241
र.	पारम्परिक जल संरक्षण संरचनाओं का जीर्णोद्धार	संख्या	66	70	52

क्रमशः

क्र.सं.	मद	इकाई	लक्ष्य अनुमान	संशोधित अनुमान	दिसम्बर, 2015 तक उपलब्धियां
ल.	सिल्ट डिटेंशन संरचना	संख्या	87	87	53
व.	गैबियन संरचना	संख्या	171	172	104
3.	**जैव विविधता संरक्षण**				
अ.	नाला उपचार कार्य	है.	2839	1835	1580
ब.	जल बिन्दुओं का विकास	संख्या संरचना	0		0
स.	जैव विविधता संरक्षण हेतु क्लोजर	है.	795	795	731

गत तीन वर्षों की वित्तीय प्रगति

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	मद	2013–14	2014–15	2015–16
1.	वनीकरण	7599.07	10147.71	16080.26
2.	कृषि वानिकी गतिविधियां	1.55	0.05	3.39
3.	जल संरक्षण संरचनाएं	459.03	463.21	959.88
4.	जैव विविधता संरक्षण	2963.95	3464.10	1559.75
5.	गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका सुधार	105.76	156.86	99.04
6.	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण एवं शोध	36.51	58.35	62.91
7.	समुदायों की गतिशीलता	1086.49	1460.17	1104.24
8.	परियोजना प्रबन्ध	485.09	314.62	355.06
9.	प्रबोधन एवं मूल्यांकन	36.00	64.63	36.86
10.	परियोजना प्रबंधन इकाई हेतु संविदा कार्मिक	195.86	267.45	254.27
	योग	**12969.31**	**16397.15**	**20515.66**
11.	प्रशासनिक लागत	116.59	102.30	104.74
12.	वैट एवं आयात कर	0.00	0.00	0.00
	योग	**116.59**	**102.30**	**104.74**
	महायोग	**13085.90**	**16499.45**	**20620.40**

• नाबार्ड पोषित परियोजना

• Project for Development of water Catchment through Greening of Rajasthan (Phase-I) under RIDF-XVIII year 2012-13 to 2016-17

प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र के विकास द्वारा राजस्थान को हरा भरा बनाए जाने हेतु नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. ट्रांच 18 अन्तर्गत वित्त पोषण से राज्य के 17 जिले (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही एवं उदयपुर) में पंचवर्षीय परियोजना अन्तर्गत 52,750 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण, भू एवं जल संरक्षण तथा कृषि वानिकी कार्यों हेतु राशि ₹ 336.65 करोड़ की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त की जाकर वर्ष 2012–13 से कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है। परियोजना में वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं वितरण, वन सुरक्षा प्रबन्ध समितियों का गठन एवं सुदृढ़ीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्द्धन आदि कार्य भी किये जा रहे हैं। परियोजना में समस्त कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से तैयार सूक्ष्म नियोजन के आधार पर कराए जा रहे हैं। अब तक परियोजना अन्तर्गत 52750 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। परियोजना में वर्ष 2012–13 में राशि ₹7897.00 लाख, वर्ष 2013–14 में राशि ₹ 13317.08 लाख एवं वर्ष 2014–15 में राशि ₹ 5154.31 लाख एवं वर्ष 2015–16 में राशि ₹1676.72 लाख व्यय किए गए हैं।

• परियोजना के उद्देश्य

नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

- सघन वृक्षारोपण तथा जल एवं मृदा संरक्षण कार्यों के माध्यम से अरावली तथा विन्ध्याचल पर्वतमाला के पारिस्थितिकीय तंत्र पुनर्स्थापना।
- वन भूमि के पास स्थित वर्षा आधारित गैर वन भूमि में कृषि को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां संचालित करना ताकि स्थानीय लोगों की वनों पर निर्भरता कम हों तथा उन्हें आजीविका के अतिरिक्त साधन मिल सके।
- 'जीन पूल' का संरक्षण तथा क्षेत्र की जैव विविधता में अभिवृद्धि।
- राज्य में लघु वन उपज, ईंधन व चारे की उपलब्धता को बढ़ाना।
- ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध करा उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- साझा वन प्रबंध के माध्यम से वन सुरक्षा एवं विकास में जन भागीदारी प्राप्त करना।

ग्राम पीपरमल 32 रेंज देवला, उदयपुर में नाबार्ड योजनान्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण

- राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 के अनुरूप राज्य के 20% भौगोलिक क्षेत्र को वृक्षाच्छादित करने का प्रयास करना।
- जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को कम करना तथा कार्बन सिंक व कार्बन पूल को बढ़ाना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिभ्रांषित वन भूमि तथा पंचायत एवं गोचर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिसके परिणाम स्वरूप जलग्रहण क्षेत्र में जल संरक्षण से होगी तथा आसपास निवास करने वाले लोगों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा। इस हेतु परियोजना को 7 पैकेज में विभक्त किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

पैकेज–1 : वृक्षारोपण कार्य : इस पैकेज के तहत वन क्षेत्रों में वर्तमान वनस्पति घनत्व के आधार पर वृक्षारोपण का प्रावधान है। इस पैकेज के तहत निम्न चार मॉडल्स का प्रावधान किया गया है:

(i) **परिभ्रांषित वनों का पुनरुत्पादन–I (Rehabilitation of Degraded Forests-I) :** ऐसे परिभ्रांषित वन क्षेत्र जहां का वनस्पति घनत्व 0 से 10 प्रतिशत हो तथा जहां रूट स्टॉक बहुत कम हो वहां इस मॉडल के अनुसार कार्य किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों में 400 से 500 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाए जावेंगे।

(ii)**परिभ्रांषित वनों का पुनरुत्पादन–II (RDF-II) :** ऐसे परिभ्रांषित वन क्षेत्र जहां का वनस्पति घनत्व 10 से 40 प्रतिशत हो तथा अच्छी मात्रा में रूट स्टॉक उपलब्ध हो वहाँ इस मॉडल के अनुसार कार्य किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों में 200 से 300 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाए जावेंगे।

(iii) **प्राकृतिक रिजनरेशन को बढ़ावा (Assisted Natural Regeneration) :** ऐसे वन क्षेत्र जहां वनस्पति घनत्व 40 प्रतिशत से अधिक है तथा पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक रूप से पौधे तथा रूट स्टॉक उपलब्ध हो तथा खाली स्थानों में 150–200 पौधे लगाए जाने की संभावना हो, में इस मॉडल के तहत कार्य किया जावेगा।

(iv) **पंचायत भूमि वृक्षारोपण (Panchayat Land Plantation) :** वन भूमि के अतिरिक्त ग्राम की रिक्त पड़ी गैर वन भूमि, चरागाह भूमि, पड़त भूमि पर वृक्षारोपण हेतु इस मॉडल के तहत 800 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाए जाने का प्रावधान है। इस मॉडल के तहत भूमि की उपलब्धता अनुसार 10 से 20 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा सकता है।

पैकेज–2 : कृषि वानिकी गतिविधियां : इस पैकेज के तहत कृषकों एवं आमजन में पौधे उपलब्ध कराने हेतु नर्सरी में पौधे तैयार करने तथा इस हेतु नई नर्सरी लगाने तथा स्थापित विभागीय नर्सरियों के विकास का प्रावधान रखा गया है।

पैकेज–3 : जल एवं मृदा संरक्षण संरचनाओं का निर्माण : इस पैकेज के तहत वन तथा गैर वन भूमियों में चेकडैम, गैबियन चेकडैम, परकोलेशन टैंक (Percolation Tank), जल संरक्षण संरचनाएं तथा एनिकट बनाने का प्रावधान है। इसके अलावा वनभूमि से लगते हुए 500 मीटर के दायरे में आने वाली कृषि भूमि में कन्टूर बंडिंग तथा फार्म पौण्ड बनाने का प्रावधान है जिससे कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जा सकेगी।

छाया सौजन्य : ओ. पी. शर्मा

वृक्षारोपण में सालर की कटिंग के उत्कृष्ण परिणाम

पैकेज–4 : साझा वन प्रबन्ध : इस पैकेज के तहत परियोजना क्षेत्र में वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के गठन, समितियों से सम्बन्धी ग्रामों की सूक्ष्म योजना बनाने, साझा वन प्रबंध के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आय सृजन की अतिरिक्त गतिविधियां करने, प्रवेश बिन्दु गतिविधियों के तहत ग्राम की आवश्यकताओं के अनुरूप सामुदायिक कार्य करने तथा आम जन में वनों एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अवेयरनेस कैम्पस आयोजित करने का प्रावधान है।

पैकेज–5 : दक्षता निर्माण (Capacity Building) : इस पैकेज के तहत परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों, वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के प्रशिक्षण का प्रावधान है ताकि नवीनतम तकनीक की जानकारी देकर परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप सफल कार्य कराए जा सकें।

पैकेज–6 : संचार एवं प्रसार (Communication & Extension) : इस पैकेज के तहत परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों, वन सुरक्षा समितियों के सदस्यों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के शैक्षणिक भ्रमण, सफल कार्य स्थलों के भ्रमण तथा इस हेतु कार्यशालाओं के आयोजन का प्रावधान है। इसके अलावा परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उपकरण यथा जी.पी.एस., कैमरा, टी.वी., वी.सी.आर. आदि के क्रय का तथा परियोजना के कार्यों की तकनीक सम्बन्धी वन–पर्यावरण के सम्बन्ध में जाग्रति पैदा करने हेतु सामग्री प्रकाशन का प्रावधान भी किया गया है।

पैकेज–7 : प्रबोधन एवं मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation) : इस पैकेज के तहत परियोजना के तहत कराए गए कार्यों के प्रबोधन एवं मूल्यांकन का प्रावधान है ताकि इसके क्रियान्वयन में हो रही तकनीकी कमियों का पता लग सके तथा भविष्य में इसमें सुधार किया जा सके।

- **Project for Development of water Catchment through Greening of Rajasthan (Phse-II) under RIDE-XX year 2014-15 to 2018-19**

नाबार्ड वित्त पोषित RIDF-XX Phase-II परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 से 2018–19 की अवधि में 43,000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण, भू एवं जल तथा कृषि वानिकी कार्यों हेतु राशि ₹ 282.34 करोड़ की लागत का द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त की जाकर वर्ष 2014–15 से कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है।

उक्त परियोजना की गतिविधियों को वाटरशेड में कलस्टर के आधार पर जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग द्वारा स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में लिया जाना है ताकि परियोजना के कार्यों का जलग्रहण विभाग द्वारा संचालित जलग्रहण परियोजना से कन्वरजेन्स स्थापित हो सके। परियोजना में वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल एवं मृदा संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं वितरण, वन सुरक्षा प्रबंधन समितियों का गठन एवं सुदृढ़ीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्धन कार्य आदि भी किये जाने हैं। मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाएं तकनीकी मापदण्ड के अनुसार वन क्षेत्र तथा गैर वन क्षेत्रों में भी करायी जायेगी, जिससे कि स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े एवं उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा वन क्षेत्रों पर उनकी निर्भरता घटे।

नाबार्ड द्वितीय चरण की योजना के उद्देश्य मुख्यतया नाबार्ड परियोजना चरण प्रथम के अनुसार ही है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस परियोजना को भी 7 पैकेज में विभक्त किया गया है। प्रथम चरण पैकेज–1 के वृक्षारोपण कार्य के अतिरिक्त इस नवीन परियोजना के अन्तर्गत 1. Bamboo Productivity Enhancement operations एवं 2. Buffer Area Development के कार्य भी कराये जा रहे हैं। अब तक परियोजना अन्तर्गत 40200 है. में वृक्षारोपण का कार्य किया जा चुका है, शेष वृक्षारोपण आगामी वर्षों में पूर्ण किया जाना निर्धारित है। परियोजना में वर्ष 2014–15 में राशि ₹ 7810.20 लाख एवं वर्ष 2015–16 में राशि ₹ 8837.82 लाख व्यय किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु RIDF-XVIII Phase-I एवं RIDF-XX Phase-II परियोजना अन्तर्गत कुल राशि ₹ 4355.15 लाख का प्रावधान है, जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक राशि ₹ 2379.42 लाख व्यय किये गये हैं।

नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना Project for

Development to Water Catchment through Greening of Rajasthan Under RIDF-XXII, Phase-III 2016-17 to 2020-21

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2016–17 में बजट घोषणा क्रमांक 63.00 में निम्न बजट घोषणा की गयी थी:–

''मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत वन क्षेत्रों, वन्य जीव क्षेत्रों एवं गैर वन क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने हेतु राज्य के 17 जिलों यथा अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर एवं सिरोही में राशि ₹ 157 करोड़ 61 लाख की लागत से विशेष परियोजना क्रियान्वित की जायेगी।''

जिसके क्रम में नाबार्ड द्वारा पत्रांक NB. JAI/SPD/2549/RIDF-XXII (Rajasthan)/156th PSC/2016-17 dated 22.08.2016 से राशि ₹ 15761.24 लाख की नाबार्ड वित्त पोषित (Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF-XXII, Phase-III 2016-17 to 2020-21 परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

उक्त परियोजना की गतिविधियों को मुख्यत: मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना में चयनित गांवों में लिया जाना है। परियोजना में वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल एवं मृदा संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं वितरण, वन सुरक्षा प्रबंधन समितियों का गठन एवं सुदृढ़ीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्धन, कार्य आदि भी किये जाने हैं। मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाएं तकनीकी मापदण्ड के अनुसार वन क्षेत्र तथा गैर वन क्षेत्रों में भी करायी जाएगी, जिससे कि स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े एवं उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा वन क्षेत्रों पर उनकी निर्भरता घटे।

नाबार्ड तृतीय चरण की योजना के उद्देश्य मुख्यतया नाबार्ड परियोजना चरण प्रथम व द्वितीय के अनुसार ही है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस परियोजना को भी 7 पैकेज में विभक्त किया गया है।

नाबार्ड परियोजना के इस तृतीय चरण में 27400 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराये जाने के लक्ष्य हैं। इस वर्ष 2016–17 में 16525 है. में अग्रिम मृदा कार्य कराया जा रहा है। शेष अग्रिम मृदा कार्य आगामी वर्षों में पूर्ण किये जावेंगे। राज्य सरकार द्वारा उक्त परियोजना हेतु वर्ष 2016–17 के लिए स्वीकृत कुल राशि ₹ 9953.98 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रसारित की जा चुकी है।

• कैम्पा कोष (CAMPA Fund)

राजस्थान में वन भूमि का वनेत्तर उपयोग करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च

राज्य में कैम्पा योजनान्तर्गत करवाये जा रहे विभिन्न प्रकार के विकास कार्य

न्यायालय द्वारा यूजर एजेंसी से सीए, एनपीवी, एपीसीए व पीसीए लागू करने की शर्तानुसार राशि एड–हॉक कैम्पा में जमा की जाती है। एड–हॉक कैम्पा में जमा राशि के प्रबंधन हेतु नवम्बर, 2009 में अधिसूचना क्रमांक 279/12.11.2009 से राजस्थान राज्य स्टेट क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण फण्ड मैनेजमेंट एवं प्लानिंग अथॉरिटी का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 10 जुलाई, 2009 के अन्तर्गत किया गया। इसका उद्देश्य क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु यूजर एजेंसी से एकत्रित सीए व एनपीवी राशि का प्रबंधन करना है।

कैम्पा योजनान्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में आर.डी.एफ.–II में अग्रिम मृदा कार्य

स्टेट कैम्पा का उद्देश्य :

- स्टेट कैम्पा का गठन वन संरक्षण, सुरक्षा, पुनरुद्भवन व मौजूदा प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना।
- वन्य जीवों व इनके आवास संरक्षित क्षेत्रों के अन्दर व बाहर का संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन करना।
- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करना।
- पर्यावरण संरक्षण करना।
- रिसर्च, प्रशिक्षण व कैपेसिटी बिल्डिंग।

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कैम्पा योजना के अन्तर्गत गवर्निंग बॉडी, स्टीयरिंग कमेटी व एक्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है।

1. **गवर्निंग कमेटी :** गवर्निंग बॉडी में चेयरपर्सन माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, सदस्य – वन मंत्री, वित्त एवं योजना मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव (वित्त), प्रमुख शासन सचिव (योजना), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक एवं सदस्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव (वन) रहेंगे।

   गवर्निंग बॉडी कमेटी के कार्य : राज्य कैम्पा की पॉलिसी–फ्रेमवर्क व कार्यों का निर्धारण तथा समय–समय पर किये गये कार्यों की समीक्षा करना।

2. **स्टीयरिंग कमेटी :** स्टीयरिंग कमेटी में चेयरपर्सन – मुख्य सचिव, सदस्यगण प्रमुख शासन सचिव (वन), प्रमुख शासन सचिव (वित्त), प्रमुख शासन सचिव (योजना), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि, 2 प्रमुख एनजीओ राज्य सरकार द्वारा मनोनीत तथा सदस्य सचिव अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) होंगे।

   स्टीयरिंग कमेटी का कार्य : एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा प्रस्तावित वार्षिक योजना का अनुमोदन करना व स्टेट कैम्पा द्वारा दिये गये बजट के उपयोग की मॉनिटरिंग करना। एक्जक्यूटिव कमेटी द्वारा बनाई गई वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति देना। स्टेट कैम्पा की वार्षिक रिपोर्ट्स तथा लेखा (ऑडिटेड) को स्वीकार करना। 6 माह में एक बार मीटिंग करना।

3. **एक्जीक्यूटिव कमेटी :** एक्जीक्यूटिव कमेटी में चेयरपर्सन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), सदस्य – प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), वित्तीय

सलाहकार राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 2 एनजीओ तथा अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी एफसीए) सदस्य सचिव होंगे।

स्टीयरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उद्देश्य एवं नियमों का गठन करना। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिसम्बर माह के पूर्व वार्षिक कार्य योजना विभिन्न कार्यकलापों के अनुसार तैयार कर स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर उनकी सहमति प्राप्त कर फण्ड रिलीज कराना।

कैम्पा फण्ड से कराये गये कार्यों का सुपरविजन करना। फण्ड प्राप्ति व उसके खर्चों की ऑडिटिंग के प्रति जवाबदेह होना। क्रियान्वयन एजेंसी का लेखा संधारण हेतु दिशा–निर्देश तैयार करना। स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष रिव्यू हेतु रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना। वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त जून अंत तक तैयार करना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.07.2009 के अनुसार तदर्थ कैम्पा में राज्य के हिस्से की जमा मूल राशि की 10 प्रतिशत राशि आगामी पांच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष स्टेट कैम्पा को रिलीज की जावेगी।

कैम्पा योजनान्तर्गत बारां जिले में मार्ग वृक्षारोपण

भारत सरकार द्वारा एडहॉक कैम्पा से स्टेट कैम्पा (राजस्थान) को निम्नानुसार राशि रिलीज की गई जिसके आधार पर राजस्थान स्टेट द्वारा वार्षिक कार्य योजना बनाई गई। स्टेट कैम्पा का गठन वर्ष 2009–10 में किया गया था परन्तु वर्ष 2009–10 में एड़हॉक कैम्पा से राजस्थान स्टेट कैम्पा में राशि जनवरी, 2010 को विलम्ब से प्राप्त होने से वार्षिक कार्य योजना नहीं बन सकने के कारण कोई भी कार्य नहीं कराये जा सके थे। स्टेट कैम्पा में प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि ₹ लाखों में)

वित्तीय वर्ष	दिनांक रिलीज	राशि लाखों में	ब्याज की राशि	किया गया व्यय	APO राशि
2009–10	27.01.2010	3259.08			
2010–11	18.01.2011	4206.98	0.47320	2581.72725	3356.70000
2011–12	11.11.2011	3189.13	166.79842	3718.00158	5200.00000
2012–13	25.02.2013	3742.98	581.14740	4612.45086	5512.64481
2013–14	27.12.2013	3450.00	465.99144	3829.29048	4513.97019
2014–15	09.04.2014	6000.00	490.51136	6542.93306	7505.53004
	31.03.2015	1400.00	00.00	00.00	00.00
2015–16	18.02.2016	4800.00	657.99233	9845.48554	15374.05639
2016–17	15.06.2016	8100.00	449.88280	2343.11092	21076.4243
	31.12.2016	179.90	00.00	00.00	00.00
	कुल योग	**38338.07**	**2812.79695**	**33472.99969**	**62539.32573**

राजस्थान स्टेट कैम्पा में वर्ष 2011–12 से 2016–17 तक कराये गये प्रमुख कार्य

नाम कार्य	उपलब्धि 2011–12	उपलब्धि 2012–13	उपलब्धि 2013–14	उपलब्धि 2014–15	उपलब्धि 2015–16	प्रस्तावित लक्ष्य 2016–17
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (अग्रिम मृदा कार्य) NFL	538.88 है.	549.32 है.	354.790 है.	1859.91 है.	1853.49 है.	4015.91 है.
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रथम वर्ष (पौधारोपण) NFL	468.00 है.	538.88 है.	529.32 है.	342.05 है.	1859.91 है.	1853.49 है.
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (अग्रिम मृदा कार्य) DFL	1000 है.	1000 है.	1033.01 है.	3182.03 है.	1547.08 है.	6770.93 है.
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रथम वर्ष (पौधारोपण) DFL	1750 है.	1000 है.	993 है.	1033.01 है.	3182.03 है.	1547.08 है.
परिभ्रांषित वन भूमि पर (अग्रिम मृदा कार्य) (प्राकृतिक पुनरुत्पादन में सहयोग) ANR	4500 है.	2300 है.	1462 है.	3962 है.	6231.00 है.	2500.00 है.
परिभ्रांषित वन भूमिपर रिस्टोकिंग प्रथम वर्ष – (पौधारोपण) ANR	6175 है.	4500 है.	2300 है.	1462 है.	3962 है.	6569.00 है.
पक्की दीवार का निर्माण 4 फीट ऊंचाई	25312 रमी.	25766 रमी.	14662 रमी.	31180 रमी.	140517 रमी.	35250 रमी.
पक्की दीवार का निर्माण 6 फीट ऊंचाई	11195 रमी.	20255 रमी.	11277 रमी.	35725 रमी.	0 रमी.	5000 रमी.
ब्लैक बक कन्जर्वेशन रिजर्व सोरसन में पक्की दीवार निर्माण कार्य 6 फीट ऊंची	–	–	1400 रमी.	–	–	–
अभेडा जैविक उद्यान की पक्की दीवार का निर्माण का कार्य 12 फीट ऊंचाई		1370 रमी.	2199.20 रमी.	–	0 रमी.	–
वन भूमि पर सीमा स्तम्भों का निर्माण	2774 No.	2008 No.	1322 No.	2893 No.	4244 No.	1700 No.
एनीकट/गजलर/जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण	24 No.	20 No.	23 No.	52 No.	0 No.	0 No.
भू एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण 1.	–	66 No.	–	–	–	0 No.
1 जोहड़ी 2 बंधा 3 पक्का बंधा 2.	–	6 No.	–	–	–	0 No.
(सरिस्का अलवर क्षेत्र में) 3.	–	4 No.	–	–	–	0 No.
अधीनस्थ वनकर्मियों हेतु वन चौकियों का निर्माण	20 No.	18 No.	18 No.	38 No.	40 No.	22 No.
रेंज ऑफिस सह निवास का निर्माण	9 No.	8 No.	8 No.	14 No.	9No.	6 No.

नाम कार्य	उपलब्धि 2011–12	उपलब्धि 2012–13	उपलब्धि 2013–14	उपलब्धि 2014–15	उपलब्धि 2015–16	प्रस्तावित लक्ष्य
मरु राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर में वन्य जीव क्लोजर का निर्माण		200 है.	–	–	–	0 No.
रेस्क्यू सेंटर	2 No.	5 No.	–	3 No.	2 No.	0 No.
रेस्क्यू सेंटर का संधारण उदयपुर, खेजड़ली व लूनी (वन्य जीव जोधपुर) फलौदी, (जोधपुर) मेड़तासिटी, देसूरी (पाली), तालछापर (चूरू), सोरसन (बारां), मुकाम, रायसिंहनगर, बज्जू, पीलीबंगा,औसियां व खारा (जोधपुर), सांचोर (जालौर), गोगेलाव (नागौर), बीकानेर	3 No.	4 No.	9 No.	9 No.	12 No.	14 No.
वन सुरक्षा कार्यों हेतु वाहन (केन्टर) खरीद	–	–	7 No.	–	–	6 No.
वन सुरक्षा कार्य हेतु बॉलेरो खरीद	–	7 No.	–	–	–	–
मोटर साइकिल खरीद	27	20 No.	49 No.	–	–	50 No.
ब्लैकबक कन्जर्वेशन रिजर्व सोरसन (बारां)	–	30.00 लाख	1400 रमी.	–	–	–
पैंथर कन्जर्वेशन रिजर्व (पाली)	–	50 लाख	35 लाख	10 लाख	10 लाख	–
इन्टरप्रिटेशन सेंटर (पाली)	–	8.5 लाख	5.50 लाख	3 लाख	3 लाख	–
अरण्य भवन, जयपुर	–	4.00 लाख	2.00 लाख	3.50 करोड़	4.00 करोड़	4.50 करोड़
आरबोरेटम/हर्बल गार्डन बनाना	–	–	संधारण	संधारण	संधारण	संधारण
राष्ट्रीय राजमार्ग 14 के दोनों ओर 6 फीट ऊंची पक्की दीवार का निर्माण, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेशों की पालना में	–	–	–	–	–	8 किमी.
प्रतिवर्ष घास की सफाई कांकरोली–जोधपुर 4 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन के नीचे	–	–	–	–	–	1.50 लाख
नर्सरी का विस्तार, घाट नदी देवला, उदयपुर उत्तर	–	–	–	–	–	40.00 लाख

नाम कार्य	उपलब्धि 2011-12	उपलब्धि 2012-13	उपलब्धि 2013-14	उपलब्धि 2014-15	उपलब्धि 2015-16	प्रस्तावित लक्ष्य
मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान में (राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य ग्रामों का विस्थापन एवं तत्संबंधी समस्त कार्यों को पूर्ण करना	–	–	–	–	–	40.00 करोड़
वन विनाश रोकने के लिए अभयारण्य क्षेत्र से लगते ग्रामों में एल.पी.जी. गैस वितरण कार्य, प्राकृतिक पुर्नरुत्पादन को प्रोत्साहन	–	–	–	–	–	20.00 करोड़
संरक्षित क्षेत्रों के भीतर व बाहर प्रभावी प्रबंधन के लिए सुधार / नवाचार	–	–	–	–	–	5.00 करोड़
पौधे तैयारी 2 करोड़	–	–	–	–	–	1112.00 लाख
नर्सरी उन्नयन	–	–	–	–	–	1095.04 लाख
नई नर्सरी स्थापना 34+1	–	–	–	–	–	390.00 लाख
Nagar Van Udyan Yojana Jaipur-Muhana	–	–	–	–	–	54.40 लाख
Nagar Van Udyan Yojana Ajmer-Mahua	–	–	–	–	–	60.00 लाख
Nagar Van Udyan Yojana Kota-Bhadana	–	–	–	–	–	24.00 लाख
Nagar Van Udyan Yojana Udaipur	–	–	–	–	–	64.00 लाख

उपरोक्त के अतिरिक्त वनरक्षक, सहायक वनपाल, वनपाल व क्षेत्रीय वनाधिकारी जो फील्ड में कार्यरत हैं, को मोबाइल फोन सुविधा CUG योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गयी व क्षेत्रीय वनाधिकारी व अधीनस्थ फील्ड स्टाफ के कार्यालय (नाका/चौकियों) का संधारण कार्य भी कराया गया।

• पर्यावरण वानिकी

मरुस्थलीय जिले जैसलमेर में पर्यावरण सुधार हेतु ईको–टॉस्क फोर्स द्वारा वर्ष 2016–17 में 300 हैक्टेयर वृक्षारोपण कार्य करवाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त इस योजना अन्तर्गत सीकर एवं झालावाड़ में स्मृति वन का विकास, अजमेर में हर्बल गार्डन का विकास करवाया जा रहा है। पर्यावरण वानिकी कार्यों हेतु वर्ष 2016–17 में राशि ₹447.62 लाख का प्रावधान रखा गया है। जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक ₹ 173.92 लाख व्यय किये जा चुके हैं। इस राशि का गतिविधिवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	गतिविधि का विवरण	वर्ष 2016–17 में आवंटित राशि	दिसम्बर, 16 तक व्यय राशि
1.	ईको टॉस्क फोर्स के माध्यम से इ.गा.न. क्षेत्र में 300 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण	71.09 लाख	2.22
2.	नेचर पार्क चूरू	185.50 लाख	55.00
3.	स्मृति वन झालावाड़ (नौलक्खा)	5.0 लाख	3.75
4.	स्मृति वन सीकर	150.00 लाख	93.38
5.	हर्बल गार्डन अजमेर	11.00 लाख	2.49
6.	स्मृति वन जयपुर का संधारण	25.00 लाख	16.48
	योग	**447.59**	**173.92**

• परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण

यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत परिभ्रांषित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं जल तथा मृदा संरक्षण के कार्य करवाये जा रहे हैं। इस वर्ष 3000 हैक्टेयर वन क्षेत्र में अग्रिम कार्य करवाया जा रहा है एवं 7000 हैक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 2891.81 लाख व्यय किये जायेंगे। जिसमें से दिसम्बर, 2016 तक ₹ 1471.99 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

• जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक

यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। वातावरण में आ रहे बदलावों को दृष्टिगत रखते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण मरु प्रसार की अभिवृद्धि को रोकने हेतु मरुस्थलीय जिलों में टिब्बा स्थिरीकरण तथा मेगा शेल्टर बेल्ट के कार्य करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2015–17 में 2000 हैक्टेयर में अग्रिम मृदा तथा 4000 हैक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य करवाया जा रहा है। इन कार्यों पर इस वित्तीय वर्ष में ₹ 2759.10 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें से माह दिसम्बर 2016 तक ₹1181.64 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

• साझा वन प्रबंध की सुदृढ़ीकरण योजना

वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंध का क्रियान्वयन राज्य में 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्तमान में वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 17.10.2000 व संरक्षित वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 24.10.2002 के राज्यादेशों के अनुरूप साझा वन प्रबंध की संकल्पना की क्रियान्विति की जा रही है। राज्य में 6186 ग्राम वन सुरक्षा समितियां गठित हैं जो लगभग 11.47 लाख हैक्टेयर, जो कि राज्य में वन भूमि का 27.02% है, से अधिक क्षेत्र का प्रबंधन कर रही है। इन ग्राम वन प्रबन्ध सुरक्षा

समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए चालू वर्ष में ₹ 30.00 लाख रुपये व्यय किये जावेंगे। यह नवीन योजना भी बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है।

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

वन अनुसंधान को ओर गति प्रदान करने की दृष्टि से यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। वानिकी क्षेत्र में नई वैज्ञानिक तकनीकों के अनुसंधान एवं कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु इस वर्ष ₹ 85.00 लाख व्यय किये जावेंगे जिसमें से ₹ 40.00 लाख वन्य जीव एवं वानिकी इन्टर्नस पर व्यय किये जाना प्रस्तावित है।

भाखड़ा व गंगनहर वृक्षारोपण

(Bhakhra & Gang Canal Plantation)

प्रदेश के थार मरुस्थल को हरा–भरा बनाने एवं आम जनता को बार–बार पड़ने वाले अकाल से राहत दिलाने वाले तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह ने 1922 में सतलज नदी का पानी राज्य में लाने के उद्देश्य से एक नहर प्रणाली विकसित की जिसे गंग नहर कहा गया जो वर्तमान में बीकानेर नहर कहलाती है। इस नहर की सभी शाखाओं एवं वितरिकाओं सहित प्रदेश में कुल लम्बाई 1153 किलोमीटर है। इसी प्रकार भाखड़ा नहर, भाखड़ा नांगल बांध से निकलकर आती है। जिससे हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों के 9.20 लाख एकड़ भू–भाग की सिंचाई होती है। दोनों नहरों के किनारे 2.2 लाख परिपक्व वृक्ष थे जिनके विदोहन का कार्य वन विभाग को सौंपा गया था। इन दोनों नहरों के किनारों के वृक्षारोपण परिपक्व होने के कारण विदोहन कर लिया गया था। अत: नहरों को मिट्टी के भराव से बचाने तथा क्षेत्र की मृदा व पारिस्थितिकी में वांछित सुधार के लिए पुनरारोपण कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। पुनरारोपण के लिए राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा राशि उपलब्ध करायी गयी है। भाखड़ा नहर का वृक्षारोपण कार्य वन मण्डल हनुमानगढ़ व गंगनहर वृक्षारोपण का कार्य वन मण्डल गंगानगर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

भाखड़ा एवं गंगनहर के दोनों ओर इस वर्ष ₹ 676.65 लाख व्यय किये जाकर 1085 रो किमी. (आरकेएम.) वृक्षारोपण कार्य करवाया जाना है। माह दिसम्बर, 2016 तक ₹ 289.97 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

भाखड़ा नहर वृक्षारोपण की प्रगति निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	वर्ष	वित्तीय (लाख ₹)		भौतिक उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	2009–10	130.51	130.51	885 आरकेएम (295 है.)
2.	2010–11	120.21	117.79	450 आरकेएम (150 है.)
3.	2011–12	119.54	113.34	220 आरकेएम (73 है.)
4.	2012–13	221.81	171.84	209 आरकेएम (70 है.)
5.	2013–14	298.90	210.22	331 आरकेएम (110 है.)
6.	2014–15	232.33	193.53	576.80 आरकेएम
7.	2015–16	139.69	159.00	353.97 आरकेएम
8.	2016–17 (दिस. 16 तक)	360.76	123.63	655 आरकेएम

गंगनहर वृक्षारोपण की प्रगति निम्नानुसार है–

क्र.सं.	वर्ष	वित्तीय (लाख ₹)		भौतिक उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	2009–10	104.39	104.02	507 रो किमी. (169 है.)
2.	2010–11	173.55	173.54	800 रो किमी. (267 है.)
3.	2011–12	256.21	112.67	233 है.
4.	2012–13	318.73	282.27	334 है.
5.	2013–14	387.61	293.94	285 है.
6.	2014–15	326.18	267.93	737 रो. किमी.
7.	2015–16	275.83	313.65	630 रो. किमी.
8.	2016–17 (दिस. 2016 तक)	315.89	166.34	360 रो. किमी.

पौध वितरण

राजस्थान वन नीति, 2010 के अनुसार वनीकरण को बढ़ावा देने तथा वृक्षारोपण में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वानिकी के तहत तैयार किये गये कांटेदार प्रजाति के पौधे एवं चौड़ी पत्ती वाले 2 फीट ऊंचाई तक के पौधे ₹ 5 प्रति पौधा की दर से जन साधारण को वितरित किये जाते हैं। राजकीय विभागों शैक्षणिक संस्थानों, भारतीय स्काउट एवं गाइड, एन.सी.सी. एवं स्वयंसेवी संस्थाओं/ट्रस्टों द्वारा यदि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है तो विभाग के अधिकारियों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन दिया जावेगा एवम् पौधों की आवश्यकता का आकलन कर एक रुपये प्रति पौधे की दर से 1000 पौधे तक उपलब्ध करवाये जायेंगे परन्तु सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह आकलन किये जाने का प्रावधान है कि वृक्षारोपण कराने वाले के पास वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि एवं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है।

आम जनता एवं कृषकों को वितरण हेतु पौधे तैयार करने का कार्य फार्म फोरेस्ट्री (प्लान) आर.एफ.बी.पी. फेज–I (रिवोल्विंग फंड) नोन प्लान, नाबार्ड परियोजना एवं आर.एफ.बी.पी. फेज– II के अन्तर्गत किया जा रहा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष 2015–16 में वितरित पौधे वर्ष 2016–17 में दिसम्बर, 2016 तक वितरित पौधे एवं वर्ष 2016–17 में आगामी वर्षा ऋतु में वितरण हेतु तैयार किये जाने वाले पौधों का विवरण अग्रानुसार है :–

छाया सौजन्य : वाई.एस. कालवी

वन पौधशाला, शाहपुरा

नाम योजना	वर्ष 2015–16 में वितरित पौधे	वर्ष 2016–17 में वितरित पौधे (दिस. 2016 तक)	आगामी वर्षा ऋतु (वर्ष 2017–18) में वितरण हेतु इस वर्ष तैयार किये जाने वाले पौधों का लक्ष्य	
			भौतिक	वित्तीय
फार्म फोरेस्ट्री	62.86 लाख	60.00 लाख	40.00 लाख	355.88 लाख
RFBP Ph. I (रिवोल्विंग फंड)	33.22 लाख	40.00 लाख	40.00 लाख	166.50 लाख
नाबार्ड परियोजना	20.00 लाख	19.32 लाख	21.43 लाख	117.90 लाख
कैम्पा योजना	–	–	200.00 लाख	1112.00 लाख
RFBP Ph.II	–	–	16.20 लाख	(SHG के माध्यम से)
योग	**116.08 लाख**	**99.32 लाख**	**314.86 लाख**	**1730.80 लाख**

❁ राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने वानिकी गतिविधियों के सरलीकरण एवं उनके क्रियान्वयन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से दसवीं पंचवर्षीय योजना में चार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को एक कर राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (National Afforestation Programme) योजना का सृजन किया था। योजनाओं को एक करने का उद्देश्य क्षेत्र में चल रही समान उद्देश्यों वाली कई योजनाओं को एक करना, वित्त व्यवस्था एवं लागू करने की प्रणाली में समानता लाना था।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। ये अभिकरण ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराते हैं।

छाया सौजन्य : अनुराग भटनागर

वृक्षारोपण कार्यों में जन प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता

राज्य में 33 वन विकास अभिकरण कार्यरत हैं। 9 जुलाई, 2010 से राज्य में राज्यस्तरीय ''राज्य वन विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। यह अभिकरण सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है।

वर्ष 2015–16 में राज्य वन विकास अभिकरण द्वारा निम्न तालिकानुसार कार्य सम्पादित कराये गए हैं।

नवीन वृक्षारोपण	संधारण वर्ष			योग
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
800	2425	600	3300	6325

इस वर्ष 2016–17 में 1400 है. क्षेत्र में अग्रिम कार्य करवाये जाने हेतु राशि ₹ 373.85 लाख के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये गये हैं। अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

❁ नर्मदा नहर परियोजना (Narmada Canal Project)

जालौर जिला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में गुजरात की सीमा पर स्थित है। जिले का क्षेत्रफल 10640 वर्ग किलोमीटर है। जिले के पश्चिमी भाग में रेगिस्तान का फैलाव है, वहीं जसवंतपुरा जैसी अरावली की ऊँची चोटियां भी हैं। जिले के सुदूर दक्षिण में रण कच्छ का खार क्षेत्र भी है। जिले में औसत वर्षा 413 मिलीमीटर है। नर्मदा मुख्य नहर राज्य में जालौर जिले की सांचोर तहसील के

छाया सौजन्य : व. म. करौली

वृक्षारोपण हीरामन का पावरा (आर.डी.एफ.–1) रेंज मण्डरायल 2016

सीलू गांव में प्रवेश करती है, इसमें मार्च, 2008 से जल प्रवाह प्रारम्भ हो गया है। नर्मदा मुख्य नहर एवं इसकी वितरिकाओं एवं माइनरों के किनारे वृक्षारोपण की परियोजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इसका 65 किमी. (0 to 51.5RD, 58.8 to 68.3 RD, 70 to 74 RD) का हिस्सा जालौर जिले में है व शेष 9 किमी. (51.5 to 58.8 RD, 68.3 to 70) बाड़मेर में है।

उक्त परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में आवंटित राशि ₹ 90.00 लाख के विरुद्ध राशि ₹ 20.57 लाख व्यय किये जाकर नर्सरी तैयारी, वाहन क्रय एवं कार्यालय व्यय सम्बन्धी कार्य करवाये गये। वर्ष 2008–09 में राशि ₹ 329.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के विरुद्ध राशि ₹ 107.44 लाख व्यय किये जाकर नर्सरी स्थापना एवं पौध तैयारी, मुख्य नहर किनारे वृक्षारोपण हेतु अग्रिम कार्य आदि करवाये गये। वर्ष 2009–10 में राशि ₹ 531.78 लाख वित्तीय स्वीकृति के विरुद्ध राशि ₹ 351.67 लाख व्यय किये जाकर 31 मार्च, 2010 तक 640.5 आर.के.एम. क्षेत्र में 128100 पौधों का वृक्षारोपण करवाया गया है। वर्ष 2010–11 में आवंटित राशि ₹ 377.19 लाख के विरुद्ध राशि ₹ 193.37 लाख का व्यय कर 640.5 आर.के.एम. क्षेत्र में गत वर्षों में रोपित 128100 पौधों का वृक्षारोपण करवाया गया है। उक्त परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में आवंटित राशि ₹ 738.17 लाख के विरुद्ध राशि ₹ 158.82 लाख व्यय कर गत वर्षों में 960.00 आर.के.एम. क्षेत्र में रोपित 192000 पौधों का संधारण तथा 77 आर.के.एम. क्षेत्र में 15400 पौधों का वृक्षारोपण करवाया गया है। इस प्रकार मुख्य नहर किनारे कुल 1037 आर.के.एम. क्षेत्र में 207400 पौधों का वृक्षारोपण करवाया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु राशि ₹ 936.37 लाख की वित्तीय स्वीकृति के विरुद्ध 31 मार्च, 2013 तक राशि ₹ 263.64 लाख व्यय किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 में 1037 आर.के.एम. क्षेत्र में 50000 पौधों का वृक्षारोपण कार्य किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु 1037 आर.के.एम. मुख्य नहर का संधारण कार्य एवं वितरिकाओं पर संधारण कार्य सहित 360 आर.के.एम. में जीरो वर्ष अग्रिम कार्य तथा वृक्षारोपण कार्य करवाये गये।

वर्ष 2015–16 में 1137 आर.के.एम. वृक्षारोपण कार्य तथा दो वन चेतना केन्द्रों की स्थापना करवाई गई। वर्ष 2016–17 में 168 आर.के.एम. वृक्षारोपण, 154 आर.के.एम. अग्रिम कार्य एवं 1100 आर.के.एम. संधारण कार्य करवाये जायेंगे। इन कार्यों हेतु जल संसाधन विभाग से राशि ₹ 262.02 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

❁ विदोहन एवं पुनः वृक्षारोपण

इंदिरा गाँधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में अब तक लगभग 145000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाये गये हैं। नहर के किनारे एवं आबादी वृक्षारोपण क्षेत्रों से लगभग 24000 हैक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण विदोहन हेतु 10 वर्ष की कार्य योजना वर्ष 1999–2000 से 2008–09 बनाई गई। तत्पश्चात् दो वर्ष का अवधि विस्तार स्वीकृत हुआ। द्वितीय कार्य योजना वर्ष 2011–12 से 2020–21 तक स्वीकृति हेतु भेजी गई। वृक्षारोपणों से विदोहन का कार्य वर्ष 2000 से शुरू किया गया। पुराने वृक्षारोपणों का विदोहन कार्य विभाग की स्टेट ट्रेडिंग शाखा द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है। विदोहन किये क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण करवाया जा रहा है। अब तक पुनः वृक्षारोपण किये गये कार्या का विवरण वर्षवार अग्रानुसार है :–

क्र. सं.	वर्ष	क्षेत्रफल जिसमें पुनः वृक्षारोपण कार्य करवाया गया (हैक्टेयर में)
1.	2000–01	265
2.	2001–02	518
3.	2002–03	821
4.	2003–04	984
5.	2004–05	1055
6.	2005–06	908
7.	2006–07	815
8.	2007–08	1045
9.	2008–09	436.83
10.	2009–10	445
11.	2010–11	376
12.	2011–12	701.5
13.	2012–13	1252
14.	2013–14	809.43
15.	2014–15	771.82
16.	2015–16	562.65
17.	2016–17 (माह दिसम्बर, 16 तक)	424.00
	योग	**12190.23**

पुनः वृक्षारोपण में मुख्यतया शीशम, देशी बबूल, सफेदा, अरडू, खेजड़ी, झींझा के पौधे लगाये गये हैं।

राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम (National Bamboo Mission Programme)

यह योजना भारत सरकार के शत–प्रतिशत वित्तीय सहयोग से राज्य के उद्यान विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत वन विभाग को भी कार्य क्रियान्वयन हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस धनराशि से 8 वन विकास अभिकरणों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं राजसमंद द्वारा निम्न चार प्रकार की गतिविधियां क्रियान्वित की जाती हैं:

1. सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय पौधशाला
2. किसान प्रशिक्षण, तथा
3. क्षेत्र विस्तार (Captive Plantation)

बैम्बू मिशन :– राष्ट्रीय बैम्बू मिशन में चालू वित्तीय वर्ष में वर्ष 2015–16 तक कराए गए वृक्षारोपण कार्यों का संधारण किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 2 फरवरी, 2006 को राज्य के 6 जिलों यथा उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ तथा करौली में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना आरम्भ की गई थी। वर्तमान में यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। मनरेगा कार्यों की दिसम्बर, 2016 तक की प्रगति अग्रानुसार दृष्टव्य है।

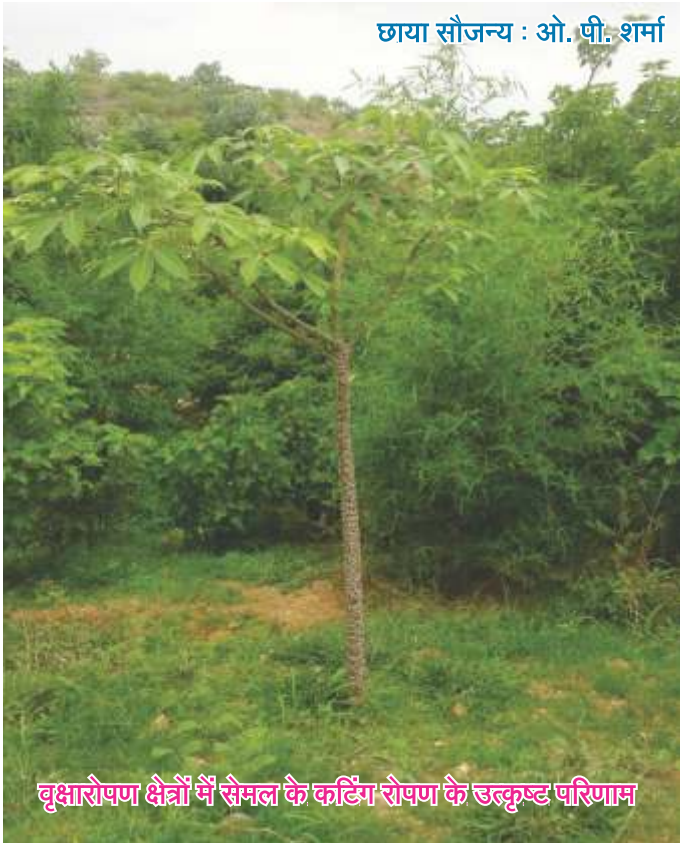
छाया सौजन्य : ओ. पी. शर्मा

वृक्षारोपण क्षेत्रों में सेमल के कटिंग रोपण के उत्कृष्ट परिणाम

मनरेगा अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का प्रगति विवरण

क्र.सं.	जिला	विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्य					कुल व्यय (लाख में)	सृजित मानव दिवस
		1.4.16 को चालू कार्य (संख्या)	2015-16 में स्वीकृत कार्य	कुल कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या	जिले में किए जा रहे कुल कार्यों का प्रतिशत		
1.	अजमेर	85	7	92	27	29.35	154.56	87739
2.	अलवर	383	42	425	160	37.65	464.16	207443
3.	बांसवाड़ा	568	6	574	61	10.63	323.49	163191
4.	बारां	114	67	181	25	13.81	184.58	94755
5.	बाड़मेर	58	1	59	24	40.68	22.65	8195
6.	भरतपुर	35	0	35	17	48.57	54.43	28367
7.	भीलवाड़ा	93	35	128	29	22.66	91.9	28762
8.	बीकानेर	682	30	712	492	69.1	484.79	141464
9.	बूंदी	159	13	172	18	10.47	177.43	81159
10.	चित्तौड़गढ़	144	22	166	15	9.04	129.36	56951
11.	चूरू	227	57	284	14	4.93	774.67	282519
12.	दौसा	8	0	8	7	87.5	0	0
13.	धौलपुर	22	0	22	6	27.27	0	0
14.	डूंगरपुर	193	18	211	38	18.01	147.35	57967
15.	हनुमानगढ़	15	0	15	6	40	10.09	4605
16.	जयपुर	80	0	80	16	20	8.69	4123
17.	जैसलमेर	543	5	548	65	11.86	293.62	125036
18.	जालौर	451	153	604	141	23.34	935.38	448420
19.	झालावाड़	295	133	428	81	18.93	176.69	130565
20.	झुंझुनूं	120	33	153	57	37.25	94.64	43523
21.	जोधपुर	323	4	327	13	3.98	295.75	119914
22.	करौली	75	0	75	54	72	0	0
23.	कोटा	183	52	235	45	19.15	325.86	173249
24.	नागौर	697	91	788	293	37.18	173.14	57998
25.	पाली	116	4	120	4	3.33	39.69	20635
26.	प्रतापगढ़	221	15	236	91	38.56	216.54	108501
27.	राजसमंद	156	0	156	24	15.38	18.42	6986
28.	सवाई माधोपुर	34	4	38	18	47.37	36.07	13515
29.	सीकर	154	14	168	27	16.07	45.04	15710
30.	सिरोही	87	0	87	20	22.99	9.48	5064
31.	श्रीगंगानगर	84	0	84	60	71.43	22.06	4835
32.	टोंक	34	5	39	5	12.82	46.53	33926
33.	उदयपुर	353	78	431	80	18.56	322.1	177512
	योग	**6792**	**889**	**7681**	**2033**	**26.47**	**6079.16**	**2732629**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 से 2015–16 में ईको रेस्टोरेशन मॉडल के अन्तर्गत पक्की दीवार निर्माण की सूचना

ईको रेस्टोशन मॉडल के आधार पर विभाग में निम्नानुसार पक्की दीवार बनाई जा चुकी है जिसके परिणाम उत्कृष्ट श्रेणी के हैं तथा वन क्षेत्र के घनत्व, वृक्षों के रिजनरेशन (regeneration) में आशातीत सफलता प्राप्त मिली है तथा वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास स्थल में भी काफी सुधार हुआ है।

वर्ष	स्वीकृत दीवार	निर्मित दीवार
2010–11	958.81	644.16
2011–12	905.04	307.90
2012–13	128.19	33.34
2013–14	73.45	29.08
2014–15	36.20	19.90
2015–16	11.30	5.80
योग	2101.69	1040.19

❁ महात्मा गांधी नरेगा योजना का वन विभाग की योनजाओं से अभिसरण (Convergence) कर कार्य सम्पादन

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों का वन विभाग की योजनाओं से अभिसरण (कन्वर्जेस) कर सम्पादित किया जावे। महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के लाइन विभागों की सहभागिता से सम्पादन हेतु मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के अनुसार वन विभाग द्वारा परियोजना तैयार कर सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की जाएगी। जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा तकनीकी स्वीकृति के आधार पर प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। जिला/खण्ड स्तरीय नरेगा दर अनुसूची के आधार पर कार्यों के तकमीने तैयार किये जावेंगे।

इस हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) के पत्रांक एफ.40 (76) ग्रावि/नरेगा/कन्वर्जेस–वन विभाग/2014 दिनांक 10 जून, 2015 से प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग एवं अति. मुख्य सचिव, वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित परिपत्र जारी किया गया है। जिसके अनुसार वन विभाग से सम्बन्धित करवाये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

1. वृक्षारोपण कार्य, 2. भू एवं जल संरक्षण कार्य, 3. ईको–रेस्टोरेशन कार्य, 4. पशु अवरोधक फेंसिंग/सूखे पत्थर/बोल्डर की दीवार आदि, 5. चरागाह विकास के कार्य, 6. नर्सरी निर्माण / सुधार के कार्य, 7. सड़क/नहर किनारे वृक्षारोपण, 8. बीजारोपण के कार्य, 9. मेढ बंधान, 10. फार्म पोण्ड निर्माण, 11. नाला बंधान/लघु स्टॉपडेम, 12. कृषि उद्यानिकी, 13. कृषि वानिकी।

जिसकी अनुपालना में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक विभाग द्वारा इस योजना में राशि ₹ 5472.34 लाख के कुल 460 कार्य प्रस्तावित हैं जिनमें से दिसम्बर, 2016 तक स्वीकृत कार्यों में से मनरेगा से भारित राशि ₹ 3157.34 लाख के कार्य तथा विभागीय योजनाओं से भारित राशि ₹ 1050.30 हैं।

❁ गूग्गल संरक्षण एवं विकास परियोजना

गूग्गल प्रदेश की एक मुख्य औषधीय प्रजाति है। राजस्थान में गूग्गल के संरक्षण व विकास के लिए केन्द्रीय औषधी पादप मण्डल के वित्तीय सहयोग से एक परियोजना 2008–09 से आरम्भ की गई है। इस परियोजना की कुल लागत ₹ 679.00 लाख है।

- **नवीन परियोजना :–** प्रदेश के उदयपुर संभाग के वनों में भी अनेक प्रकार के औषधीय पादप हैं। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 33 प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी व्यापारिक मांग अत्यधिक है। अतः उदयपुर क्षेत्र की संकटापन्न/लुप्त औषधीय पौधों के संरक्षण एवं विकास हेतु वन विभाग द्वारा एक परियोजना बनाई जाकर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गई, जिसकी राष्ट्रीय औषधीय पादप मण्डल नई दिल्ली से ₹ 723.13 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित थे :–

संकटापन्न/लुप्त प्रायः औषधीय पौधों की कृषि, वृक्षों के साथ–साथ झाड़ियां व बेलों का संवर्धन, आदिवासियों को शीघ्र लाभ देने के लिए औषधीय पौधों की उपलब्धता बढ़ाने, शोध एवं

शिक्षण, आजीविका एवं रोजगार सृजन, सटीक संसाधन सूची तैयार करना तथा तकनीक ज्ञान में वृद्धि करना आदि–आदि। यह परियोजना वर्ष 2010 से 2015 अर्थात् 5 वर्षों के लिए बनाई गई है। परियोजनान्तर्गत 900 हैक्टेयर वन क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।

उदयपुर संभाग में निम्न मेडिसिनल प्लान्ट्स तैयार किये जा रहे हैं :–

अरीठा, अर्जुन, बहेड़ा, बेल, बीजासाल, चिरौंजी, हरड़, महुआ, मौलश्री, पाडल, श्योनाक, अरनी, चिरमी, गिलोय, गूग्गल, हड्डीजोड़, जीवन्ती, कौंच, कलिहारी, मालकांगनी, शिकाकाई, सिन्दूरी, सफेद मूसली, अलोयवेरा, करंज इत्यादि।

वर्ष 2012–13 में वन विकास अभिकरण, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में दो नये प्रस्ताव नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, नई दिल्ली से क्रमश: ₹ 574.53 लाख 1000 हैक्टेयर में कार्य एवं ₹ 344.71 लाख 650 हैक्टेयर में कार्य हेतु स्वीकृति जारी की गई जिसमें वर्ष 2012–13 हेतु वन विकास अभिकरण, उदयपुर हेतु ₹ 229.81 लाख तथा वन विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ हेतु ₹ 137.88 लाख स्वीकृत की गई, जिसके विरुद्ध मय ब्याज राशि के क्रमश: ₹ 237.266 लाख तथा ₹138.2478 लाख व्यय किए गए। वर्ष 2013–14 में द्वितीय किस्त के रूप में वन विकास अभिकरण, उदयपुर हेतु ₹163.584 लाख तथा वन विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ हेतु ₹101.69 लाख की राशि आवंटित की गई तथा क्रमशः ₹122.48 लाख तथा ₹ 101.6922 लाख व्यय हुए।

अक्टूबर, 2016 तक वन विकास अभिकरण उदयपुर में ₹48.99 लाख तथा वन विभाग अभिकरण प्रतापगढ़ में तृतीय किश्त ₹ 102.88 के आवंटन के विरुद्ध ₹ 64.78 लाख का व्यय हुआ।

वर्ष 2013–14 में वन विकास अभिकरण, बांसवाड़ा, वन विकास अभिकरण, डूंगरपुर एवं वन विकास अभिकरण, चित्तौड़गढ़ में तीन नए प्रोजेक्ट के प्रस्ताव नेशनल मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली से क्रमश: ₹ 349.79 लाख 600 हैक्टेयर कार्य हेतु ₹294.78 लाख 500 हैक्टेयर कार्य तथा ₹ 304.62 लाख 500 हैक्टेयर कार्य हेतु स्वीकृति जारी की गई जिसमें 2013–14 में वन विकास अभिकरण, बांसवाड़ा हेतु ₹ 139.92 लाख

छाया : मनफूल विश्नोई

झालाना वन क्षेत्र में पाया गया दुर्लभ औषधीय पौधा नवपत्या (*Naringi crenulata*) जिसकी पत्तियों व छाल से ट्यूमर को रोकने वाला ईथानोल प्राप्त होता है

वन विकास अभिकरण, डूंगरपुर हेतु ₹ 117.91 लाख तथा वन विकास अभिकरण, चित्तौड़गढ़ हेतु ₹ 121.85 लाख की राशि आवंटित की गई। उक्त राशि के विरुद्ध क्रमश: ₹ 139.85 लाख, ₹ 117.91 लाख (जुलाई, 2014 तक) तथा ₹121.85 लाख (सितम्बर, 2014 तक) की राशि व्यय किए गए।

वन विकास अभिकरण बांसवाड़ा को द्वितीय किश्त ₹104.94 लाख आवंटित राशि के विरुद्ध ₹ 105.00 लाख मार्च, 2015 तक व्यय किये गये। वन विकास अभिकरण डूंगरपुर द्वारा द्वितीय किश्त ₹ 88.44 लाख के विरुद्ध ₹ 65.17 लाख अक्टूबर, 2016 तक व्यय किये गये। वन विकास अभिकरण चित्तौड़गढ़ को द्वितीय किश्त ₹ 91.39 लाख आवंटित राशि के विरुद्ध ₹ 62.7537 लाख अक्टूबर, 2016 तक व्यय किये गये।

वन विकास अभिकरण, बाँसवाड़ा को तृतीय किस्त राशि ₹104.93 लाख आवंटन के विरुद्ध ₹ 41.22 लाख अक्टूबर, 2016 तक व्यय किये गये।

वन विकास अभिकरण उदयपुर (उत्तर) को परियोजना संख्या सी.ओ.एन.एस./राज–01/2015 वर्ष 2015 में प्रारम्भ हुई। प्रथम किश्त ₹ 106.88 लाख की आवंटित राशि के विरुद्ध ₹ 107.06 की राशि सितम्बर, 2015 तक व्यय की गई।

वन विकास अभिकरण, उदयपुर (उत्तर) को द्वितीय किस्त ₹79.874 लाख आवंटन के विरुद्ध ₹ 23.362 लाख अक्टूबर, 2016 तक व्यय किये गये।

वन विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ को परियोजना संख्या सी.ओ.एन.एस./राज–01/2016 वर्ष 2016 में प्रारम्भ हुई। परियोजना 500 हैक्टेयर हेतु कुल लागत ₹ 344.55 लाख की है। प्रथम किस्त ₹ 137.82 लाख के आवंटन के विरुद्ध ₹137.17 लाख (अक्टूबर, 2016 तक) व्यय किये गये।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

प्रदेश में रियासत काल में कतिपय क्षेत्र घास–बीड़ के नाम से आरक्षित किए गए थे जहाँ घास का उत्पादन व संग्रहण होता था। स्वतंत्रता के पश्चात् ये घास बीड़ वन विभाग को हस्तान्तरित हो गए। इन घास बीड़ों पर विलायती बबूल (प्रेसोफिस जूलीफ्लेरा) तथा लैन्टाना बड़े पैमाने पर उग आया। इससे इन बीड़ों से घास की उत्पादकता कम हो गई। विभाग के पास पर्याप्त वित्त नहीं होने के कारण ये बीड़ सही प्रकार से प्रबन्धित नहीं हो सके और इन घास–बीड़ों से कृषकों की आवश्यकतानुसार घास का उत्पादन संभव नहीं रहा। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान के विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र से पूर्व में वर्ष पर्यन्त सेवन घास का उत्पादन होता था। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसे घास उत्पादक क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर व बीकानेर आदि जिलों में टुकड़ों के रूप में फैले हुए हैं। बाद में इन क्षेत्रों में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना आने के कारण इन क्षेत्रों का पारिस्थितिकी तंत्र बदल गया और घास उत्पादक क्षेत्र में कमी आई।

कृषकों की घास की मांग की आपूर्ति करने के लिए घास उत्पादक क्षेत्रों का जीर्णोद्धार आवश्यक हो गया है। राज्य सरकार ने इस कार्य का दायित्व वन विभाग को सौंपा कि विभाग मरुस्थलीय क्षेत्रों में तृण भूमि का विकास करें ताकि गांवों में चारे की पर्याप्त आपूर्ति हो सके, साथ ही साथ मरुस्थलीय जिलों से राज्य के पूर्वी भागों व अन्य निकटवर्ती राज्यों जैसे मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में पशुधन का आव्रजन नहीं हो।

घास बीड़ों के सुधार के लिए एक पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही है।

क्षेत्र – इस परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के पश्चिमी जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, पाली, सिरोही तथा जालौर में योजना अवधि में 10,000 हैक्टेयर तृण–भूमि उपचारित की जानी प्रस्तावित थी।

मरुस्थलीय जिलों में चारे की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना के अन्तर्गत 6 जिले यथा हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही एवं मरु विकास कार्यक्रम, जैसलमेर व पाली में वर्ष 2009–10 से 2014–15 तक कुल 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए राशि ₹2500.00 लाख की योजना स्वीकृत थी। कालान्तर में जोधपुर जिले में चारा विकास क्षेत्र निर्धारित लक्ष्य अनुसार उपलब्ध नहीं होने के कारण सिरोही जिले को भी योजना में शामिल किया गया है।

इस प्रकार कुल 8740 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यों के लक्ष्य अर्जित किये गये। जिसका विवरण निम्न सारणी में प्रस्तुत है:–

अर्जित उपलब्धि वर्षवार

क्र.सं.	नाम जिला	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	महायोग
1.	जोधपुर	0	850	240	0	0	0	1090
2.	पाली	110	690	150	0	0	0	950
3.	जालौर	0	450	50	0	0	0	500
4.	जैसलमेर	210	850	1400	0	0	0	2460
5.	सिरोही	0	0	116	379	95	0	590
6.	श्रीगंगानगर	0	700	700	0	0	0	1400
7.	हनुमानगढ़	80	620	700	0	0	350	1750
	योग	400	4160	3356	379	95	350	8740

इस योजना में वर्ष 2015–16 तक ₹ 2370.63 लाख व्यय हो चुके थे तथा अब वर्ष 2016–17 में 8740 हैक्टेयर संधारण कार्य विभागीय संसाधनों से कराया जा रहा है।

67वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव : राज्य का 67वाँ राज्य स्तरीय वन महोत्सव वन मण्डल झालावाड़ के ग्राम रूपपुरा बालदिया तहसील असनावर में दिनांक 21 जुलाई, 2016 को मनाया गया। समारोह की मुख्य अतिथि माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान, श्रीमती वसुंधरा राजे थीं। इस दिन प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन ब्लॉक्स में बनी जल संरचनाओं पर एक साथ वृक्षारोपण भी किया गया।

❁ परियोजना सूत्रीकरण एवं समन्वय

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवं समन्वय द्वारा विभाग हेतु नवीन परियोजना सूत्रीकरण एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया, माननीय वन मंत्री महोदय को वन विभाग से सम्बन्धित प्राप्त अभ्यावेदन एवं अन्य वी.वी.आई.पी. प्रकरणों के निस्तारण का कार्य किया जाता है।

विभाग हेतु हाल ही में तैयार नवीन परियोजना की स्थिति निम्न प्रकार है:–

- प्रदेश में गैर वन क्षेत्र में ट्री कवर को विकसित करने के लिए रुपये 18.31 करोड़ की NAFCC गाइड लाइन्स पर आधारित एक परियोजना माह अक्टूबर, 2016 को राज्य सरकार को प्रेषित की गयी है। परियोजना के अन्तर्गत 15 नयी नर्सरियां एवं 50 पुरानी नर्सरियों को विकसित/सुदृढ़ किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के अन्तर्गत विभागीय नर्सरियों में 1 करोड़ पौध तैयार किये जाने हैं। इस परियोजना अन्तर्गत अधिकतम लाभार्थियों (किसान/ ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति एवं ईको डवलपमेंट कमेटी इत्यादि) को पौध वितरण विभाग द्वारा किया जावेगा। इस परियोजना को मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान से जोड़ा गया है।
- नाबार्ड फेज–III को मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना से जोड़ा गया है एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट 2016 में इसकी घोषणा की गयी है। परियोजना लागत रुपये 157.61 करोड़ है।
- भारत सरकार के स्तर पर विभाग से सम्बन्धित लम्बित 6 प्रकरणों (Compandium of Pending Issues) में से 3 प्रकरणों में संक्षिप्त कार्यवाही कर राज्य सरकार को सूची से हटाये जाने की अभिशंषा के साथ भेजा गया है तथा 3 प्रकरण केन्द्र सरकार में लंबित हैं।
- राज्य सरकार द्वारा चाही गयी 'वाइल्ड लाइफ इन्टर्न' हेतु 'गाइड लाइन्स' तैयार कर वन्य जीव प्रभाग को प्रेषित की गयी।

❁ मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान

राजस्थान राज्य जल की उपलब्धता की दृष्टि से अभावग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ सतही जल की उपलब्धता अत्यन्त न्यून है। भू–जल उपलब्धता का परिदृश्य भी चिन्ताजनक है। प्रदेश के 90 प्रतिशत से अधिक ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता अभी तक सुनिश्चित नहीं हो सकी है। ग्रीष्मकाल में स्थिति और भी विषम हो जाती है। राज्य को प्राय: दुर्भिक्ष की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। अकाल की पुनरावृत्ति होते रहने से राज्य का ग्रामीण क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

इसी परिदृश्य के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम स्तर पर न्यूनतम जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु गत वर्ष मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के रूप में एक अनूठी पहल की गई है। इसके अन्तर्गत स्थानीय/ग्राम स्तर पर उपलब्ध जल संसाधन के संरक्षण, संग्रहण एवं संवर्धन हेतु आयोजना पूर्वक समन्वित प्रयास कर न्यूनतम जल उपलब्धता की दृष्टि से ग्रामों को स्वावलम्बी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के क्रियान्वयन हेतु 'फोर वाटर्स' संकल्पना को केन्द्र में रखा गया है।

योजना अन्तर्गत न्यूनतम जल की उपलब्धता के क्रम में प्राथमिकताएं निम्नानुसार प्रतिपादित की गई हैं:

1. (क) मानव हेतु उपयुक्त एवं सुरक्षित जल उपलब्धता;
   (ख) पशु पक्षियों हेतु वांछित जल उपलब्धता; तथा
   (ग) मानव के दैनिक उपयोगार्थ जल की उपलब्धता।
2. अकाल की विभीषिका के दुष्प्रभावों को कम करने, अल्पवृष्टि तथा असमय वृष्टि की स्थिति में खरीफ की

एम.जे.एस.ए. के अन्तर्गत राज्य में वन विभाग द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्यों की झलकियाँ

छाया सौजन्य : अजय गुप्ता

फसल को बचाने हेतु सिंचाई हेतु वांछित न्यूनतम जल उपलब्धता।

3. क्षेत्र में रबी सिंचाई हेतु जल उपलब्धता।

अभियान के उद्देश्य :–

1. ग्राम स्तर पर पेयजल, दैनिक उपयोग एवं पशु पक्षियों हेतु वांछित न्यूनतम जल उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. अकाल की विभीषिका के दुष्प्रभावों को यथासंभव न्यून करना।
3. जल संरक्षण एवं उपयोग के संदर्भ में आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करना।
4. आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि विधियों का उपयोग कर उपलब्ध जल का सर्वोत्तम उपयोग करना।
5. मृदा की गुणवत्ता, कृषि जलवायवी अनुक्षेत्र एवं जल उपलब्धता के तकनीकी मानदण्डानुसार फसलों एवं फसलचक्र प्रतिपादित करते हुए स्थानीय कृषकों को उपयोगार्थ प्रेषित करना।
6. बिन्दु संख्या 3 एवं 4 का अनुसरण करते हुए, कृषि, उद्यानिकी एवं वानिकी क्षेत्रफल एवं प्रति इकाई उपज में वृद्धि करना।
7. जल की क्षति तथा व्यर्थ होने से रोकना उपयोगकर्ता का दायित्व है, चाहे जल कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रहा हो अथवा दैनिक प्रयोग हेतु, इस जल क्षति को रोकना महत्त्वपूर्ण है। इसमें आज जन की सक्रियता तथा उनके द्वारा इस हेतु दर्शाये/सुझाये गये तौर तरीकों को प्रयोग करना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समुचित प्रचार–

प्रसार द्वारा आमजन को जागरूक करना।

जल संरक्षण, संग्रहण एवं संवर्धन गतिविधियों से सम्बद्ध तथा जल उपयोग से सम्बन्धित विभागों द्वारा राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं व कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिपादित मानदण्डों के अनुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में विकास कार्य निष्पादित किये जाने के उपरान्त स्वतंत्रता के 69 वर्षों पश्चात् भी पेयजल जैसी आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति संभव नहीं हो पाई है। अभियान के अन्तर्गत जल प्रबन्धन एवं जल उपयोग से सम्बन्धित समस्त विभागों को एक छत्र के अन्तर्गत लाकर समन्वित प्रयासों द्वारा ग्राम स्तर पर जल स्वावलम्बन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें राजकीय विभागों के अतिरिक्त, स्थानीय आमजन, गैर सरकारी संस्थाओं तथा उद्योग जगत के सामाजिक सरोकार शाखाओं की महती भूमिका प्रतिपादित की गई है।

अभियान के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय आयोजना प्राक्कलन तैयार करने में स्थानीय निवासियों एवं ग्राम सभा की अति महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रतिपादित की गई है। वस्तुत: आयोजना प्राक्कलन की सम्पुष्टि/संस्तुति की शक्तियां ग्राम सभा में निहित हैं।

भूजल पुनर्भरण, मृदा संरक्षण, जल ग्रहण एवं सिंचित क्षेत्र समन्वित विकास तथा नदी–नालों में अधिकाधिक समय तक जल उपलब्धता बनाए रखने के परिप्रेक्ष्य में संकल्पान्तर्गत निष्पादित किये जा रहे कार्यों की ग्राम स्तरीय जल स्वावलम्बन अर्जित करने में महती भूमिका रहेगी।

एम.जे.एस.ए. के अन्तर्गत राज्य में वन विभाग द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्यों में जनसहभागिता की झलकियाँ छाया सौजन्य : अजय गुप्ता

एम.जे.एस.ए. के अन्तर्गत गंगानगर के 19 एस.डी. में निर्मित पानी की डिग्गी। इसका ऊपर से आकार 72x72 फीट नीचे से 42x42 फीट तथा गहराई 10 फीट है।

छाया सौजन्य : सुधीर शर्मा

परियोजना क्रियान्वयन

''मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान'' का नोडल विभाग जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग है। राज्य में अभियान के सुचारु क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान का क्रियान्वयन कृषि विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, महात्मा गांधी नरेगा योजना, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, उद्यानिकी विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं, जल एवं स्वच्छता समिति, ग्राम विकास मण्डल (रजिस्टर्ड संस्थाएं) भूजल विभाग, जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत विभाग/संस्था/संस्थान/विशेषज्ञ द्वारा किया जा रहा है।

वन विभाग द्वारा अभियान का क्रियान्वयन

वन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान फेज प्रथम के अन्तर्गत 3529 गांव में वन विभाग द्वारा 6634 कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराया गया। करवाये गये कार्यों में मुख्यतया मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के रूप में परकोलेशन टैंक, चैकडेम, गेबियन स्ट्रक्चर, जल संरक्षण संरचनाएं, नाड़ी निर्माण, तलाई निर्माण, कन्टूर ट्रेंच पुराने मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुराने वृक्षारोपण क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण, वृक्ष कुंज की स्थापना, वन्यजीव क्षेत्रों में जल बिन्दु (वाटर होल) का निर्माण आदि है। जल संरक्षण कार्यों के अलावा अभियान के अन्तर्गत पौधारोपण कार्यक्रम के तहत लगभग 28 लाख पौधों का पौधारोपण किया गया।

अभियान के प्रथम चरण में वन विभाग द्वारा सम्पादित कार्य

गतिविधि	संख्या
परकोलेशन टैंक एवं अन्य जल भण्डारण संरचनायें/कार्य	1250
गहरी सी.सी.टी.व अन्य ट्रेंच कार्य	540
जल संरक्षण संरचनाएं व एनीकट	94
वृक्ष कुंज एवं अन्य वानिकी गतिविधियां	153
लूज स्टोन चैकडेम, गेबियन व अन्य संरचनाएं	4340
जीर्णोद्धार/गहराई बढ़ाना/पुनर्स्थापना कार्य	186
अन्य	71
कुल योग	**6634**

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान-2

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के द्वितीय फेज में प्रस्तावित 4200 गांवों में वन विभाग द्वारा 18890 कार्य लगभग ₹ 320 करोड़ की राशि के प्रस्तावित किये गये हैं। इन प्रस्तावित कार्यों में मुख्यत: परकोलेशन टैंक, चैकडेम, गेबियन स्ट्रक्चर, जल संरक्षण संरचनाएं, नाड़ी निर्माण, तलाई निर्माण कन्टूर ट्रेंच, पुराने मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं का जीर्णोद्धार, वृक्ष कुंज की स्थापना आदि है। इसके अतिरिक्त विभाग की विभिन्न योजनाएं यथा नाबार्ड, कैम्पा, आरएफबीपी-2 एवं राज्य योजना के विभिन्न वृक्षारोपण कार्य जो 19000 हैक्टेयर में करवाये जायेंगे को मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान से Convergence किया गया है। इन कार्यों की लागत 70 करोड़ के लगभग है। अभियान के द्वितीय फेज में लगभग एक करोड़ पौधे विभिन्न कार्य स्थलों पर लगाये जाने प्रस्तावित है।

अभियान अन्तर्गत चयनित गांवों में 1 हैक्टेयर क्षेत्रफल के लगभग 1000 वृक्षकुन्ज की स्थापना की जावेगी, प्रत्येक वृक्षकुन्ज में लगभग 200 बड़े पौधों (Tall Plants) का रोपण वन महोत्सव के रूप में स्थानीय ग्रामवासियों/जनप्रतिनिधियों/स्कूल विद्यार्थियों के सहयोग से समारोहपूर्वक आयोजित किया जावेगा।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, शहरी (Urban) क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य में 69 शहरी वनीकरण के कार्य प्रस्तावित किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत शहर के समीप वन क्षेत्र/अन्य क्षेत्रों में प्रति हैक्टेयर 250 पौधों का पौधारोपण किया जावेगा। इस वनीकरण कार्य में प्रति हैक्टेयर क्षेत्र में लगभग पचास पौधे बड़, पीपल, गूलर इत्यादि प्रजातियों का भी रोपण किया जावेगा।

राज्य की महत्त्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन के अन्तर्गत किये गये कार्यों व वृक्षारोपण कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी सराहना की गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रों से आये प्रतिनिधियों द्वारा भी मरु प्रदेश के इस जल संरक्षण अभियान की मुक्तकंठ से प्रशंसा की गई है।

एम.जे.एस.ए. के अन्तर्गत दीनारपुरा फतेहपुर, सीकर में पुराने जोहड़ का जिर्णोद्धार

छाया सौजन्य : अजय गुप्ता

• विकास कार्यों का तीन वर्ष का तुलनात्मक विवरण

आय–व्यय एवं विकास कार्यों का गत तीन वर्षों का तुलनात्मक विवरण निम्नांकित सारणियों में दृष्टव्य है :–

महत्त्वपूर्ण भौतिक उपलब्धियाँ

योजना	ईकाई	उपलब्धि वर्ष			
		2013–14	2014–15	2015–16	2016–17 (दिसम्बर, 2016 तक)
वानिकी					
पौध तैयारी	लाख	60	60.28	36.30	8.16
पर्यावरण वानिकी वृक्षारोपण	है.	300	329.3 है.	150 है.	150
भाखड़ा नहर वृक्षारोपण	आर.के.एम.	714	576.8 किमी.	353.97	655
गंगनहर वृक्षारोपण	आर.के.एम.	744	737 किमी.	630.00	360
भू–संरक्षण पर्वतीय एवं कन्दरा क्षेत्र वृक्षारोपण	है.		200	132 (अग्रिम कार्य)	132 (वृक्षारोपण)
आर.एफ.बी.पी. वृक्षारोपण	है.	10930	20515	1993	26407
तेरहवां वित्त आयोग 1 पक्की दीवार, 2 सीमा स्तम्भ	आर.के.एम./सं.	100.724 4057	80.36 4841	योजना अवधि 2014–15 में पूर्ण	–
परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण	है.	5000	6318	4000	7000
जलवायु परिवर्तन वृक्षारोपण	है.	1746	1083	3000	4000
नाबार्ड वनीकरण वृक्षारोपण	है.	29464	22046	28840	12550
SFDA	है.	600	2425	800	–
CAMPA	है.	3822.32	2837.06	9003.94	7996.28

आय–व्यय का विवरण

(₹ लाखों में)

वर्ष	कुल राजस्व	व्यय			
		योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	गैर आयोजना	योग
2011–12	7375.95	9839.27	6565.05	36572.11	52976.43
2012–13	9006.25	21020.22	6096.75	40071.00	67187.97
2013–14	7627.12	39986.36	1916.50	42658.88	84561.74
2014–15	5128.44	49248.86	1618.73	35138.04	86005.63
2015–16	13181.15	56338.86	1140.32*	51342.81	107681.67
2016–17 (दिसम्बर, 2016 तक)	7402.09	19088.19	110.97*	39704.37	58792.56

(*योजना व्यय में सम्मिलित)

5

मृदा एवं जल संरक्षण

नदी-घाटी परियोजनाएं

सिंचाई, विद्युत एवं पीने के पानी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नदियों पर बांधों का निर्माण किया गया है। बांधों की उपयोगिता अधिकतम समय तक बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जलाशयों में मिट्टी की आवक को न्यूनतम रखा जावे। बांधों के निर्माण के पश्चात् सामान्यतया साद उत्पादन दर (Sediment Production Rate) अधिक हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप जलाशयों की भराव क्षमता तीव्र गति से कम होती जाती है। साद उत्पादन दर को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रवर्तित नदी घाटी परियोजना जल ग्रहण क्षेत्रों में भू-संरक्षण परियोजना प्रारम्भ की गई। संक्षिप्त में इन्हें नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। राजस्थान में चम्बल, माही, दांतीवाड़ा एवं साबरमती नदी घाटी परियोजनाएं क्रमश: वर्ष 1962, 1969, 1970 एवं 2003 से प्रारम्भ की गई हैं। चम्बल नदी पर निर्मित गांधीसागर, राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध, माही नदी पर निर्मित माही बजाज सागर एवं कडाना बांध वैस्ट बनास पर निर्मित दांतीवाड़ा बांध एवं साबरमती नदी पर साबरमती बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्तमान में भू-संरक्षण परियोजना संचालित है।

वर्ष 2015-16 तक कुल 325 जलग्रहण क्षेत्र उपचारित किये जा चुके हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 603.59 वर्ग किमी. है।

छाया सौजन्य : अजय गुप्ता

परकोलेशन टैंक, उपजलग्रहण क्षेत्र, गुढ़ा केशरसिंह जिला पाली

प्रदेश में उपचारित की जा रही नदियों के आवाह क्षेत्र की कुल भूमि इस प्रकार है:-

क्र.सं.	नाम नदी	कुल आवाह क्षेत्र (वर्ग किमी.)	प्रदेश में आवाह क्षेत्र (वर्ग किमी.)
1.	चम्बल	26944	3929
2.	माही	32280	15770
3.	दांतीवाड़ा	2636	1826
4.	साबरमती	5466	3437
	कुल	**67326**	**24962**

उद्देश्य :- इन भू-संरक्षण परियोजनाओं के निम्न उद्देश्य हैं :

1. जलग्रहण क्षेत्रों में बहु आयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपतन (Degradation) को रोकना।
2. जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि की योग्यता एवं नमी सोखने की प्रवृत्ति (Water Holding Capacity) को सुधारना आद्रता की प्रवृत्ति को सुधारना।
3. अनुकूल भूमि उपयोग (Appropriate Land Use) प्रोत्साहित करना।
4. नदी घाटी परियोजना अन्तर्गत जलाशयों को साद से पटने से बचाने के लिए मृदा क्षरण (Soil Erosion) को रोकना।
5. जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिश्चित करना।
6. भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा जारी कार्य निर्देशिका 2008 अनुसार अति उच्च, उच्च एवं इनके समीपतम (Contiguous) मध्यम, कम व बिल्कुल कम प्राथमिकता के वाटरशेड में स्थित कृषि, बंजर एवं वन भूमि को उपचार रणनीति के तहत उपचारित किया जाता है।

उपचार की रणनीति (Strategy of Treatment):-

जलग्रहण क्षेत्र के उपचार हेतु निम्न रणनीति प्रतिपादित की गई है:–

1. मौजूदा वनों की सुरक्षा कर वनस्पति घनत्व बढ़ाना।
2. पहाड़ों से बहकर आते जलग्रहण के वेग को कम करना।
3. नमी संरक्षण।
4. उबड़–खाबड़ बंजर भूमि के विस्तार की रोकथाम एवं समतलीकरण।
5. असमतल कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि रकबा बढ़ाना।
6. भू–क्षरण की रोकथाम।
7. अतिरिक्त जलप्रवाह को रोककर फसल उत्पादन को बढ़ाना।
8. स्थानीय किसानों को भू–संरक्षण की नवीन तकनीक से अवगत कराना।
9. स्थानीय लोगों के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाना।

उक्त समस्त कार्यों का एकीकृत प्रबंधन कर क्षेत्र का व्यापक विकास ही इस रणनीति का उद्देश्य है।

साद अध्ययन : (Hydrological & Sediment Monitoring)

साद अध्ययन हेतु ऐसे उप जलग्रहण क्षेत्रों का चयन किया जाता है जहां एक मुख्य नाला उक्त उप जलग्रहण क्षेत्र में से निकलता हो एवं वर्षा का अधिकतर जल उस नाले में से गुजरता हो। साद अध्ययन कार्य नाले के आखिरी बिन्दु पर किया जाता है। इसमें नाले में गेज लगाकर/सिल्ट मॉनिटरिंग स्टेशन (एस.एम.एस.) का निर्माण कर साद अध्ययन किया जाता है एवं संकलित रेनफाल, रनऑफ एवं सेडीमेंट डेटा भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं। वर्ष 2015–16 में भारत सरकार की दिशा निर्देशिका (Operational Guideline 2008) अनुसार निम्नानुसार उप जलग्रहण क्षेत्रों में साद अध्ययन कार्य करवाया गया।

फार्म पौंड – एस.डब्ल्यू.एस. गुन्सी, जिला टोंक

छाया सौजन्य : अजय गुप्ता

क्र.सं.	परियोजना	साद स्थलों की संख्या जिन पर साद अध्ययन करवाया गया 2016–17
1.	चम्बल	2
2.	माही	4
3.	दातीवाड़ा	1
4.	साबरमती	1
	योग	**8**

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र (I.M.D.) पूना से अनुबंधित दो मौसम वैधशालाएं जो क्रमश: चम्बल परियोजना अन्तर्गत चारभुजा (रावतभाटा) में एवं माही परियोजना अन्तर्गत प्रतापगढ़ में स्थापित की हुई है जिनमें मौसम सम्बन्धी आंकड़े (Rainfall, Temperature Humidity, Vapour pressure, Wind velocity, Wind Direction, Sun shine hours, Weather report & Soil temperature etc.) संकलित कर पीरियड अनुसार I.M.D. पूना केन्द्र को भिजवाये गए।

उपजलग्रहण क्षेत्र भाकलिया जिला–भीलवाड़ा में उपचार उपरांत कुए में बढ़ा जल स्तर

छाया सौजन्य : अजय गुप्ता

डिवीजन सेटअप :

नदी घाटी परियोजना मुख्यालय कोटा में स्थित है जहाँ मुख्य वन संरक्षक आर.वी.पी. पदस्थापित हैं जिनके अधीन तीन डिवीजन कार्यरत हैं।

वर्ष 2016–17 एक्शन प्लान एवं उपलब्धि :–

वर्ष 2016–17 की अनुमोदित कार्य योजना राशि ₹1394.32 लाख है जिसका विवरण निम्मानुसार है :–

क्र.सं.	केचमेंट	आर.वी.पी. की वर्ष 2016–17 अनुमोदित कार्य योजना एवं 12/2016 तक उपलब्धि					
		अनुमोदित कार्य योजना वर्ष 2016–17			उपलब्धि 12/2016 तक		
		भौतिक (है.)	स्ट्रक्चर (न.)	वित्तीय (₹ लाख में)	भौतिक (है.)	स्ट्रक्चर (न.)	वित्तीय (₹ लाख में)
1.	चम्बल	10	0	48.827	10	0	5.23
2.	माही	1323	315	240.66	392	113	29.22
3.	दांतीवाड़ा	326	350	308.83	1472	1103	382.44
4.	साबरमती	3902	2063	796.00			
	योग	**5561**	**2728**	**1394.32**	**1874**	**1216**	**416.89**

उपलब्धियां : चम्बल, माही, दांतीवाड़ा एवं साबरमती कैचमेंट अन्तर्गत पिछले 14 वर्षों के दौरान उपचारित भूमि में निर्मित संरचनाओं एवं व्यय राशि विवरण निम्नानुसार है।

उपजलग्रहण क्षेत्र असोली भीलवाड़ा में निर्मित परकोलेशन टैंक

छाया सौजन्य : अजय गुप्ता

वर्ष वार उपलब्धि की स्थिति (2002-03 से 2015-16)

वर्ष	उपलब्धि		
	भौतिक (है.)	संरचना (संख्या)	वित्तीय (₹ लाख)
2002-03	9147	3919	466.44
2003-04	8214	5008	602.63
2004-05	8554	5052	653.72
2005-06	13543	4105	723.55
2006-07	14049	4935	956.98
2007-08	12674	5506	1047.71
2008-09	16870	6787	1277.21
2009-10	11394	4698	1038.01
2010-11	19577	5906	1098.00
2011-12	11635	4536	1108.83
2012-13	7980	4343	1269.55
2013-14	1494	2632	563.583
2014-15	11420	6577	1614.43
2015-16	10623	5163	1597.94

Representation of Saturated area up to 2015-16, Ongoing area & Balance area in Chambal Mahi, Dantiwara & Sabarmati catchment.

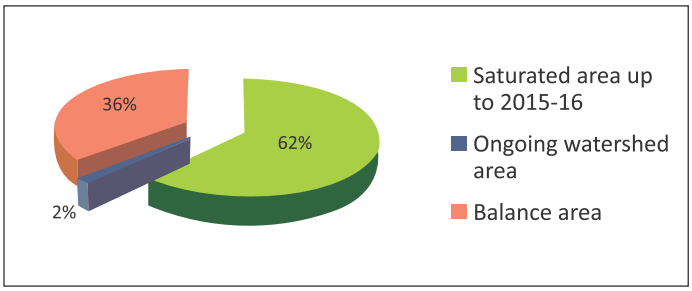

CHAMBAL

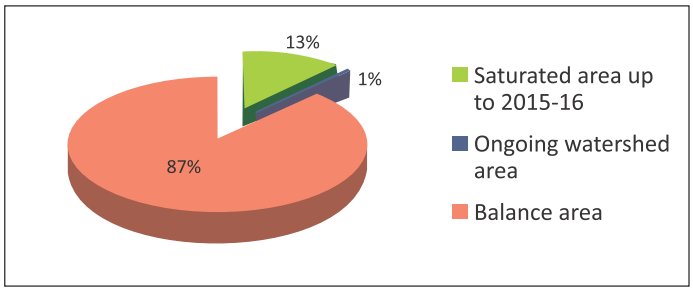

MAHI

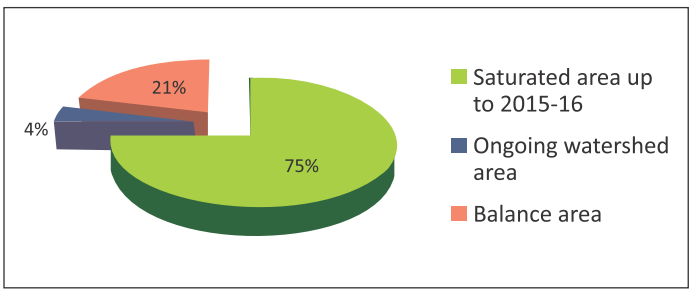

DANTIWARA

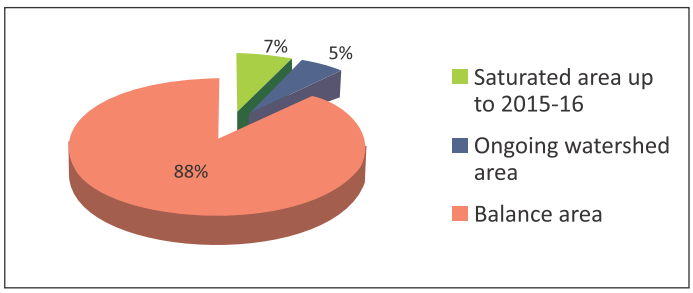

SABARMATI

बाढ़ संभावित नदी परियोजनाएं

आजादी के पश्चात् भारत सरकार द्वारा ढाँचागत विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई व कृषि पैदावार बढ़ाने हेतु नदियों पर बांधों का निर्माण किया गया। जिस तरह बांधों में नदी के जलग्रहण क्षेत्र से बहकर आने वाली मिट्टी व जमाव को रोकने/कम करने हेतु नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई, उसी तरह कालान्तर में यह महसूस किया गया कि कुछ नदियों में बाढ़ की समस्या के कारण जान–माल के अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि का भी नुकसान हो रहा था उसी के मध्य नजर पांचवी पंचवर्षीय योजना से बाढ़ उन्मुख नदियों को भी केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं में शामिल किया गया। उसी के क्रम में वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना संचालित की जा रही है। बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना के अन्तर्गत बनास व लूणी नदी परियोजनाएं एवं नम भूमि संरक्षण परियोजनान्तर्गत सांभर नम भूमि उपचार योजना के अभियांत्रिकी कार्य मुख्य वन संरक्षक, बाढ़ संभावित नदी परियोजना, जयपुर के नियंत्रण में करवाये जा रहे हैं तथा इनके अधीन कार्यालय भू संरक्षण अधिकारी (वानिकी) टोंक, वरिष्ठ योजना अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी, बनास नदी परियोजना भीलवाड़ा, भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि) बनास नदी परियोजना सवाईमाधोपुर, भू–संरक्षण अधिकारी, सोजत रोड (पाली) में कार्यरत है।

उक्त परियोजनाओं के तहत मुख्यत: बनास, लूणी व इनकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा व जल संरक्षण हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य करवाये जा रहे हैं। मृदा व जल संरक्षण कार्य कृषि, बंजर एवं वन भूमि पर करवाये जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्गमित नालों का उपचार (Drainage Line Treatment) भी किया जा रहा है।

इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य :– जलग्रहण क्षेत्र में बहुआयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपतन (Degradation) को रोकने, जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि की योग्यता एवं नमी सोखने (Water holding capacity) तथा आर्द्रता की प्रवृत्ति को सुधारना, अनुकूल भू उपयोग (Appropriate land use) प्रोत्साहित करना, जलप्रवाह तथा अधिकतम जल प्रवाह आयतन कम करना,

जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंध में जन भागीदारी सुनिश्चित करना तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बाढ़ संभावित बनास व लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य कराने हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत बनास/लूणी नदी क्षेत्र में 16160 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार तथा 1857 संरचनाओं का निर्माण एवं राशि ₹ 2176.73 लाख का व्यय किया गया।

छाया सौजन्य : अजय गुप्ता

उपजलग्रहण क्षेत्र–8, अमरगढ़ (अगस्त, 2016)

नाम योजना	उपजलग्रहण क्षेत्र की संख्या	वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपचारित जलग्रहण क्षेत्रों की संख्या		
		हैक्टेयर	जलग्रहण संरचनाओं की संख्या	राशि ₹ लाखों में
एफपीआर बनास व लूणी परियोजना	27	16160	1857	2176.73

बनास व लूणी परियोजना में चालू वर्ष के लिए आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत ₹ 2992.11 लाख की कार्ययोजना कृषि विभाग को प्रेषित की गई है। जिसके अन्तर्गत 27 उप जलग्रहण क्षेत्रों में विकास कार्य करवाये जाने हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त प्रावधान से बनास व लूणी परियोजना में कुल 27 उप जलग्रहण क्षेत्रों में 16426 हैक्टेयर क्षेत्र में ₹ 2992.11 लाख के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर, 2016 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत निम्नानुसार विकास कार्य सम्पादित करवाये गये:–

नाम योजना	उपजलग्रहण क्षेत्र की संख्या	दिसम्बर, 2016 तक उपचारित जलग्रहण क्षेत्रों की संख्या		
		हैक्टेयर	जलग्रहण संरचनाओं की संख्या	राशि ₹ लाखों में
एफपीआर बनास व लूणी परियोजना	27	6691	471	812.82

6

मूल्यांकन एवं प्रबोधन

वन विभाग द्वारा राजस्थान में वृहद् स्तर पर वानिकी विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। इन विकास कार्यों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक गुणवत्ता विदित करने एवं सुनिश्चित करने के लिए विभाग में राज्य स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ गठित किया है जो अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, राजस्थान के नेतृत्व में कार्य करता है।

संभागीय स्तर पर संपादित वानिकी विकास कार्यों के मूल्यांकन एवं मुख्यालय के निर्देशों की पालना हेतु कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षकों में कार्यरत उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन के नेतृत्व में मूल्यांकन इकाइयां उपलब्ध मानव एवं बजट संसाधनों के अनुसार कार्य करती हैं। ये इकाइयां वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन, राजस्थान/अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, राजस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में रहकर उनके निर्देशानुसार कार्य करते हैं।

इन इकाइयों को समय-समय पर मुख्यालय से आदेश प्रसारित कर विभिन्न वन मण्डलों के चयनित कार्यों एवं अन्य कार्यों के मूल्यांकन कार्य हेतु निर्देशित किया जाता है। ये इकाइयां मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता बनाए रखते हुए कार्य करते हैं एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई.) को प्रेषित करते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा समवर्ती मूल्यांकन हेतु समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये हैं। इन परिपत्रों/आदेशों के अनुसार ही मूल्यांकन इकाइयों द्वारा मूल्यांकन कार्य कर मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

मूल्यांकन इकाइयों के कार्य

संभाग स्तर पर सृजित इकाइयों द्वारा चयनित कार्य स्थलों पर शत प्रतिशत या सैंपलिंग पद्धति से मूल्यांकन कार्य किया जाता है।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम एण्ड ई द्वारा जारी

छाया सौजन्य : एम.एण्ड ई. प्रभाग

वृक्षारोपण कोरसीना रेंज दूदू वर्ष 2013-14 मद आर.एफ.वी.पी.-2 का मूल्यांकन करते वनकर्मी

आदेशों के अनुरूप चयनित कार्यों का मूल्यांकन संभाग में पदस्थापित इकाई द्वारा विभागीय दिशा निर्देशानुसार किया जाता है। मूल्यांकन के दौरान इकाई द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार निम्न कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है-

- कार्यस्थल से सम्बन्धित क्षेत्र का माइक्रोप्लान।
- कार्यस्थल की उपचार योजना।
- कार्यस्थल का मानचित्र मय मृदा मानचित्र।
- कार्यस्थल का चयन मॉडल के अनुरूप किया गया हो।
- कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन।
- बाड़बंदी की प्रभावितता।
- वृक्षारोपण हेतु करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से।

- वृक्षारोपण हेतु पौधों की सुनिश्चितता हेतु नर्सरी व्यवस्था।
- किये गये वृक्षारोपण की तकनीक।
- वृक्षारोपण में लगाये गये पौधों की प्रजाति का चयन।
- वृक्षारोपण पश्चात् करवाये जाने वाले विभिन्न संधारण कार्यों सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन्स की स्थिति।
- पौधों के विकास की स्थिति।
- पौधारोपण की सुरक्षा एवं संधारण की स्थिति।
- पौधारोपण स्थल से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड के संधारण की स्थिति।
- वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यों आदि में सक्रियता की स्थिति।

मूल्यांकन के उपरान्त मूल्यांकन इकाई द्वारा मूल्यांकन के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा सम्बन्धित उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा कार्यस्थल प्रभारी से की जाती है। वृक्षारोपण में पाई गई विभिन्न कमियों तथा सुधार के सम्बन्ध में मूल्यांकन इकाई अपना प्रतिवेदन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम एण्ड ई को प्रस्तुत करती है।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम एण्ड ई राजस्थान के स्तर पर इस प्रकार प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाकर वृक्षारोपण के सम्बन्ध में सुधारात्मक सुझाव एवं सुधार हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु संभागीय स्तर पर पदस्थापित मुख्य वन संरक्षक को आवश्यकतानुसार दिशानिर्देश प्रदान किये जाते हैं।

संभाग पर कार्यरत मूल्यांकन दलों द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों के सम्पादित मूल्यांकन कार्यों की संभागवार/वर्ष वार स्थिति:-

वर्ष 2013-14

क्र.सं.	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइटों की संख्या					अग्रिम कार्यों की साइटों की संख्या	अन्य कार्य (पिलर्स वाचटावर्स आदि)	योग
		40 प्रतिशत से कम	40-60 प्रतिशत	60-80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जयपुर	1	1	4	10	16	20	0	36
2.	कोटा	2	2	4	4	12	8	10	30
3.	उदयपुर	1	0	4	18	23	45	2	70
4.	जोधपुर	0	0	14	6	20	9	0	29
5.	भरतपुर	0	0	3	4	7	17	0	24
6.	बीकानेर	0	18	10	1	29	0	9	38
7.	अजमेर	1	5	12	18	36	14	0	50
	योग राजस्थान	**5**	**26**	**51**	**61**	**143**	**113**	**21**	**277**

वर्ष 2014–15

क्र.सं.	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइटों की संख्या					अग्रिम कार्यों की साइटों की संख्या	अन्य कार्य (पिलर्स वाचटावर्स आदि)	योग
		40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जयपुर	2	4	9	19	34	24	0	58
2.	कोटा	2	6	11	1	20	24	35	79
3.	उदयपुर	1	4	18	30	53	77	10	140
4.	जोधपुर	0	0	17	11	28	9	1	38
5.	भरतपुर	0	7	17	7	31	25	36	92
6.	बीकानेर	3	4	4	3	14	22	0	36
7.	अजमेर	0	8	11	21	40	28	3	71
	योग राजस्थान	**8**	**33**	**87**	**92**	**220**	**209**	**85**	**514**

वर्ष 2015–16

क्र.सं.	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइटों की संख्या					अग्रिम कार्यों की साइटों की संख्या	अन्य कार्य (पिलर्स वाचटावर्स आदि)	योग
		40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जयपुर	4	12	15	2	33	4	0	37
2.	कोटा	0	20	7	0	27	0	0	27
3.	उदयपुर	0	9	6	2	17	0	1	18
4.	जोधपुर	0	5	7	3	15	4	0	19
5.	भरतपुर	4	14	11	0	29	4	1	34
6.	बीकानेर	2	19	18	6	45	0	0	45
7.	अजमेर	1	8	6	1	16	0	0	16
	योग राजस्थान	**11**	**87**	**70**	**14**	**182**	**12**	**2**	**196**

वर्ष 2016–17 के दौरान 01.04.2016 से 31.12.2016 तक मूल्यांकन इकाइयों द्वारा सम्पादित मूल्यांकन कार्यों की संभागवार स्थिति

क्र.सं.	नाम संभाग	कैम्पा	आर एफ बी पी–II	नाबार्ड	अन्य योजनाएं	योग
1.	अजमेर	6	5	6	8	25
2.	भरतपुर	2	0	11	0	13
3.	बीकानेर	0	10	0	2	12
4.	जयपुर	6	7	0	1	14
5.	जोधपुर	0	9	1	7	17
6.	कोटा	6	0	24	6	36
7.	उदयपुर	4	2	6	6	18
	योग	**24**	**33**	**48**	**30**	**135**

स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा विभागीय कार्यों का मूल्यांकन

वर्ष 2016–17 में कैम्पा के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 तक करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यों का तृतीय पक्ष शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (आफरी) के माध्यम से मूल्यांकन करवाया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में आफरी द्वारा मूल्यांकन की अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

रेंज बस्सी वृक्षारोपण चापड़िया–II वर्ष 2014–15, मद राज्य योजना का मूल्यांकन करते वनकर्मी

वृक्षारोपण रूपगढ़ रेंज दांता (सीकर) वर्ष 2014, मद कैम्पा का मूल्यांकन करते वनकर्मी

छाया सौजन्य : एम.एण्ड ई. प्रभाग

7

वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन

जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के उपरान्त भी राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किये गये सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप देश–विदेश से लाखों पर्यटक इन वन्य जीवों के स्वच्छन्द विचरण के अवलोकन हेतु राजस्थान में स्थित अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में आते है। विश्व में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों व पक्षियों को संरक्षण देने में राज्य का वन विभाग महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। इन दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 अभयारण्य एवं 11 कन्जर्वेशन रिजर्व स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 11243.02 वर्ग किमी. है। उक्त का विवरण परिशिष्ट–4 पर दृष्टव्य है।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है। वर्तमान में अच्छे एवं सघन वन क्षेत्र मुख्यत: अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित हैं, जिन पर आसपास में विद्यमान आबादी के कारण अत्यधिक जैविक दबाव बना रहता है। इस जैविक दबाव के कारण वन्य जीव प्रबंधकों एवं स्थानीय ग्रामवासियों के मध्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को लेकर प्रतिस्पर्धा की स्थितियां भी पैदा होती हैं। इस तनाव एवं प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से लगे बफर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, ताकि अतिरिक्त जैविक दबाव से निरन्तर ह्रास हो रहे वन्य जीव क्षेत्रों में वन्य जीवों के लिए पानी, आवास एवं भोजन आदि की सुविधाओं का विकास हो सके। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन्य जीव क्षेत्रों में ढांचागत विकास, हैबीटाट सुधार, जल संसाधनों का विकास, अग्नि निरोधक कार्य एवं वन पथों को विकसित किया जा रहा है।

वन्य जीव प्रभाग के अधीन वर्तमान में सम्पादित की जा रही महत्त्वपूर्ण गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. **वार्षिक योजनाएं :** राज्य में स्थित वन्य जीव अभयारण्यों एवं टाईगर रिजर्व क्षेत्रों में वन्य जीव प्रबन्धन के लिए वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना, स्टेट कैम्पा, नाबार्ड, आर.एफ.बी.पी.–2, राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जर्वेशन सोसायटी में स्वीकृत प्रावधानों से भी वन्य जीव संरक्षण कार्य करवाये जा रहे हैं। रणथम्भौर, सरिस्का बाघ परियोजना संरक्षण सोसाईटी में जमा राशि से अतिरिक्त विकास कार्य कराया जाता है।

बाघ परियोजना, सरिस्का का एक मनोरम दृश्य
छाया : मनोज पाराशर

अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं टाईगर रिजर्व्स की वार्षिक कार्य योजनाएं प्रतिवर्ष तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती हैं। अभयारण्यों में सुरक्षा, ढांचागत विकास, आवास स्थलों का विकास, जल प्रबंधन, ईको–डवलपमेंट गतिविधियां एवं प्रसार व प्रचार कार्य किये जाते हैं।

2. राज्य में 5 जन्तुआलय जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर में स्थित है, जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित ''कॉन्सेप्ट प्लान'' के अनुसार जोधपुर, उदयपुर एवं जयपुर में स्थित जन्तुआलयों के सैटेलाइट केन्द्र क्रमश: 1. माचिया जैविक उद्यान 2. सज्जनगढ जैविक उद्यान एवं 3. नाहरगढ़ जैविक उद्यान चरणबद्ध तरीके से विकसित किए गए हैं। कोटा में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क व बीकानेर में मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान महत्त्वपूर्ण गतिविधियां

1. राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 के बजट अनुमानों में वन्य जीव संरक्षण हेतु 7121.61 लाख का प्रावधान स्वीकृत है जिसमें से ₹ 2261.64 लाख केन्द्रीय प्रवर्तित योजना एवं 4859.97 लाख राज्य योजना के अन्तर्गत है।

''इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स''

भारत सरकार द्वारा इस योजना का फंडिंग पैटर्न वर्ष 2015–16 से परिवर्तित कर 60% हिस्सा केन्द्र का एवं 40% राज्य हिस्सा किया गया है। वर्ष 2016–17 में इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से 23 संरक्षित क्षेत्रों की वार्षिक योजना, गोडावण के रिकवरी प्रोग्राम एवं प्रोजेक्ट एलिफेन्ट की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत हुई है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में कुल 986.26 लाख की स्वीकृति जारी की गई है जिसमें से

छाया : पी. सी. जैन

वृक्ष की कोटर से झांकता जंगली उल्लू

60% हिस्सा केन्द्र का एवं 40% राज्य का हिस्सा परिवर्तित फंडिंग पैटर्न के अनुसार है। इस योजना के अन्तर्गत वन्य जीव संरक्षण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, हैबिटैट, डवलपमेंट, वाटर पाइन्ट्स, फायर लाइन्स दीवार निर्माण इत्यादि कार्य करवाये जा रहे हैं।

चिड़ियाघर

2. माचिया बायोलॉजिकल पार्क, जोधपुर:– इस उद्यान को माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा पर्यटकों के लिए 20.01.2016 में खोल दिया गया है।

3. सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर :– इस उद्यान को दिनांक 12.04.2015 को लोकार्पण किया जाकर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है।

4. नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर:– इस उद्यान को दिनांक 04.06.2016 को लोकार्पण किया जाकर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है।

रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व

5. रणथम्भौर हेतु स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित कर लिया गया है, इसके तहत एक डी.एस.पी., 3 सब इन्सपेक्टर, 18 हैड कांस्टेबल एवं 81 कांस्टेबल व 9 कांस्टेबल ड्राइवर सुरक्षा कार्य हेतु है। पुलिस विभाग द्वारा कांस्टेबल भर्ती कर ली गई है। 82 पुलिस कर्मियों द्वारा माह

छाया : अभिमन्यु राजवी

तेंदुए का शिकार कर ले जाता हुआ बाघ–सरिस्का अभयारण्य

सितम्बर, 2015 में ड्यूटी ज्वाइन कर ली गई है जिन्हें सुरक्षा कार्यों पर लगा दिया गया है। सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के लिए भी MOU तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किए गए हैं। राज्य सरकार से अनुमोदन के उपरान्त राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार को हस्ताक्षरार्थ प्रेषित किया जायेगा।

6. बाघ परियोजना रणथम्भौर एवं सरिस्का में सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार होम गार्ड्स की तैनाती की जाती है।

7. रणथम्भौर बाघ परियोजना में विभाग द्वारा उठाये गये प्रबंधात्मक एवं सुरक्षात्मक उपायों के फलस्वरूप बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा चार वर्ष के अन्तराल से कराई गई नवीनतम गणना वर्ष 2014 के अनुसार सरिस्का एवं रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में कुल 52 बाघ पाये गये हैं।

8. सरिस्का बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में 29 गांव हैं। भगानी एवं उमरी गांव को वर्ष 2008–09 में तथा रोटक्याला को वर्ष 2012–13 में सरिस्का से बाहर विस्थापित कर दिया गया है। माह दिसम्बर, 2016 की स्थिति अनुसार ग्राम विस्थापन की प्रगति निम्नानुसार है:–

सरिस्का टाईगर रिजर्व :– माह दिसम्बर, 2016 की स्थिति अनुसार प्रगति :–

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कुल परिवार	विस्थापित परिवार	विस्थापन से शेष परिवार
1.	डाबली	126	114	12
2.	सुकोला	59	14	45
3.	क्रास्का	200	119	81
4.	देवरी	181	79	102
5.	कांकवाड़ी	170	134	36
6.	हरिपुरा	74	27	7
	योग	**810**	**487**	**323**

शेष परिवारों के विस्थापन की कार्यवाही प्रगति पर है। वर्ष 2016–17 में सरिस्का बाघ परियोजना के लिए ग्रामों के विस्थापन हेतु राशि ₹ 617.58 लाख भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है तथा वार्षिक कार्य–योजना हेतु राशि ₹ 598.01 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्टेट कैम्पा मद में भी वर्ष 2016–17 में ग्राम विस्थापन हेतु राशि ₹ 1300.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

9. रणथम्भौर बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में 65 गांव हैं। टाईगर रिजर्व से वर्ष 2008–09 में ग्राम इण्डाला को तथा वर्ष 2011–12 में ग्राम पादडा, वर्ष 2012–13 में माचनकी, वर्ष 2013–14 में मोर डूंगरी तथा वर्ष 2015–16 में भिड तथा कठूली ग्राम को पूर्ण रूप से विस्थापित कर दिया गया है। वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर, 2016 तक ग्राम विस्थापन की प्रगति अग्रानुसार है:–

छाया : मनोज पाराशर

शर्मीले एवं शांत पक्षी पेंटेड स्पर फाउल का मुदित जोड़ा

रणथम्भौर टाईगर रिजर्व : माह दिसम्बर, 2016 की स्थिति अनुसार :–

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कुल परिवार	विस्थापित परिवार	विस्थापन से शेष परिवार
1.	कालीभाट	47	44	3
2.	हिन्दवाड़	575	373	202
3.	मुंदरहेड़ी	161	72	89
4.	भीमपुरा (कैलादेवी)	102	91	11
5.	डांगरा (कैलादेवी)	83	49	34
6.	ऊंची गुवाड़ी (कैलादेवी)	143	116	27
	योग	**1111**	**745**	**366**

वर्ष 2016–17 में रणथम्भौर बाघ परियोजना के लिए ग्रामों के विस्थापन हेतु भारत सरकार से माह दिसम्बर, 2016 तक राशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। स्टेट कैम्पा मद में वर्ष 2016–17 में ग्राम विस्थापन हेतु राशि ₹ 1200.00 लाख कैम्पा में स्वीकृत किये गये हैं।

10. रणथम्भौर एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व में बाघ संरक्षण फाउंडेशन : राज्य में स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिकीय पर्यटन, पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रमों एवं बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए तथा इनके प्रबंधन को सरल और पारदर्शी बनाने हेतु बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी के माध्यम से बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व प्रबंधन को सरल बनाना और सहायता प्रदान करना है।

फाउंडेशन के गठन से बाघ रिजर्व के प्रबंधन हेतु राज्य

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापन से पूर्व (2002) एवं पश्चात् (2012) ग्राम पादडा

छाया सौजन्य : वन्यजीव प्रभाग

सरकार, भारत सरकार, इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, निजी संस्था एवं अन्य से आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता की प्राप्ति होगी। फाउंडेशन के गठन से अति आवश्यक कार्यों के सम्पादन हेतु उपयुक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था होगी एवं क्रियान्वयन हेतु आदेशों/निर्णयों में त्वरित कार्यवाही हो पाएगी। रणथम्भौर फाउंडेशन में वर्ष 2015–16 में ₹ 432.70 लाख एवं सरिस्का में वर्ष 2015–16 में ₹ 82.50 लाख राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग वार्षिक योजना के अनुसार किया जा रहा है।

11. बाघ परियोजना, सरिस्का में रणथम्भौर से अब तक दो बाघ एवं पाँच बाघिनों को सफलतापूर्वक ट्रांसलोकेट किया गया है।

    बाघों के ट्रांसलोकेशन के पश्चात् इनकी निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही है। सरिस्का में ट्रांसलोकेशन के पश्चात् दो बाघिनों ने 6 शावकों को जन्म दिया है।

12. सरिस्का एवं रणथम्भौर टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र का राजपत्र दिनांक 06.07.2012 द्वारा प्रकाशन किया जा चुका है। सरिस्का हेतु 332.22 वर्ग किमी. तथा रणथम्भौर हेतु 297.9365 वर्ग किमी. क्षेत्र बफर क्षेत्र घोषित किया गया है।

13. **कन्जर्वेशन रिजर्व :** प्रदेश में 10 कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित कराये गये हैं, जिनकी स्थिति एवं क्षेत्रफल परिशिष्ट संख्या 4 पर दर्ज है।

14. **ईको–ट्यूरिज्म :** प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों एवं उनके समीप विकसित की गई 9 ईको–ट्यूरिज्म साइट्स मेनाल, हमीरगढ़, बस्सी, सीतामाता, पंचकुण्ड, सुन्धामाता, गुढ़ा, विश्नोई, मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान एवं भैंसरोडगढ़ को आमजन के भ्रमण हेतु खोला गया है। इन साईट्स पर पर्यटकों द्वारा रेस्ट हाउस एवं टेन्ट्स में रात्रि विश्राम एवं डे ट्यूरिज्म हेतु प्रवास, शैक्षणिक भ्रमण, एडवेंचर, स्पोर्ट्स, कैम्पिंग एवं नेचर गाइड्स इत्यादि की दरें दिनांक 12.08.2014 से निम्न अनुसार निर्धारित की गई है।

छाया सौजन्य : राजेन्द्र कुमार हुड्डा

सीकर में ईको–ट्यूरिज्म साइट हर्ष पर्वत

अ. प्रवास सुविधाएं (सभी ईको–ट्यूरिज्म साइट्स के लिए) : विभिन्न सुविधाओं हेतु निम्नानुसार दरें निर्धारित की गई हैं–

क्र.सं.	पर्यटक सुविधाएं	निर्धारित दर प्रतिदिन (₹ में) (कर अतिरिक्त)
1.	स्पेशल कमरा (फर्निश्ड)	700
2.	साधारण कमरा	400
3.	टेण्ट्स (दो व्यक्तियों के लिए)	300
4.	ट्री हट्स	300
5.	झोंपा	300 प्रति रात्रि एवं 100 प्रतिदिन
6.	अतिरिक्त बेड	100
7.	डोरमेट्री	50

ब. अन्य दरें (सभी ईको–ट्यूरिज्म साइट्स के लिए) :

कैम्पस उपयोग हेतु दरें

(I) शैक्षणिक भ्रमण

- अभयारण्यों में अध्ययन भ्रमण को प्रोत्साहित एवं प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिए ₹ 50 प्रतिदिन एवं ₹ 25 प्रति आधे दिन प्रति विद्यार्थी।
- शैक्षणिक संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्था के अधिकारिक पत्र पर भ्रमण हेतु आवेदन अग्रेषित किया जाना अपेक्षित।

– शैक्षणिक भ्रमण दल में नामित शिक्षक अथवा फैकल्टी का साथ होना आवश्यक होगा।

(II) अन्य

– प्रति व्यक्ति ₹ 100 प्रतिदिन एवं ₹ 50 प्रति आधे दिन हेतु। कर अतिरिक्त देय।

(III) कैम्पिंग प्लेटफार्म उपयोग

– बैक पैकर्स टेन्ट के लिए – ₹ 100 प्रति टेन्टिंग प्लेटफॉर्म। कर अतिरिक्त।

– बड़े टेंट (2 से 4 व्यक्ति) – ₹ 200 प्रति टेंटिंग प्लेटफॉर्म। कर अतिरिक्त।

वर्ष 2016–17 में ईको–ट्यूरिज्म हेतु ₹ 100.00 लाख का प्रावधान है।

15. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 एवं 2013 में शाकम्भरी, बीड–झुंझुनूं, गोगेलाव, उम्मेदगंज, रोटू एवं जवाई बांध क्षेत्र की लेपर्ड कन्जरवेंसी को कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। जीणमाता, मनसा माता, झालाना, ग्रास फार्म एवं सोरसन क्षेत्रों को कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित कराया जाना प्रक्रियाधीन है।

16. वर्ष 2011–12 के दौरान कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घोषित (30.11.2011) किये जाने के आशय की अधिसूचना जारी की गई। इसी प्रकार मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की अन्तिम अधिसूचना जनवरी, 2012 में जारी की गई।

17. राज्य सरकार द्वारा प्रथम बार प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन हेतु सलाहकार समिति (Advisory Committee) का गठन आदेश दिनांक 28.05.2012 द्वारा किया गया।

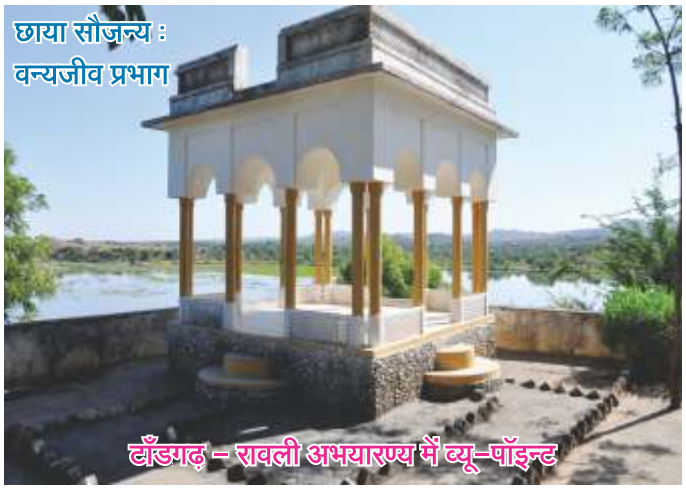
छाया सौजन्य : वन्यजीव प्रभाग

टाँडगढ़ – रावली अभयारण्य में व्यू–पॉइन्ट

18. सभी संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर ईको–सेन्सिटिव जोन के प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 27.08.2012 को प्रेषित किये गये। भारत सरकार द्वारा 15 संरक्षित क्षेत्रों के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्रसारित कर दिये गये हैं।

19. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र दिनांक 09.04.2013 के द्वारा मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व (कोर एवं बफर) घोषित किया गया है।

20. प्रदेश में गोडावण संरक्षण के लिए एक State Action Plan तैयार किया गया है, जिसकी लागत ₹ 59.86 करोड़ है। इस कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए "Project Bustard" वर्ष 2013–14 में लांच किया गया है जिसकी लागत ₹ 12.90 करोड़ है। जिसमें निम्नानुसार व्यय हुआ है:–

वर्ष	व्यय (₹ लाखों में)
वर्ष 2013–14	106.00
वर्ष 2014–15	391.96
वर्ष 2015–16	251.00
वर्ष 2016–17	166.00 लाख का प्रावधान स्वीकृत है।

21. **वन धन योजना :** माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2015–16 में रणथम्भौर, कुम्भलगढ़, राष्ट्रीय मरु उद्यान, माउंट आबू व जवाई बांध संरक्षित क्षेत्रों के समीपस्थ क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की वन पर निर्भरता कम करने एवं रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से वन धन योजना प्रारम्भ की गई। वर्ष 2015–16 में 2.31 करोड़ का व्यय किया गया तथा वर्ष 2016–17 में ₹ 5.00 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत है। वन धन योजना के तहत 140 गांवों के स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए आर.एस.एल.डी.सी. के माध्यम से वन, कृषि, पशुपालन, डेयरी, लघु उद्योग के सम्बन्ध में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा।

दिनांक 4 जून, 2016 को प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा नाहरगढ़ जैविक उद्यान का लोकार्पण

22. **कैम्पा योजना :** कैम्पा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में वन्य जीव सम्भाग को राशि ₹ 7225.84 लाख का आवंटन हुआ है जिसमें मुख्य रूप से ग्राम विस्थापन एवं गैस कनेक्शन दिये जाने के कार्य प्रमुख हैं। ग्राम विस्थापन हेतु निम्नानुसार राशि आवंटन की गई है:–

(राशि ₹ लाखों में)

1.	रणथम्भौर टाईगर रिजर्व	1200.00
2.	सरिस्का टाईगर रिजर्व	1300.00
3.	मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व	1500.00
	योग	**4000.00**

गैस कनेक्शन : टाईगर रिजर्व क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में 100 प्रतिशत अनुदान में 40 हजार गैस कनेक्शन स्वीकृत किये जावेंगे। इसके लिए निम्नानुसार बजट आवंटन किया गया है।

(राशि ₹ लाखों में)

1.	रणथम्भौर टाईगर रिजर्व	750.00
2.	सरिस्का टाईगर रिजर्व	750.00
3.	मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व	500.00
	योग	**2000.00**

गैस कनेक्शन दिये जाने का कार्य प्रगति पर है। माह दिसम्बर, 2016 तक रणथम्भौर में 1142, सरिस्का में 12021 एवं मुकन्दरा में 3000 गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

23. **जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना :** स्थानीय समुदाय की ईंधन के लिए वनों पर निर्भरता कम करने की दृष्टि से रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के आसपास बने गांवों के परिवारों को कैम्पा योजना के अन्तर्गत आवंटन बजट प्रावधान से 100 प्रतिशत अनुदान गैस कनेक्शन दिये जाकर जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना की स्वीकृति राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प 3 (2) वन/2015 दिनांक 25.10.2016 से जारी की गई है। इस वर्ष 40,000 नवीन कुकिंग गैस कनेक्शन (15,000 रणथम्भौर, 15,000 सरिस्का एवं 10,000 मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में) 100 प्रतिशत अनुदान पर दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। माह दिसम्बर, 2016 तक रणथम्भौर में 1142, सरिस्का में 12021 एवं मुकन्दरा में 3000 गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

सरिस्का में वन विनाश रोकने हेतु वनवासियों को अनुदानित दरों पर गैस कनैक्शन का वितरण

छाया सौजन्य : सुरेन्द्र सिंह धाकड़

8

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) वन मण्डलों की कार्य आयोजना के कार्यों का पर्यवेक्षण।

(ब) वन बन्दोबस्त सम्बन्धित सभी प्रकरणों का परीक्षण कर निस्तारण।

(स) कार्यालय सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का प्रावैधिक सहायक से निस्तारण।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान जयपुर द्वारा इन कार्यों के सम्पादन करवाने एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिनका पृथक से कोई कार्यालय नहीं है जो कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त में पदस्थापित है।

कार्य आयोजना :- वानिकी कार्य आयोजना जिले के वन क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु दस वर्ष के लिए तैयार की जाती है।

वर्तमान में सात कार्य आयोजना अधिकारी कार्यालय क्रमश: उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर एवं जोधपुर में स्थाई रूप से स्वीकृत है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 12 (24) वन/2008 जयपुर दिनांक 28.10.2010 से संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में पदस्थापित वन संरक्षकगण को वन संरक्षक, कार्य आयोजना घोषित किया गया है।

वर्तमान में राजस्थान प्रदेश के वन क्षेत्रों (वन्य जीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क को छोड़कर) के प्रबंधन हेतु 31 कार्य आयोजनाएं तैयार कराई जा चुकी हैं।

गत वित्तीय वर्षों में कार्य आयोजना की स्थिति

वर्ष 2013–14		वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17	
स्वीकृत कार्य आयोजना	अंशकालीन अवधि के लिए स्वीकृत	स्वीकृत कार्य आयोजना	अंशकालीन अवधि के लिए स्वीकृत	स्वीकृत कार्य आयोजना	अंशकालीन अवधि के लिए स्वीकृत	स्वीकृत कार्य आयोजना	अंशकालीन अवधि के लिए स्वीकृत
09	22	23	08	25	06	27	04

उक्त में से भीलवाड़ा, नागौर, टौंक, इ.गा.न.प. स्टेज-II, बीकानेर, चूरू, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी, कोटा, जयपुर, सीकर, दौसा, झुन्झुनूं, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ की कार्य योजनाएं पूर्णकालीन अवधि के लिए तथा करौली, झालावाड़, अलवर, जोधपुर, डूंगरपुर एवं राजसमंद की कार्ययोजनाएं अंशकालिक अवधि के लिए स्वीकृत की जा चुकी है।

वन बन्दोबस्त : वन विभाग के नियंत्रण अधीन वन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम अमलदरामद किया जाता है। वन भूमि को राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षित अथवा रक्षित वन घोषित किया जाता है। साथ ही वन सीमाओं पर मीनारे बनाकर क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है। यह प्रक्रिया वन बन्दोबस्त कहलाती है।

छाया : मनोज पाराशर

सरिस्का अभयारण्य में वृक्ष पर बैठे हुए तेंदुआ

राजस्थान वन अधिनियम के तहत अधिसूचनाओं का प्रकाशन : किसी वन क्षेत्र को आरक्षित/रक्षित वन घोषित करने के लिए राजस्थान वन अधिनियम की धारा 4 अथवा 29(3) के अन्तर्गत प्रारम्भिक विज्ञप्ति राज्य सरकार स्तर से जारी करवाकर राजपत्र में प्रकाशित करवायी जाती है। प्रारम्भिक विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा वन बन्दोबस्त नियम, 1958 की प्रक्रिया के अनुसार जांच कर अधिकारों एवं रियायतों का निर्धारण किया जाकर अंतिम विज्ञप्ति आरक्षित अथवा रक्षित वन घोषित किये जाने वाले वन क्षेत्र की अधिसूचना तैयार की जाती है, जिसकी राजस्थान वन अधिनियम की धारा 20 अथवा 29 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से विज्ञप्ति जारी की जाती है, तथा राजपत्र में प्रकाशन होता है। प्रारम्भिक एवं अंतिम रूप से घोषित वन क्षेत्रों की स्थिति 31.12.2016 के अनुसार निम्नानुसार है :-

(क्षेत्रफल वर्ग किमी)

अंतिम रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र (धारा 20 एवं 29(1)के अन्तर्गत				प्रारम्भिक रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र (धारा 4 एवं 29(3) के अन्तर्गत			
2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
26008.626	26009.141	26563.797	26563.797	26008.626	26009.141	26563.797	26563.797

वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद : वन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेख में अमलदरामद भी वन बन्दोबस्त प्रक्रिया का एक अंग है। वर्तमान में वन भूमि के अमलदरामद की 31.12.2016 तक की स्थिति इस प्रकार है :-

(क्षेत्रफल वर्ग किमी. में)

कुल वन क्षेत्र				अमलदरामद शुदा वन भूमि का क्षेत्रफल				अमलदरामद से शेष वन भूमि			
2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
32744.48	32744.48	32828.35	32828.35	27869.47	27888.49	27893.82	27893.82	4875.01	4856.00	4934.53	4934.53

वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कराने के लिए विभाग काफी समय पूर्व से ही प्रयासरत है। इस कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद तथा रेखांकन कार्य के शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग की राज्य आज्ञा क्रमांक प. 6 (35) प्र.सु. अनुदेश-3/99/जयपुर दिनांक 15.09.2016 से समिति का कार्यकाल तीन वर्ष दिनांक 31.12.2018 तक बढ़ाया गया है, अभी भी 493452.8235 हैक्टेयर वनभूमि का अमलदरामद शेष है। अमलदरामद से शेष वनभूमि को राजस्व विभाग ने निम्न कारणों से विवादास्पद बताया हुआ है।

क्र. सं.	राजस्व विभाग द्वारा शेष वन भूमि को विवादास्पद माने जाने का कारण	क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में)
		2015-16
1	राजस्व रिकार्ड में अनसर्वेड	2925.79
2	राजस्व रिकार्ड मे चरागाह	121.60
3	राजस्व रिकार्ड मे आवंटन	240.22
4	राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी	188.52
5	राजस्व रिकार्ड मे आबादी	45.93
6	राजस्व रिकार्ड मे इंटिरियर लाइन	119.13
7	राजस्व रिकार्ड मे अन्य विभाग की भूमि दर्ज होना चरागाह	312.03
8	राजस्व रिकार्ड में अन्य विवाद / कारण	981.31
	योग	4934.53

उपरोक्तानुसार अमलदरामद से शेष वन भूमि का राजस्व विभाग द्वारा आसानी से नामांतरण वन विभाग के नाम नहीं किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में समस्त संभागीय आयुक्तों के माध्यम से उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए एक माह में संभाग स्तर पर मीटिंग कर आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करते हुए राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही का शीघ्र निस्तारण करवाये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

सीमांकन : वित्तीय वर्षों में निम्नानुसार मीनारें (सीमा स्तम्भ) लगाये गये :–

सीमांकन : वित्तीय वर्षों में निम्नानुसार मीनारे (सीमा स्तम्भ) लगाये गये :–

क.सं.	कार्यालय का नाम	लगाये गये सीमा स्तम्भ					
		2013-14		2014-15		2015-16 आवंटित लक्ष्य	
		सीमा स्तम्भ	राशि लाखों में	सीमा स्तम्भ	राशि लाखों में	सीमा स्तम्भ	राशि लाखों में
1	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	860	13.974	810	12.30	403	6.981
2	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	701	10.504	975	14.53	350	6.297
3	मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर	540	8.200	1375	18.26	1450	28.058
4	मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर	0	0	268	4.30	100	1.80
5	मुख्य वन संरक्षक, कोटा	777	13.15	705	10.44	901	16.095
6	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	1642	24.99	1752	27.56	1430	26.123
7	मुख्य वन संरक्षक,उदयपुर	1700	26.779	1267	20.97	1520	27.811
8	मुख्य वन संरक्षक,व.जी., जोधपुर	100	1.60	175	3.20	0	0
9	मुख्य वन संरक्षक,व.जी., जयपुर	266	4.30	559	8.57	45	0.82
10	मुख्य वन संरक्षक,व.जी., कोटा	0	0	837	13.29	122	2.190
11	मुख्य वन संरक्षक,व.जी., भरतपुर	306	5.035	500	6.69	324	6.16
12	मुख्य वन संरक्षक, व.जी., उदयपुर	650	10.232	650	10.38	490	8.992
	योग	**7542**	**118.764**	**9873**	**150.49**	**7135**	**131.327**

राज्य में वन क्षेत्र के शेष रहे सीमांकन की स्थिति निम्नानुसार है (दिनांक 31.3.2016 की स्थिति)

सीमांकन कार्य अन्तर्गत सीमा स्तम्भ लगाने से शेष (31.03.2005 की स्थिति)	सीमा स्तम्भ लगाए जा चुके है (31.03.2016 तक)			सीमा स्तम्भ जो लगाए जाने शेष हैं		
	2013-14	2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16
283943	78797	96212	103347	205146	187731	180596

प्रारम्भिक एवं अन्तिम विज्ञप्ति के क्रम में प्रारम्भिक, प्लेन टेबल सर्वे आदि के लिए तीन वर्षों में निम्नानुसार कार्य करवाये गये हैं:–

क्र. सं.	सर्वे कार्य का नाम	प्राप्ति					
		भौतिक (वर्ग किमी)			वित्तीय (लाखों में)		
		2013-14	2014-15	2014-15	2013-14	2014-15	2014-15
1	प्रारम्भिक सर्वे	66.76	90.87	71.95	3.00	4.02	3.89
2	प्लेन टेबल सर्वे	91.54	96.45	85.36	7.88	9.20	8.28

सीतामाता अभयारण्य के बीच में स्थित जाखम डेम

छाया : पी. सी. जैन

9

वन अनुसंधान

राज्य के वन विभाग में शोध एवं अनुसंधान कार्यों के लिए वर्ष 1956 में राज्य वन वर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मण्डल की स्थापना की गयी। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन वर्धन) कार्यालय के अधीन ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर; वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर; विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, झालाना, जयपुर; बीज उत्पादन एवं भण्डारण, जयपुर एवं वन अनुसंधान फार्म, बांकी, उदयपुर केन्द्र कार्यरत है। वन वर्धन कार्यालय में बीज परीक्षण एवं जल–मृदा परीक्षण से सम्बन्धित दो प्रयोगशालाएं भी हैं।

पौधशालाएं :– विभिन्न प्रजातियों के पौधे पौधशालाओं में तैयार कर वितरण करना इस कार्यालय की मुख्य गतिविधियों में से एक है। वर्ष 2015–16 में 2.65 लाख नये व 1.48 लाख अवशेष पौधों के लक्ष्य के विरुद्ध 3.85 लाख पौधों का वितरण किया गया। वर्ष 2016–17 में 3.70 लाख नये व 0.356 लाख अवशेष पौधों के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक 3.16 लाख पौधों का वितरण किया जा चुका है। वर्ष 2016–17 में विभिन्न नर्सरियों के लिए 6.90 लाख पौधे तैयारी करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है जिसकी पौध तैयारी का कार्य प्रगति पर है। इस कार्यालय के अधीन पौधशालाओं में इस वर्ष टेबुबिया ओरिया *(Tabebuia oriya)*, अकरकरा *(Anacyclus pyrethrum)*, कदम्ब *(Neolamarckia cadamba)*, तनस *(Ougeinia oojeinnsis)*, मुन्जाल *(Borassus flabellifer)*, टेबुबिया रोजिया *(Tabebuia rosea)*, अलमण्डा *(Allamanda)*, आकाश नीम *(Millingtonia hortensis)*, श्योनाक *(Oroxylum indicum)*, कैथ *(Limonia acidissima)*, काईजेलिया *(Kigelia pinnata)*, कल्पवृक्ष *(Adansonia digitata)*, आंवला *(Phyllanthus emblica)*, नीबू *(Citrus medica aciada)*, एलोवीरा *(Aloe vera)*, हार सिंगार *(Nyctanthes arbortristis)*, पत्थर चट्टा *(Bryophyllum pinnatum)* व अन्य महत्त्वपूर्ण प्रजातियों के पौधे भी वितरण के लिए तैयार किये जा रहे हैं।

औषधीय पौधे :– बांकी अनुसंधान फार्म, उदयपुर की पौधशाला में वर्ष 2015–16 में 77250 औषधीय पौधे लगभग 27 विभिन्न प्रजातियों के तैयार किये जाकर इनका वितरण वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया जा चुका है। मुख्य प्रजातियां जिनके पौधे तैयार किये गये वे निम्न प्रकार हैं – अमलतास *(Cassia fistula)*, अंजीर *(Ficus carica)*, आंवला *(Phyllanthus emblica)*, अरीठा *(Sapindus emarginatus)*, बहेडा *(Terminalia bellirica)*, बेलपत्र *(Aegle marmelos)*, चिरमी *(Abrus precatorius)*, गुडमार *(Gymnema sylvestre)*, गूग्गल *(Commiphora wightii)*, ग्वारपाठा *(Aloe vera)*, हारसिंगार *(Nyctanthes, arbortristis)*, झींझा *(Bauhinia racemosa)*, लहसुन बेल *(Mansoa alliacea)*, लेमनग्रास *(Cymbopogon flexuosus)*, मालकांगनी *(Celastrus paniculatus)*, नींबू *(Citrus medica acida)*, पाडल *(Stereospermum suaveolens)*, पुत्रनजीवा *(Putranjiva roxburghii)*, सर्पगंधा *(Rauvolfia serpentina)* शतावरी *(Asparagus racemosus)*, श्योनाक *(Oroxylum indicum)*, शिकाकाई *(Acacia Sinuata)*, सिंदूरी *(Bixa orellana)*, ताम्रबेल *(Argyreia nervosa)*, तुलसी *(Ocimum sanctum)*,

वासा अडुसा *(Adhatoda vasica),* विष तेन्दु *(Diospyros montana)* प्रमुख है। वर्ष 2016–17 में भी औषधीय पौधे वर्ष 2017–18 में वितरण के लिए 27 प्रजाति के 76150 पौधे तैयार किये जा रहे हैं।

बीज उत्पादक क्षेत्र (Seed production Area) :– अच्छे किस्म के वृक्ष तैयार करने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का विशेष महत्त्व होता है। उन्नत व निरोगी बीजों के लिए वनवर्धन कार्यालय निरोग वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित कर वहीं से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर राज्य के विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित करता है। वर्ष 2015–16 में निम्न नये वन क्षेत्रों में उच्च गुण (phenotypical superior) के वृक्ष होने के कारण बीज उत्पादन क्षेत्र की घोषणा की गई :–

S.No.	Name of SPA	Species	Division	Year of creation
1.	**Hokra-C** Forest block Ajmer, Range Pushkar	*Acacia tortilis*	Ajmer	2015-16

बीज एकत्रीकरण :– वर्ष 2015–16 में विभिन्न बीज उत्पादक क्षेत्रों से कुमठा *(Acacia senegal)* का 2700 किलो बीज एकत्रित करवाया जाकर विभिन्न वन मण्डलों को कीमतन उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2016–17 में कुमठा *(Acacia senegal)* व अन्य प्रजाति के बीज विभिन्न बीज उत्पादक क्षेत्रों से एकत्रित करवाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

अनुसंधान एवं अन्य गतिविधियां :–

- वन अनुसंधान कार्यों की निरन्तरता एवं उनको विभागीय आवश्यकता अनुरूप दिशा देने के लिए विभाग में वर्ष 2005–06 में एक शोध परामर्शी समूह *(Research Advisory Group)* का गठन किया हुआ है। दिनांक 10.6.2014 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) की अध्यक्षता में शोध परामर्शी समूह की बैठक में वर्ष 2013–14 में किये गये 7 प्रयोग/कार्यों की समीक्षा तथा निम्न 2 नये प्रयोग/कार्यों का अनुमोदन किया गया।

विश्ववानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर में भ्रमण पथ का निर्माण

1. To study the effect of IBA and IAA on vegetative propagation of *Millingtonia hortensis* (Neem chameli).
2. Creation of Ethno Medicinal Garden at World Forestry Arboretum, Jaipur.

दिनांक 10.06.2015 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) की अध्यक्षता में शोध परामर्शी समूह की बैठक में वर्ष 2014–15 में किये गये प्रयोग/कार्यों की समीक्षा तथा निम्न 3 नये प्रयोग/कार्यों का अनुमोदन कर कार्य प्रारम्भ करवाया गया।

1. Study on effect of trees e.g. *Ailanthus excelsa. Prosopis cineraria,* Harwikia etc on soil fertility and crop production.
2. Creation of a seedling seed orchard of *Prosopis cineraria* in Govindpura Research Farm, Jaipur
3. Creation of seedling seed orchard of *Acacia jacquemontti* in Govindpura Research Farm, Jaipur

शुष्क वन अनुसंधान केन्द्र (आफरी) जोधपुर में निम्न 4 collaborative अनुसंधान परियोजनाएं प्रगति पर हैं, की भी समीक्षा की गई।

1. Phytoremediation of soil for productivity enhancement during land disposal of effluent.
2. Productivity enhancement of Kair *(Capparis decidua)* to generate livelihood in rural area of Thar Desert.
3. Documentation of Important Research findings

and technologies for application to forestry in Rajasthan.

बांकी रिसर्च फार्म, उदयपुर में झोंपा निर्माण

10

विभागीय कार्य योजना

वर्ष 1968 से पूर्व जलाऊ लकड़ी एवं अन्य वन उपज की मांग की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों के ठेके खुली नीलामी द्वारा दिये जाते थे। ठेकेदारों द्वारा अपने लाभ के लिए वन क्षेत्रों की निरंकुश एवं अवैज्ञानिक तरीकों से कटाई किए जाने के कारण वनों को अत्यधिक क्षति होती थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वर्ष 1968 में विभागीय कार्ययोजना द्वारा वनों के चिह्नित कूपों को वैज्ञानिक पद्धति से स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार विदोहन कर आम जनता को सस्ती दरों पर जलाऊ लकड़ी, कोयला, इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज उपलब्ध कराई जाने एवं राजस्व अर्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की।

विभागीय कार्ययोजना के उद्देश्य :

- ठेकेदार द्वारा निरंकुश कटाई से वनों की सुरक्षा;
- विदोहन किये गये वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन तथा वन पुनरुत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाना ;
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कोयला एवं जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना;
- पिछड़े वर्ग एवं जनजाति के श्रमिकों को उचित श्रमिक दर पर श्रम कार्य दिलवाना; तथा
- राज्य के लिए राजस्व प्राप्ति करना आदि।

प्रशासनिक व्यवस्था :

मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर के नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। इसके अधीन पांच उप वन संरक्षक निम्न प्रकार से कार्यरत हैं –

1. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर
2. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, स्टेज–II, बीकानेर
3. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ़
4. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर
5. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर

उक्त वन मण्डलों को विभागीय कार्य मण्डल कहा जाता है। बीकानेर, सूरतगढ़ एवं स्टेज–II बीकानेर विभागीय कार्य मण्डलों द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार पूर्व में नहर के किनारे एवं नहर क्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपणों का विदोहन कराया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर में मुख्यत: भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार बांस का विदोहन उदयपुर जिले में करवाया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ाईकरण के फलस्वरूप वृक्षों के विदोहन से प्राप्त होने वाली लकड़ी एवं प्रादेशिक वन मण्डलों से प्राप्त गिरी पड़ी लकड़ी के विदोहन का कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों के अधीन कार्यरत प्रादेशिक वन मण्डलों से उनके क्षेत्रों में आंधी तूफान से गिरी पड़ी लकड़ी के एकत्रीकरण का कार्य भी करते हुए उनके निस्तारण का कार्य सम्बन्धित विभागीय कार्य मण्डल द्वारा किया जाता है।

विभागीय कार्ययोजना की विभिन्न योजनाएँ:

लकड़ी व्यापार योजना:

जनसंख्या एवं औद्योगीकरण से वनों पर बढ़ते दबाव से वन क्षेत्र एवं उनकी सघनता में हुई कमी के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 1993–94 से प्राकृतिक वन क्षेत्रों से जलाऊ लकड़ी का विदोहन पूर्ण रूप से बन्द किया हुआ है। प्राकृतिक वन क्षेत्रों में लकड़ी विदोहन हेतु वृक्षों का पातन बंद होने के कारण सूखी–गिरी पड़ी लकड़ी का संग्रहण मात्र ही कराया जाता है। यह कार्य संबंधित प्रादेशिक संभाग के मुख्य वन संरक्षक एवं प्रादेशिक उप वन संरक्षक की सहमति के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में विभिन्न सड़कों एवं नहर के किनारों पर खड़े वृक्षों के आंधी–तूफान से गिरने अथवा सूख जाने पर उनसे भी कुछ मात्रा में लकड़ी प्राप्त होती है। मार्च, 1999 में दसवर्षीय वर्किंग प्लान के तहत वर्किंग स्कीम को केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् दिसम्बर, 1999 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण में खड़े परिपक्व वृक्षारोपणों का योजना के अनुसार चरणबद्ध रूप से विदोहन आरम्भ किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों में कराये गए वन उपज के विदोहन से प्राप्त आय एवं उत्पादन का विवरण अग्रानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (क्विंटल में)		योग	प्राप्त राजस्व
	इमारती लकड़ी	जलाऊ लकड़ी	(लाख क्विंटल)	(₹ लाखों में)
2012–13	1.60	2.86	4.44	1880.62
2013–14	3.86	4.00	7.86	2484.64
2014–15	4.88	4.42	9.30	2976.14
2015–16	2.57	5.72	8.29	2766.19

लकड़ी व्यापार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध अर्जित उत्पादन एवं राजस्व की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :–

(माह दिसम्बर 2016 तक)

योजना का नाम	राजस्व (₹ लाखों में)		उत्पादन (लाख क्विंटल में)		पातन एवं परिवहन व्यय
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	उत्पादन	
लकड़ी व्यापार योजना	3300.00	1279.09	7.00	कुल 3.27 (ईमारती लकड़ी 1.82, जलाऊ लकड़ी 1.45)	425.66 लाख प्रावधान 700 लाख

बाँस विदोहन योजना :

इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर क्षेत्र के वन क्षेत्रों में स्वीकृति वर्किंग स्कीम के आधार पर बाँस विदोहन कार्य कराया जाता है। स्वरूपगंज एवं उदयपुर में बाँस डिपो कायम किये गये हैं, जहाँ बाँस के कूपों से बाँस कटवाकर एकत्रित कराया जाता है व हर माह निश्चित तिथियों पर नीलाम किया जाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है। गत 3 वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन एवं आय की सूचना निम्न प्रकार है:–

वर्ष	मानक बांस उत्पादन (संख्या लाखों में)		मानक बांसों से प्राप्त राजस्व आय (₹ लाखों में)
	लक्ष्य	उत्पादन	
2012–13	12.00	15.79	357.19
2013–14	12.00	15.55	308.40
2014–15	12.00	13.04	102.09
2015–16	11.00	11.52	517.10

बाँस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध अर्जित उत्पादन एवं राजस्व आय की प्रगति निम्नानुसार है :– (माह दिसम्बर, 2016 तक)

योजना का नाम	उत्पादन		राजस्व आय (राशि ₹ लाखों में)	
	लक्ष्य (लाखों में मानक बांस)	वास्तविक उत्पादन (लाखों में मानक बांस)	लक्ष्य	वास्तविक प्राप्ति
बाँस योजना	11.00	6.00	660.00	147.76

अन्य कार्य :

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डलों के द्वारा स्वीकृत योजना में वन उपज के विदोहन के अतिरिक्त करवाये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :

1. वन क्षेत्र जो अन्य परियोजनाओं के लिये हस्तान्तरित किये जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में वन उपज का विदोहन।
2. प्रादेशिक वन मण्डलों में गिरी–पड़ी लकड़ी का निष्पादन।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों के किनारे से प्राप्त वन उपज का विक्रय करना।
4. उदयपुर वन मण्डल द्वारा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना एवं आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत बांस उत्पादन बढ़ाने हेतु बांस थूरों में कल्चरल कार्य भी करवाये जा रहे हैं।

11

तेन्दू पत्ता योजना

राजस्थान राज्य के वन उत्पादों में तेन्दू पत्ता लघु वन उपज, आय प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। तेन्दू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। तेन्दू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों के वन क्षेत्रों में पाये जाते हैं, किन्तु अल्प संख्या में ये वृक्ष बूंदी, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली, अलवर एवं धौलपुर जिलों के वन क्षेत्रों में भी पाये जाते हैं।

राजस्थान राज्य में तेन्दू पत्ता का राष्ट्रीयकरण कर वर्ष 1974 में राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 पारित कर किया गया। राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य विभिन्न संग्रहण एजेंसियों को समाप्त कर व्यापार पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना, तेन्दू वृक्षों में वैज्ञानिक रूप से कर्षण कार्य व अन्य सुधार कार्य करवाये जाकर पत्ते की किस्म में सुधार लाना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना था।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् राज्य सरकार ही तेन्दू पत्ता का व्यापार करने हेतु अधिकृत है। तेन्दू पत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को शोषण से मुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत विभिन्न संभागों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक संभाग हेतु पृथक्–पृथक् सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें सम्बन्धित राज्याधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पत्ता व्यापारियों को भी मनोनीत किया जाता है। उक्त सलाहकार समितियां प्रतिवर्ष राज्य में तेन्दू पत्ता संग्रहण–कर्ता श्रमिकों को चुकायी जाने वाली संग्रहण दरों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश करती हैं। संग्रहण दरों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1974 में यह दर ₹ 18 से 20 प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी जो निरन्तर वृद्धि के पश्चात् वर्ष 2015 के संग्रहण काल हेतु ₹ 750 प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है।

पिछले वर्ष से माह अक्टूबर–नवम्बर, 2015 में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी होने से वर्ष 2016 के लिए संग्रहण दर ₹ 800 प्रति मानक बोरा तथा पुनः न्यूनतम मजदूरी में 35% बढ़ोतरी होने के कारण वर्ष 2017 हेतु ₹ 850.00 प्रति मानक बोरा निर्धारित की है।

तेन्दू पत्ता व्यापार हेतु अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सम्पूर्ण राज्य के तेन्दू पत्ता उत्पादन क्षेत्रों को इकाइयों में विभक्त कर इकाई का गठन किया जाकर उनका बेचान नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रय से अवशेष रही इकाइयों को राज्य सरकार की स्वीकृति से पड़त रखा जाता है।

वर्ष 2016–17 के लिए राज्य की कुल 167 इकाइयों का गठन किया गया जिनके बेचान से मार्च, 2017 तक लगभग ₹2406.00 लाख की आय प्राप्त होने की संभावना है। वर्ष 2016 हेतु सलाहकार समितियों की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ₹ 800/– प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई थी। कुल 3.14 लाख मानक बोरा संग्रहित हुआ। जिस हेतु लगभग ₹2520.00 लाख श्रमिकों को सीधे ही क्रेताओं द्वारा पारिश्रमिक चुकाया गया है।

वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां अग्रानुसार रही हैं:–

(लाखों ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	वास्तवित प्राप्तियां	वास्तवित प्राप्तियां	वास्तवित प्राप्तियां	माह नवम्बर 2016 तक प्राप्तियां
		2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
1.	तेंदू पत्तों के विक्रय से प्राप्त आय	968.73	598.15	700.00	1800.00
2.	अन्य विविध आय	12.18	8.77	6.72	7.30
	योग	**980.91**	**606.92**	**706.72**	**1807.30**

वर्ष 2017 के संग्रहण काल हेतु राज्य सरकार द्वारा सलाहकार समितियों का गठन किये जाने के पश्चात् माह नवम्बर में संभाग स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाकर वर्ष 2017 के संग्रहण काल हेतु ₹ 850/– प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई है।

वर्ष 2017 के लिए राज्य में कुल 167 तेंदू पत्ता इकाइयों का गठन किया जाकर राजपत्र में प्रकाशन करवाया जा चुका है, तथा उक्त इकाइयों के विक्रय हेतु प्रथम निविदाएं दिनांक 03.01.2017 को आमंत्रित की जाकर दिनांक 04.01.2017 को खोली जानी है।

राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 एवं राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम 2011 के नियम 26 (2) व 26 (3) की पालना में वर्ष 2011–12 का अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को तेंदू पत्ता एवं बांस योजना से प्राप्त शुद्ध आय राशि ₹ 308.72 लाख (268.34 लाख तेंदू पत्ता से तथा 40.68 लाख बांस से) पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में आवंटन किया जा चुका है, परन्तु राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2013 द्वारा नियम 26 (2) व (3) में संशोधन कर शुद्ध आय के स्थान पर सकल आय प्रतिस्थापित करने के कारण वर्ष 2012–13 की सकल आय को उक्त क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में वितरण हेतु राशि ₹830.24 लाख प्रस्तावित किये गये थे। जिसमें से 295.34 लाख तेंदू पत्ता से तथा 99.02 लाख बांस आय से पुराने पैटर्न अनुसार ग्राम पंचायतों को अन्तरित किये जा चुके हैं तथा ₹274.98 लाख तेंदू पत्ता आय से एवं ₹ 160.89 लाख बांस की आय से SFC *(State Finance Commission)* पैटर्न पर अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के वितरण हेतु हस्तान्तरित किये गये हैं।

इस प्रकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर अब तक ₹ 838.66 लाख तेंदू पत्ता से तथा ₹ 300.29 लाख बांस से प्राप्त आय को अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है।

12

सूचना प्रौद्योगिकी

विभाग में ई–गवर्नेंस गतिविधियों को गति प्रदान करने एवं सुगमता एवं सफलतापूर्वक इनको सम्पादित करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक के नियंत्रण में ई–गवर्नेंस सैल गठित किया गया है। इस सैल द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है–

विभागीय वेबसाइट (forest.rajasthan.gov.in) का विकास एवं संधारण :

भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप नवीन इन्टीग्रेटेड पोर्टल (forest.rajasthan.gov.in) को विकसित कराया गया जिसका लोकार्पण दिनांक 29.04.2016 को माननीय वन मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। इस पोर्टल को गत वेबसाइट (rajforest.nic.in) के स्थान पर आरम्भ किया गया है। इस पोर्टल की निम्न विशेषताएं हैं:–

- मुख्य सचिव के निर्देशानुसार नवीनतम तकनीक का उपयोग।
- विभाग के सभी अनुभागों के लिए एकीकृत पोर्टल।
- सभी प्रकार की devices पर उपयोग में सक्षम।
- यह वेबसाइट App के रूप में भी कार्य करेगी तथा सभी प्रकार के platform जैसे Android, IOS, Windows पर डाउनलोड की जा सकती है। यह पोर्टल नागरिकों को विभाग की सेवाएं एवं सूचनाएं प्रदान करने हेतु उपयोगी है।

त्वरित एवं पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से इस वेबसाइट के तीन भाग बनाए गए हैं:–

1. Forest Department
2. Rajasthan Wildlife
3. RFBP (Phase-2)

विभिन्न अनुभागों को उनके पृष्ठ पर सूचनाएं अपडेट करने हेतु पासवर्ड देकर सशक्त किया गया है। प्रथम बार इस पोर्टल पर राज्य सेवा के अधिकारियों की सूचनाएं अपडेट करने हेतु उपशासन सचिव (वन) को भी अधिकृत किया गया है।

राजस्थान वन विभाग की विभागीय वेबसाइट ई–गवर्नेंस सुविधाओं के अन्तर्गत आती है। यह विभाग की विभिन्न जानकारियों, गतिविधियों, परियोजनाएं एवं अनेक कार्यकलापों को आमजन तक पहुंचाने का एक सुगम माध्यम है। विभाग की नवीन जानकारियों को भी विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आमजन को उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में इस वेबसाइट पर राजस्थान की वन सम्पदा के क्षेत्रफल, प्रकार एवं इनमें पाई जाने वाली वनस्पतियों, वनों के सम्बन्ध में लागू होने वाले अधिनियम व नियम, वन प्रबंध एवं वन संरक्षण गतिविधियों एवं विकास परियोजनाओं सम्बन्धित सूचना आमजन को उपलब्ध करायी गयी है। वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति का मासिक विवरण, विभागीय अधिकारियों के पदस्थापन की सूचना, नागरिक अधिकार पत्र इत्यादि पूर्व वर्ष की भांति उपलब्ध कराया गया है एवं समय–समय पर अपडेट किया गया है।

विभागीय वेबसाइट के माध्यम से विभाग के कार्यकलापों को आमजन के लिए अधिकाधिक उपयोगी बनाने हेतु इस वर्ष नवीन सूचनाओं का समावेश किया गया है। विभागीय वेबसाइट पर सही

वन विभाग की नई वेबसाईट जनता को समर्पित करते हुए
तत्कालीन वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री माननीय श्री राजकुमार रिणवा

एवं शीघ्रतापूर्वक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुभागों को उनसे सम्बन्धित पृष्ठ आवंटित कर उनमें संशोधन एवं नवीन सूचनाएं दर्शाने की सुविधा प्रदान की गयी हैं। परिणामस्वरूप आमजन को नवीनतम सूचनाएं उपलब्ध हुई हैं।

वन प्रबंधन सूचना तंत्र (Forest Management Information System) :

विभाग में बेहतर रूप से सूचनाओं के प्रबंधन एवं प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वन प्रबंधन सूचना तंत्र के अन्तर्गत पूर्व में विकसित किये गये Modules का संधारण एवं विकास किया गया है। वन प्रबंधन सूचना तंत्र द्वारा विभाग की अनेक सूचनाओं को कम्प्यूटर में अत्यन्त व्यवस्थित रूप से संधारित करने से समय की बचत के साथ–साथ कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। MPR Online में उत्तरोत्तर विकास करते हुए इसे पूर्णतया web based बनाने का कार्य किया गया है। Posting Information System में अधिकारी व कर्मचारियों की Posting सम्बन्धित सूचनाओं को संकलित किया जा रहा है जिससे प्रशासनिक कार्यों हेतु सूचनाएं त्वरित व एकरूपता से उपलब्ध हो सकें।

MPR online द्वारा वर्तमान में वन मण्डलों द्वारा सूचनाएं अपलोड करने एवं इनका प्रभावी संकलन का कार्य किया जा रहा है इसमें विभाग की आवश्यकता अनुसार समय–समय पर संशोधन भी कराये गये हैं। इससे विभाग के कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना सुविधाजनक हो गया है।

वन भू–अभिलेख सूचना तंत्र (Forest Land Record Database Application) :

वन भू–अभिलेखों के रिकॉर्ड संधारण एवं अपडेशन हेतु NIC जयपुर के माध्यम से Forest Land Record Database विकसित करने हेतु एक ऑन लाइन एप्लीकेशन का विकास किया गया है। इसके माध्यम से नागरिकों द्वारा वन भू–अभिलेख को देखा जा सकेगा। इन भू–अभिलेखों में वन खण्ड की विज्ञप्ति के समय में वन खण्ड में आने वाले खसरा नम्बर, वन खण्ड में आने वाले वर्तमान खसरा नम्बर, वन खण्ड के स्कैन्ड खसरा मैप, वन खण्ड की स्कैन्ड विज्ञप्ति, वन खण्ड का डिजिटाइज्ड मैप आदि उपलब्ध होगा। इसके अन्तर्गत पायलट रूप में नागौर जिले के लिए समस्त रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा दिया गया है। अन्य जिलों के लिए यह कार्य प्रगतिरत है। फिलहाल अनेक वन मण्डलों की वन विज्ञप्तियां इस एप्लीकेशन के माध्यम से आमजन के लिए उपलब्ध करायी गयी है। एप्लीकेशन में लोगिन के लिये वन मंडलवार यूजर नेम एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं जिससे वन मंडल डाटा को प्रमाणित कर सकें एवं आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सके। इस एप्लीकेशन को अपना खाता एप्लीकेशन से Integrate करने का प्रयास जारी है।

इस एप्लीकेशन के लिए फिल्ड से सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त अनुभाग से पृथक् नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

ई–मेल सिस्टम का व्यापक उपयोग :

ई–मेल के माध्यम से सूचनाओं के त्वरित प्रवाह हेतु राजस्थान सरकार के डोमेन (rajforest.gov.in) पर विभागीय अधिकारियों के लिए जारी किये गये E-mail IDs जारी किये जा चुके हैं। भारत सरकार की FCA Monitoring Application में सरकारी ई–मेल सिस्टम का व्यापक उपयोग किया जा रहा है एवं अधिकाधिक रूप से अधिकारीगण इसकी सुविधाओं का उपयोग करते हुए दैनिक कार्यालय सम्बन्धित कम्युनिकेशन में त्वरित रूप से सूचनाओं का आदान–प्रदान कर रहे हैं। इससे समय एवं श्रम में बचत हुई है।

अधिकारियों के कार्यालय एवं व्यक्तिगत नाम से भी ई–मेल प्रदान की गई है। यह ई–मेल Single Sign On (SSO-id) के रूप में भी राज्य सरकार की विभिन्न एप्लीकेशन हेतु कार्य करेंगी।

वन कार्यालयों को इंटरनेट कनेक्टिविटी :

राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों भवनों को सेक्रेटेरियल लोकल एरिया नेटवर्क (Sec LAN) से जोड़े जाने का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग के मुख्यालय अरण्य भवन, अरावली भवन तथा जयपुर जन्तुआलय में कार्यालय वनवर्धन अधिकारी, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, कार्यालय वन मण्डल जयपुर (उत्तर), रेंज आमेर, रेंज जयपुर तथा रेंज नाहरगढ़ में इसे स्थापित किया जा चुका है।

विभाग में जयपुर से बाहर कार्यालयों को Raj SWAN से जोड़

गया है। अभी तक लगभग सभी फील्ड कार्यालयों में Raj SWAN की कनेक्टिविटी उपलब्ध हुई है। शेष कार्यालयों का Rajnet के माध्यम से सेवा उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

आधारभूत संरचना विकास (Infrastructure - Development) :

वित्तीय वर्ष 2016-17 में फील्ड स्तर तक के अधिकारीगणों को आईटी सम्बन्धी कार्यों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं इनके संधारण हेतु राशि रुपये 100.00 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आईटी कार्यों में तकनीकी कार्यों को सुचारु रूप से करने के लिए फील्ड स्तर के कार्यालयों में वांछित राशि रुपये 55.80 लाख का प्रावधान कर Skilled man Power के लिए किया गया है। इस प्रकार फील्ड स्तर तक आईटी सम्बन्धित कार्यों में सुदृढ़ता आने से सूचनाओं का सम्प्रेषण सुगम होगा एवं विभाग में एक सुदृढ़ आधार तैयार होगा।

वर्ष 2016-17 सभी संभागीय, वन मण्डल एवं सहायक वन संरक्षक कार्यालयों में डेस्कटॉप उपलब्ध हो जायेंगे। रेंज कार्यालयों में अगले चरण में डेस्कटॉप उपलब्ध करवाने की योजनाएं हैं। भारतीय वन सेवा के सभी अधिकारियों एवं राज्य वन सेवा के उप वन संरक्षक स्तर तक के अधिकारियों को लेपटॉप उपलब्ध करा दिये गये हैं।

ई-प्रोक्योरमेंट एवं स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल :

विभाग में ई-प्रोक्योरमेंट से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के यूजर नेम एवं पासवर्ड 24 घंटों के अन्दर उपलब्ध कराये गये।

राजस्थान राज्य लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम के अन्तर्गत एक लाख से अधिक राशि के निविदा State Public Procuremet Portal पर प्रदर्शित किये जाने अनिवार्य हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा सभी कार्यालय अध्यक्षों को User ID एवं Password उनके आवेदन पर उपलब्ध करवाये गये हैं। अब तक प्राप्त आवेदन पर User ID एवं Password 8 घंटों के अन्दर उपलब्ध करा दिये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा विकसित नवीन SPPP पोर्टल के अन्तर्गत सभी आवेदन करने वाले अधिकारियों को सुविधा प्रदान कर दी गई है।

ई-ग्रीनवाच :

भारत सरकार, माननीय सर्वोच्च-न्यायालय एवं ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए ई-ग्रीनवाच पोर्टल पर अपडेटिंग कार्य प्रगतिरत है। सभी वन मण्डलों एवं रेंजों को उनके यूजर नेम एवं पासवर्ड दे दिये गये हैं। उनके द्वारा सूचना अपलोड की जा रही है। संभाग स्तर पर प्रशिक्षण भी आयोजित किये गये हैं। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में भी संभागवार प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं। इस संदर्भ में ई-ग्रीनवाच एप्लीकेशन में प्रविष्टि के कार्यों में काफी प्रगति हुई है। कार्य सतत् रूप से जारी हैं। इस अनुभाग द्वारा प्रतिमाह कार्यों की प्रगति की मॉनिटरिंग की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा इस पोर्टल को सभी प्रकार की योजनाओं के लिए उपयोगी बनाए जाने के फलस्वरूप विभाग की सभी योजनाओं के वन विकास कार्यों के इस पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। मूल्यांकन एवं प्रबोधन के उप वन संरक्षकगणों को उनकी मूल्यांकन सम्बन्धी टिप्पणी ऑनलाइन अंकित करने हेतु अधिकृत किया जा चुका है।

मोबाइल सी.यू.जी. :

अनुभाग द्वारा विभाग को उप वन संरक्षक स्तर तक के 5545 फील्ड अधिकारियों/कर्मचारियों को BSNL के माध्यम से CUG SIM उपलब्ध करायी गयी जिससे कार्य करने एवं सूचनाओं को आदान प्रदान त्वरित एवं सुगम हो गया। इससे वन अपराधों को रोकने में भी सहायता प्राप्त हुयी। इससे विभाग के उच्चाधिकारियों के निजी फोन को भी नि:शुल्क जोड़ा गया।

ई-गवर्नेंस अनुभाग की नवीन गतिविधियां

Forest Management and Decision Support System (FMDSS) :

गत दो दशकों से सूचनाओं की बहुतायतता रही है विभाग इससे अछूता नहीं रहा है। नागरिकों की अपेक्षाएं भी विभाग से बढ़ गयी हैं और विभाग नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना अपना दायित्व

समझता है। उक्त दायित्व को पूर्ण करने एवं विभाग के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, कार्यकुशलता एवं विभाग के विभिन्न अनुभागों को बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक है।

उक्त उद्देश्यों की प्रवृत्ति के लिए विभाग द्वारा RISL के माध्यम से Webbased Management & Monitoring System लागू करने का निर्णय लिया जिसको FMDSS (Forest Management and Decision Support System) नाम दिया गया। इससे विभाग की समस्त गतिविधियों जैसे विकास, उत्पादन, वन सुरक्षा, वन अपराध, वित्तीय प्रबंधन आदि का प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग सुचारु रूप से हो सकेगा। इस परियोजना द्वारा सूचनाएं केन्द्रीकृत रूप में उपलब्ध होंगी जिससे इनका अग्रिम विश्लेषण एवं त्वरित निर्णय हो सकेगा। कार्यों की ऑनलाइन approval एवं sanctions जारी की जा सकेगी। सम्बन्धित अनुभाग को ई–मेल एवं एसएमएस के माध्यम से तत्काल सूचना प्राप्त हो सकेगी। विभाग की सभी गतिविधियों का एकीकृत सिस्टम है। फील्ड से मुख्यालय तक सभी सूचनाओं का संचार त्वरित होगा तथा इससे विभाग के कार्यों में पारदर्शिता, कार्य क्षमता एवं accountability में वृद्धि होगी।

FMDSS के अन्तर्गत नागरिक सेवाएं भी उपलब्ध करायी जावेंगी जो मुख्य रूप से निम्न प्रकार है :–

- **Fixed Land Use :-** Mining permission, Saw mill permission, Cable line permission, School permission, Electric line permission, Industry setup, Hospital, Road, Powerplant, Telephone line permission.
- **Stock holder Service :-** Contractor Registration, VFMC Registration, VFMC member Registration.
- **Offence Service :-** Registration of offence, Apply for compounding, Apply for seizer item.
- **Mise Service :-** Apply for camp organizing, Apply film shooting permission.
- **Online Ticket Booking :-** For all the areas where applicable. (Booking for Ranthambore, Sariska, Ghana & Nahargarh Biological Park have been started).
- **Production Service :-** Online purchase of produce, Apply for auction, Permission of Transit Pass.
- **Grievance Service :-** Apply Grievance and File RTI.

Citizen Centric Service Forest Development module तैयार है। इसे इसी वर्ष लागू किया जाना प्रस्तावित है। सभी फील्ड कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह अपने क्षेत्र में मास्टर ट्रेनर का कार्य करेंगे।

यह एप्लीकेशन Single Sign On (SSO) सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। इस एप्लीकेशन से राज्य सरकार एवं भारत सरकार की सभी एप्लीकेशन को इन्टीग्रेट किया जाना प्रस्तावित है जिससे सूचनाओं की दोहरी प्रविष्टि से बचा जा सके।

सूचना सहायक के 70 पद:–

विभाग में फील्ड स्तर पर ई–गवर्नेंस परियोजनाओं एवं सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसके लिए फील्ड में तकनीकी कर्मचारी का होना आवश्यक है। इस बिन्दु को विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के समक्ष उठाया गया तथा विभिन्न स्तरों पर परिक्षम एवं चर्चा होने के उपरान्त सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से फील्ड कार्यालयों एवं ई–गवर्नेंस सैल हेतु 70 सूचना सहायक के पद प्राप्त हुए हैं। यह सूचना सहायक वित्तीय वर्ष 2016–17 में 70 सूचना सहायक के पद प्राप्त हो गये हैं तथा इन्हें कार्यालयों में आवंटित किया जा चुका है। 28 सूचना सहायक का पदस्थापन हो चुका है शेष के लिए प्रयास जारी है। सूचना सहायक के पदस्थापन होने के फलस्वरूप विभाग में ई–गवर्नेंस गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग :–

विभाग के मुख्यालय अरण्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। अरण्य भवन से ब्लॉक स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है। विभाग की संभाग एवं वन मंडल स्तर तक के अधिकारियों से होने वाली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली जा रही है। अति आवश्यक स्थिति में ही फील्ड अधिकारियों को बैठक हेतु मुख्यालय बुलाया जा रहा है। इससे फील्ड से मुख्यालय तक आने एवं जाने में लगने वाले धन एवं समय की बचत हो रही है तथा मुख्यालय से कार्यों की समीक्षा आसान हो गयी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फील्ड

अधिकारियों को प्रजेंटेशन देकर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु एक अन्य Soft Solution प्राप्त कर लिया गया है जिससे अधिकारियों से कभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है।

ई-लाइब्रेरी :

अरण्य भवन स्थित विभाग की मुख्य लाइब्रेरी में 10000 से अधिक पुस्तकें, पत्रिकाएं हैं। स्टाफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुए इन पुस्तकों का प्रबंधन कठिन कार्य था। इसके लिए नवीन तकनीकों का उपयोग कराना आवश्यक है। इस उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से e-Library Solution प्राप्त किया गया। इससे पुस्तकों का प्रबंधन आसान होगा। विभाग के लाइब्रेरी के अधिकारी को इन सॉफ्टवेयर में डाटा एन्ट्री एवं प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण दिलाया गया। सॉफ्टवेयर में पुस्तकों की प्रविष्टि हेतु राशि भी उपलब्ध करायी गयी है। अधिकारी/कर्मचारी पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

इन्टीग्रेटेड विभागीय पोर्टल (forest.rajasthan.gov.in)

राज्य सरकार की नीति के अनुसार विभाग की सभी प्रकार की एप्लीकेशन एक ही domain के अन्तर्गत होनी चाहिए। इस नीति के अनुरूप विभाग के लिए forest.rajasthan.gov.in domain प्राप्त कर लिया गया है। सभी एप्लीकेशन/पोर्टल/MIS इस डोमेन के SubDomain के अन्तर्गत आयेगी जिससे सामान्य जन को पृथक्-पृथक् domain पर नहीं जाना पड़ेगा।

वाहन व्यवस्था (Vehicle Tracking System):-

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा Rajasthan Accountability and Assurance System (RASS) के अन्तर्गत Vehicle Tracking System विकसित किया है। इस सिस्टम को विभाग द्वारा रणथम्भौर टाईगर प्रोजेक्ट के पर्यटक वाहनों पर लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत RTR के सभी पर्यटक वाहनों (जिप्सी एवं कैन्टर) पर GPS उपकरण लगाये जायेंगे। इन पर्यटक वाहनों की Online monitoring हो सकेगी। सभी GPS उपकरण अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप पर्यटक वाहन मालिकों को क्रय करने होंगे। इसके लिए सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से नि:शुल्क प्राप्त होगी।

इस सिस्टम को लागू करने की प्रक्रिया जारी है। शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जावेगा।

विकास कार्यों की मॉनिटरिंग :-

भारत सरकार द्वारा ई-ग्रीनवाच पोर्टल पूर्व में कैम्पा के कार्यों हेतु ही विकसित किया गया था तदुपरान्त इस पोर्टल को सभी प्रकार की योजना के कार्यों हेतु Upgrade किया गया। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी तकनीक का उपयोग लेने के उद्देश्य से विभाग द्वारा सभी योजनाओं के विकास कार्यों को ई-ग्रीनवाच पोर्टल पर अपलोड करने का निर्णय किया गया। संभागों में पदस्थापित उप वन संरक्षकगणों को इस पोर्टल से मॉनिटरिंग का दायित्व दिया गया तथा कार्यों की evaluation report online इस पोर्टल में दर्ज करने हेतु यूजर नाम व पासवर्ड उपलब्ध कराये गये।

सभी उप वन संरक्षक (P&M) को इस कार्य हेतु प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

स्थानान्तरण एवं पदस्थापन (Transfer and Posting Module) :-

राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी स्थानान्तरण/पदस्थापन इस System से किये जाते हैं। इसके लिए मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन) के नेतृत्व में अधिकारियों का दल गठित किया जा चुका है। स्थानान्तरण/पदस्थापन की प्रक्रिया में संभावित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। विभाग के Data Verification का कार्य जारी है। आगामी स्थानान्तरण इसी System से किये जाने संभावित हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम हेतु ऑनलाइन सेवा (Online Service for RTI) :-

FMDSS के अन्तर्गत RTI के आवेदन प्रस्तुत करके भी एप्लीकेशन तैयार की जा रही है। इसके माध्यम से नागरिक अपने आवेदन/प्रथम अपील ऑनलाइन सम्बन्धित सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपील अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेंगे। सभी आवेदन ऑन लाइन प्राप्त करना एवं उनका विस्तारण भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से किया जावेगा।

यह एप्लीकेशन भी Single Sign On (SSO) System पर रहेगी। परिणामस्वरूप सभी AP10, P10 एवं FA0 को ई–मेल @rajasthan.gov.in पर बनवा दिये गये हैं जो इनके user name के रूप में कार्य करेगी।

ऑन लाइन अवकाश (Online leave Module):-

भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा के सभी अधिकारियों के लिए सभी प्रकार के अवकाशों (कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकृत होने वाले अवकाशों के अतिरिक्त) का आवेदन एवं स्वीकृति इस मॉड्यूल के माध्यम से की जा रही है। कार्मिक विभाग से इसे जोड़ने का प्रयास जारी है।

Raj-e Sign- (Integrated Electronic Signature System) :-

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्राधिकृत एवं सुरक्षित इलेक्ट्रोनिक सिगनेचर सिस्टम है जिसमें Dongle की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग के लिए बनायी जा रही एप्लीकेशन FMDSS, RTI, e-Transfer & Posting एवं MPR में Raj e-Sign का उपयोग करके कार्य प्रगतिरत है। यह आधार से लिंक सिस्टम है तथा आई.टी. के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन से इसे मान्य किया जा चुका है।

Work Account Management System (WAM) :-

राज्य सरकार द्वारा सभी Work विभागों के भुगतान कोषालय के माध्यम से करने के निर्देशों के उपरान्त इस अनुभाग द्वारा WAM में विभाग की कार्य प्रणाली अनुसार आवश्यक संशोधन करायें। विभाग की फील्ड की स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इसमें अपलोड किये जाने वाले फोटो पर GPS रीडिंग मार्क कराने की सुविधा प्रदान करायी। सभी वन मंडलों के उप वन संरक्षक एवं सहायक लेखाधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया। जयपुर (उत्तर) वन मंडल में यह सिस्टम सफलतापूर्वक कार्यान्वत उपरान्त इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। सभी कार्यालय इसका उपयोग कर रहे हैं।

Capacity Building & Change Management :-

Capacity Building & Change Management ई–गवर्नेंस के अन्तर्गत सतत् प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत इस अनुभाग द्वारा मुख्यालय पर पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारियों तथा फील्ड के अधिकारियों को ई–गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों को संचालित करने हेतु वानिकी प्रशिक्षण संस्थान एवं अपने स्तर पर Capacity building का कार्य सतत् किया जा रहा है।

नवीन System (FMDSS) हेतु एवं फील्ड कार्यालय सम्बन्धित अनुभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। egreenwatch,WAM, Transfer Posting, e-library, e-governance, P&M wing आदि के लिए Capacity building कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं।

वर्ष 2016–17 में अधिकारियों को ई–गवर्नेंस के अन्तर्गत Project Management का दो सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया। एक अधिकारी को हैदराबाद प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। तीन अधिकारियों को प्रेजेन्टेशन स्किल Inhencement हेतु प्रशिक्षण में नामित किया गया। इसके अतिरिक्त नवीन ई–गवर्नेंस कार्यों के लिए मुख्यालय पर संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

ई–गवर्नेंस अनुभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में आरम्भ नवीन गतिविधियां

नवीन तकनीक का उपयोग करने की निरन्तरता के अन्तर्गत–

i. GNSS Survey तकनीक का उपयोग आरम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत DGPS & RTK के उपयोग हेतु बीकानेर एवं जयपुर संभाग के FSO के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया। FSO जयपुर को DGPS & RTK उपकरण उपलब्ध कराकर पुन: फील्ड प्रशिक्षण दिलाया गया।

ii. High Resolution aerial photographs के माध्यम से विकास कार्यों की मॉनिटरिंग तकनीक विकसित करने का कार्य प्रगतिरत है।

iii. अरण्य भवन में सभी को नेटवर्किंग के माध्यम से कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य प्रगतिरत है।

iv. राज्य वन सेवा के अधिकारियों के कार्मिक कार्य मूल्यांकन

प्रतिवेदन (APR) (वर्ष 2016–17 हेतु) अप्रैल, 2017 से लागू करने का कार्य जारी है।

v. Digitization of Land received in lieu of diverted land कार्य कैम्पा के माध्यम से आरम्भ किया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार FCA के अन्तर्गत Land received in lieu of diverted Land के डिजिटाइजेशन के कार्य हेतु PDCOR से परामर्श सेवाएं प्राप्त की जा रही है। इससे राज्य के सभी संभागों में कार्य कराया जाता है। यह कार्य प्रगतिरत है।

सूचना प्रौद्योगिकी जीआईएस अनुभाग के वर्ष 2016–17 के क्रियाकलाप

जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का उपयोग

विभाग की आई.टी. शाखा के अन्तर्गत GIS संभाग में वन सीमाओं के डिजिटाइजेशन का अधिकांश कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संभागों में आने वाले वन मण्डलों के वन खण्डों को डिजिटाइजेशन कार्य राजस्थान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जोधपुर स्थित स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के सहयोग से कैडस्ट्रल स्तर पर वन सीमाओं के डिजिटाइजेशन कार्य में उत्तरोत्तर Accuracy प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए डिजिटाइजेशन के उपरान्त जी.आई.एस. डेटा का उपयोग करते हुए डिजिटाइज्ड किये गये वनखण्डों के लिए समस्त वनमण्डलों को उनके क्षेत्रों के प्राथमिक स्तर पर डिजिटल नक्शे उपलब्ध कराये गये हैं साथ ही फील्ड स्तर पर इनके उपयोग हेतु KML एवं अन्य डेटा भी दिया गया है। साथ ही साथ समय–समय पर इस तकनीकी के सुगम उपयोग हेतु संभाग, वनमण्डल स्तर पर सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी, वनपाल, वनरक्षक एवं सर्वेयरगण को प्रशिक्षित किया जा रहा है। डेजर्ट जोन में आने वाले वनमण्डलों के वन खण्डों की वन सीमाओं को डिजिटाइज्ड करने का कार्य अतिरिक्त तकनीकों के माध्यम से करने का प्रयास जारी है।

राजस्व विभाग द्वारा ई–धरती परियोजना के अन्तर्गत डिजिटाइज्ड वन सीमाओं (प्रादेशिक वन मंडल एवं वन्यजीव क्षेत्रों) का राजस्व विभाग द्वारा डिजिटाइज्ड भूमि के साथ ओवरले करने हेतु उपलब्ध कराया गया है। भविष्य में वन विभाग एवं राजस्व विभाग के डेटा में एकरूपता हो जाने पर यह डेटा आमजन के लिए अत्यन्त उपयोगी होगा। इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग की बैठकों में विभाग द्वारा तकनीकी एवं अन्य सुझाव भी दिये गये हैं एवं राज्य सरकार के इस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम में समुचित कार्यवाही की जा रही है।

फील्ड स्तर पर GIS तकनीकी सम्बन्धी जानकारी एवं उपयोग हेतु समय–समय पर मुख्य वन संरक्षक स्तर पर अधिकारीगणों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा वन कर्मियों को फील्ड स्तर पर GPS तकनीकी एवं डिजिटल मैप उपयोग के सम्बन्ध में Hands on Training भी दी गई है। इस वर्ष यह प्रशिक्षण अलवर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, सरिस्का, उदयपुर, राजसमंद, भरतपुर में दिया गया है।

भविष्य में इन डिजिटल सीमाओं को अनेक कार्यों जैसे : Thematic Maps, Planning Maps बनाने तथा मॉनिटरिंग कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। GIS डेटा का उपयोग करते हुए अनेक वन्य जीव क्षेत्रों के प्रस्तावित Eco-Sensitive Zone Maps तैयार किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा बनाए जा रहे Geo Spatial Data Center को भी GIS डेटा उपलब्ध कराया गया है। जिसके आधार पर DoIT&C सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा DSS बनाने हेतु उपयोग में लिया जा रहा है।

SRSAC, जोधपुर में विभिन्न वन मण्डलों के अन्तर्गत वनखण्डों के लगभग 5000 कैडेस्ट्रल मैप संधारण एवं अन्य GIS कार्य हेतु स्कैन कराये गये हैं जिन्हें केन्द्रीयकृत डेटा हेतु तैयार किया जा रहा है।

राज्य सरकार के GIS Portal/RAJDHARA पर TAD क्षेत्र में Infrastructure Mapping हेतु वन मण्डलों के माध्यम से GIS Data प्रदर्शित करने हेतु उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त Assets Mapping कार्य हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से जिलेवार Assets Mapping में प्रारम्भिक तौर पर टोंक जिले का कार्य किया गया है।

13

मानव संसाधन विकास

वन प्रशिक्षण :

वनों पर बढ़ते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन एवं सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नए प्रयोगों, नई सूचना प्रोद्योगिकी तकनीकी के उपयोग से परिचित रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर विभिन्न विषयों पर निरन्तर प्रशिक्षण दिया जावे।

राज्य में वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों में इसी अनुरूप दीर्घकालीन उपयोगी प्रभाव वाले प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समय की आवश्यकता को देखते हुए परिवर्तन किए जा रहे हैं।

विभाग द्वारा मानव संसाधन प्रबन्ध एवं विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्त्व दिया जा रहा है। राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य में प्रशिक्षण देने हेतु तीन संस्थाएं यथा वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, राजस्थान वन प्रशिक्षण केन्द्र अलवर तथा मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर में स्थित हैं। प्रशिक्षण कार्यों की राज्य के संदर्भ में उपयोगिता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और वैधता बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रविधियों में सुधार तथा नवीन शोध पर आधारित पाठ्य सामग्री का संयोजन तथा संकाय सदस्यों की दक्षता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थानों में सभी विषयों/ विधाओं के उच्च कोटि के वक्ताओं व विद्वानों को आमंत्रित कर प्रशिक्षण दिलाए जाने की व्यवस्था है। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर ने ज्ञान को कार्य से जोड़ने की रणनीति पर आधारभूत एवं व्यापक कार्य आरम्भ किया है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी राज्य के वानिकी प्रशिक्षण संस्थाओं में विभाग के सभी कार्यालयों से प्राप्त सुझावों एवं प्रतिभागियों से प्राप्त पृष्ठ पोषण के आधार पर प्रशिक्षण कैलेण्डर बनाया जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम

छाया सौजन्य : वा.प्र.स., जयपुर

माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर जोधुपर में वनपाल सत्र के समापन पर उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए

आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में विभाग के सभी संवर्गों के लिए कौशल संवर्धन, विषय आधारित व कार्यानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनके अतिरिक्त एनसीसी कैडेट्स तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों हेतु पर्यावरण जागरूकता एवं पौधारोपण तकनीक पर भी प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

राज्य के तीनों प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2016–17 में माह दिसम्बर, 2016 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण अग्रांकित है :–

वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर

वन रक्षक प्रशिक्षण :–

विभाग में इस वर्ष नवनियुक्त 1800 वनरक्षकों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक अभिनव कदम उठाया गया। इतनी संख्या में वनरक्षकों को सेवा आरम्भ करने से पूर्व विभाग के अलवर व जोधपुर स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों में आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाना संभव ही नहीं था। अत: प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशिक्षण के स्तर पर इन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राज्य के चार पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों किशनगढ़,खैरवाड़ा, झालावाड़ तथा अलवर एवं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर में प्रशिक्षण देने का निर्णय किया गया।

इन प्रशिक्षण केन्द्रों में नवनियुक्त वनरक्षकों को निम्नानुसार प्रशिक्षित किया गया–

क्र.सं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अवधि
1.	पी.टी.एस. किशनगढ़	154	11.7.2016 से 08.10.2016
2.	पी.टी.एस. किशनगढ़	172	21.11.2016 से 18.02.2017
3.	पी.टी.एस. खैरवाड़ा	186	11.1.2016 से 12.10.2016
4.	पी.टी.एस. खैरवाड़ा	189	21.11.2016 से 18.02.2017
5.	सी.आर.पी.एफ. समूह केन्द्र–II अजमेर (केवल महिला वनरक्षक)	302	22.08.2016 से 01.12.2016
6.	पी.टी.एस. झालावाड़	303	04.09.2016 से 08.12.2016
7.	पी.टी.एस. अलवर	131	30.01.2017 से आरम्भ
8.	मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर (महिला एवं पुरुष)	76	09.01.2017 से आरम्भ
9.	सी.आर.पी.एफ. समूह केन्द्र–II अजमेर (केवल महिला वनरक्षक)	134	13.02.2017 से आरम्भ
	योग	**1647**	

वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु युवाओं में जागृति हेतु कार्यक्रम :–

नियमित रूप से रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा, इस संस्थान द्वारा संस्थान परिसर के बाहर आम जनता व विद्यालयों में जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न करवाए गए। इस संस्थान के विषय विशेषज्ञों ने गांवों के विद्यालयों और महाविद्यालयों की कक्षाओं में व्याख्यान दिये एवं पर्यावरण के व्यावहारिक पक्षों के संदर्भ में जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये।

- 63 कार्मिकों को ''प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण'' कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।
- 11 कार्मिकों को वित्तीय प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया।
- 88 अधिकारियों/कर्मचारियों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
- 44 अधिकारियों/कार्मिकों को वन संरक्षण अधिनियम में प्रशिक्षित किया गया।
- 144 व्यक्तियों को पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया।
- विभिन्न विद्यालयों में कुल 83 एक दिवसीय पर्यावरण जागरूकता शिविर आयोजित किए जाकर 10927 विद्यार्थियों/अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।
- 20 कार्मिकों को वन क्षेत्र में सर्वेक्षण तकनीक में प्रशिक्षित किया गया।
- 48 कार्मिकों को राजस्थान सेवानियम, आचार संहिता आदि का प्रशिक्षण दिया गया।
- 16 अधिकारियों को वन्य जीव अपराधों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया।
- 46 कार्मिकों को वन एवं मीडिया विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।
- 43 वाहन चालकों को कौशल संवर्धन व दक्षता विकास का

वनपाल प्रशिक्षार्थियों के साथ माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर व अन्य अधिकारीगण

छाया सौजन्य : वा.प्र.स., जयपुर

एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

- चार, पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 65 अधिकारियों/कर्मचारियों को ई-ग्रीन वाच कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।
- 11 कार्मिकों को कृषि वानिकी में प्रशिक्षित किया गया।
- 18 कार्मिकों को दक्षता उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया।
- 12 अधिकारियों को 3 दिवसीय एक्जीक्यूटिव डवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया गया।
- 25 नेचर गाइड्स के लिए 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाकर प्रशिक्षित किया गया।
- 16 अधिकारियों को न्यायिक प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया।
- ओजोन दिवस पर 70 विद्यार्थियों/अध्यापकों को ओजोन सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराई गई।
- छोटे स्तनधारी प्राणियों के 'रेस्क्यू' विधियों पर 40 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- 44 कार्मिकों को क्षमता संवर्धन का प्रशिक्षण दिया गया।
- 50 अधिकारियों को RTP एक्ट का प्रशिक्षण दिया गया।
- 39 अधिकारियों/कार्मिकों को जैव विविधता अधिनियम का प्रशिक्षण दिया गया।
- 69 कार्मिकों/अराजकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को House Sparrow में प्रशिक्षित किया गया।
- कुल 300 विभागीय अधिकारियों की दो समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया।
- वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में क्षेत्रीय वन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा का आयोजन किया गया।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण (वन), अलवर

76 वनपालों को छः माह (15 जून, 2016 से 14 दिसम्बर, 2016 तक) का आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया।

नवनियुक्त महिला वनकर्मियों की पासिंग आउट परेड (सी.आर.पी.एफ. ट्रेनिंग सेन्टर, अजमेर)

छाया सौजन्य : वा.प्र.स., जयपुर

मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर

72 महिला वनपालों को 15 जून, 2016 से 11 दिसम्बर, 2016 तक छः माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया।

दिनांक 9 जनवरी, 2017 से 76 वनपालों (महिला एवं पुरुष) का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है।

पौधशाला : वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर में एक पौधशाला भी संचालित की जा रही है। इस पौधशाला में वर्ष 2016-17 का पिछला बकाया सहित, 106535 पौधे वितरित करने का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध अभी तक 71954 पौधों का वितरण किया जा चुका है। वर्ष 2014-15 में 1,30,657 पौधों के लक्ष्य के विरुद्ध 103189 पौधों का तथा वर्ष 2015-16 में 120508 पौधों के लक्ष्य के विरुद्ध 98973 पौधों का वितरण किया गया है।

स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण

विभाग द्वारा कार्मिकों व ग्राम्य वन सुरक्षा समितियों के पदाधिकारियों-सदस्यगणों को स्थानीय वन मण्डल स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्यालयी छात्र-छात्राओं तथा अध्यापकों हेतु भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

14

सम्मान एवं पुरस्कार

वनों के संरक्षण, विकास, सुरक्षा, विस्तार एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं/विभागीय कर्मचारियों–अधिकारियों को वन विभाग, राजस्थान सरकार तथा केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार पुरस्कार स्वरूप नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करते हैं। वन विभाग, राजस्थान द्वारा प्रति वर्ष वन सुरक्षा एवं विकास के लिए कई पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

राज्य सरकार ने दिनांक 26 जून, 2013 को राज्यादेश जारी कर वृक्षारोपण, वन सुरक्षा एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्थान को दिए जाने वाले अमृता देवी पुरस्कार की राशि में वृद्धि कर इसे दोगुना कर दिया है। आदेशानुसार उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/पंचायत/ग्राम स्तरीय संस्थाओं को अब एक लाख रुपये नकद व प्रशस्ति पत्र तथा वन विकास एवं वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा करने वाले व्यक्तियों को पचास हजार रुपये नकद व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जायेंगे।

इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा 7 मार्च, 2014 को एक अन्य आदेश जारी कर वन सुरक्षा, विकास तथा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को पुरस्कार राशि में संशोधन किया गया है जो निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	श्रेणी पुरस्कार	पुरस्कार राशि ₹ में	
		राज्य स्तर पर	जिला स्तर पर
(क)	**वन विकास का उत्कृष्ट कार्य हेतु ''वृक्ष वर्धक'' पुरस्कार**		
1.	वृक्षारोपण का उत्कृष्ट कार्य करने वाले निजी व्यक्ति/कृषक	2,000	1000
2.	वृक्षारोपण का उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था/औद्योगिक प्रतिष्ठान	2,000	1000
3.	वृक्षारोपण का सर्वोत्तम कार्य करने वाली शिक्षण संस्था	2,000	1000
4.	वृक्षारोपण का सर्वोत्तम कार्य करने वाली पंचायत	2,000	1000
5.	शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण का उत्कृष्ट कार्य करवाने वाली नगर पालिका/परिषद (स्थानीय निकाय)	2,000	1000
6.	खनन क्षेत्रों को वृक्षारोपण कर पुनर्वास करने वाला व्यक्ति/संस्थान	2,000	1000
(ख)	**वन्य जीव, वन सुरक्षा एवं संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य हेतु ''वन प्रहरी'' पुरस्कार**		
1.	सर्वोत्तम वन सुरक्षा वन प्रबंधन कार्य करने वाली संस्था ''ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति''	2,000	1000
2.	वृक्ष/वनों की सुरक्षा में सहयोग का उत्कृष्ट कार्य करने वाला निजी व्यक्ति/संस्था	2,000	1000
(ग)	**वानिकी प्रसार–प्रचार ''वन प्रसारक'' पुरस्कार**		
1.	प्रचार–प्रसार का सर्वोत्तम कार्य करने वाला निजी व्यक्ति	–	1000
2.	प्रचार–प्रसार का उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था	–	1000
(घ)	**वनपालक पुरस्कार–वनाधिकारियों तथा वन कर्मियों हेतु**		
1.	सर्वोत्तम वन रक्षक	2,000	1000
2.	सर्वोत्तम वनपाल	2,000	1000

क्र.सं.	श्रेणी पुरस्कार	पुरस्कार राशि ₹ में	
		राज्य स्तर पर	जिला स्तर पर
3.	सर्वोत्तम क्षेत्रीय (प्रथम/द्वितीय श्रेणी)	2,000	1000
4.	सर्वोत्तम वन मण्डल	शील्ड	–
(ङ)	**वानिकी लेखन एवं अनुसंधान पुरस्कार**		
1.	वानिकी क्षेत्र में मौलिक सृजनात्मक एवं अनुसंधान कार्य जैसे लेख, पुस्तक, अनुसंधान, पत्र लिखने वाले व्यक्ति को पुरस्कार	4,000	–
(च)	**''वानिकी पंडित'' पुरस्कार**		
1.	वन सुरक्षा, संवर्धन प्रचार–प्रसार का समग्र रूप से पूरे राज्य में सर्वोत्तम कार्य करने वाला व्यक्ति/निजी संस्था/विभाग (वन विभाग के अति.)	10,000	–

इस वर्ष 2016 के अमृता देवी पुरुस्कारों की घोषणा नहीं हो पाई है।

राज्य स्तरीय योग्यता प्रमाण पत्र

- स्वतंत्रता दिवस दिनांक 15 अगस्त, 2016 को राज्य स्तर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा भारतीय वन सेवा की अधिकारी श्रीमती आकांक्षा चौधरी को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

- गणतंत्र दिवस दिनांक 26 जनवरी, 2017 को आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राज्य वन सेवा के सहायक वन संरक्षक, तालछापर सूरतसिंह पूनिया को माननीय राज्यपाल श्री कल्याण सिंह द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

- दिनांक 27 नवम्बर, 2016 को मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (MJSA) के प्रथम चरण के समाप्ति उपरान्त जयपुर में राज्यस्तरीय समारोह सम्पन्न हुआ। इस समारोह

में अभियान के क्रियान्वयन में राज्य स्तर पर उत्कृष्ट योगदान हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा एन.सी. गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान एवं अजय गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग को प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया गया।

जिला स्तरीय सम्मान

इसी समारोह में अभियान के जिला स्तर पर उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर) श्री ओ. पी. शर्मा, उप वन संरक्षक, सीकर श्री राजेन्द्र कुमार हुड्डा, उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ श्री सुगनाराम जाट को भी योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रीय वन अधिकारी बेगू (चित्तौड़गढ़), श्री पृथ्वी सिंह; वनपाल, धौलपुर श्री विवेक सिह तथा वनरक्षक करौली श्री मनीष शर्मा को भी सम्मानित किया गया।

- वन मण्डल श्रीगंगानगर के सहायक लेखाधिकारी श्री रतनलाल सिंघल को गणतंत्र दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी द्वारा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन के लिए योग्यता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

15

संचार एवं प्रसार

वन एवं वन्य जीव संरक्षण, जन साधारण के सहयोग एवं भागीदारी से ही संभव है, जन सहयोग एवं भागीदारी प्राप्त करने के लिए जनसामान्य को विभाग की गतिविधियों, वन एवं वन्य जीवों से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी सुलभ करवाया जाना आवश्यक है। विभाग द्वारा वन संरक्षण के साथ–साथ वन विकास के कार्य भी किए जाते हैं। इनकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि कार्यक्रम के उद्देश्य तथा उससे प्राप्त होने वाले संभावित लाभों के बारे में जनसाधारण को पूर्ण जानकारी हो। वन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियों एवं उनसे प्राप्त होने वाले संभावित लाभों की जानकारी जन साधारण तक पहुंचाने एवं वन संरक्षण एवं वन संवर्धन के कार्य में अधिकाधिक जन सहयोग आकर्षित करने के उद्देश्य से विभाग में मुख्यालय एवं परियोजना स्तर पर प्रचार–प्रसार प्रकोष्ठ गठित किये गये हैं। संचार एवं प्रसार (Communication & Extension) के अन्तर्गत इस वर्ष माह दिसम्बर, 2016 तक मुख्य रूप से निम्न कार्य किये गये हैं :

- 67वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अतिरिक्त विभिन्न जिलों में 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, (World Forestry Day), 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस (World Earth Day), 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस (World Biodiversity Day), 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day), जुलाई–अगस्त में वन महोत्सव, 16 सितम्बर विश्व ओजोन दिवस (World Ozone Day) एवं 1 से 7 अक्टूबर वन्य प्राणी सप्ताह (Wildlife Week) के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किये गये। इन कार्यक्रमों में जन चेतना रैली, पौधारोपण कार्यक्रम, वन्य जीव प्रशिक्षण कार्यक्रम, लघुनाटक आयोजित किये गये।

माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे 67वें वन महोत्सव में विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए छाया सौजन्य : संयोग मिश्रा

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-2 के अन्तर्गत संचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण गतिविधियां

- **67वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2016 के अवसर पर प्रदर्शनी**

67वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 21 जुलाई, 2016 को झालावाड़ में मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में विभाग की ओर से एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसका संयोजन परियोजना द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी में विभाग एवं राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना की प्रगति एवं उपलब्धियों का विवरण आकर्षक पोस्टरों द्वारा प्रदर्शित किया गया। परियोजना द्वारा संयोजित इस प्रदर्शनी का अवलोकन माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, सम्माननीय अतिथियों, विभाग के अधिकारियों तथा आमजन द्वारा किया गया और सराहा गया।

इस अवसर पर परियोजना अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रदर्शन के साथ विक्रय भी किया गया।

- **परियोजना न्यूज लेटर का प्रकाशन प्रारम्भ**

परियोजना निदेशालय द्वारा परियोजना अन्तर्गत क्रियान्वित विभिन्न गतिविधियों से सम्बन्धित जानकारी एवं विभिन्न हितधारकों से संवाद हेतु एक त्रैमासिक न्यूज लेटर का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया है। अब तक इस न्यूज लेटर के तीन अंक प्रकाशित किये जा चुके हैं।

- **जागरूकता शिविरों का आयोजन**

वर्ष 2016-17 में परियोजना क्षेत्र में करीब 110 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इन जागरूकता शिविरों में विभाग के सहयोग से स्वयंसेवी संस्था द्वारा परियोजना की गतिविधियों तथा इससे मिलने वाले लाभ की जानकारी दी जाती है।

विभागीय झांकियां पुरस्कृत

- करौली जिले में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 2017 को जिला स्तरीय समारोह में निकाली गई। वन विभाग की झांकी को प्रथम घोषित किया गया।

- श्री गंगानगर जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह में विभाग की झांकी को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। इस अवसर पर माननीय सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार द्वारा उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर, श्री आशुतोष ओझा को ट्राफी प्रदान की गई।

16

सामाजिक, आर्थिक समृद्धि में वनों का योगदान एवं साझा वन प्रबन्ध

पूर्व में वनों का वैज्ञानिक तरीके से विदोहन कर अधिकाधिक आय प्राप्त करना वन विभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। कालान्तर में पर्यावरण के संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न वन मण्डलों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना अनुसर वनों का प्रबन्धन किया जा रहा है।

छाया सौजन्य : संयोग मिश्रा

वनों का प्रत्यक्ष योगदान

❖ नि:शुल्क लघु वन उपज प्राप्ति:

वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्ध में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाकर उन्हें लाभ में हिस्सा दिये जाने के उद्देश्य से 'जनसहभागिता' की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ। पूर्ण जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वनों तथा वन विकास कार्यों से प्राप्त होने वाले सकल लाभों में स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई। वानिकी विकास कार्यों के लिए उपयोग में ली जाने वाली वन भूमि, पंचायत भूमि अथवा राजस्व भूमि की उत्पादकता बढ़ाने को प्राथमिकता दिये जाने के फलस्वरूप स्थानीय लोगों को घास, छांगण आदि के रूप में करोड़ों रुपये मूल्य की लघु वन उपज नि:शुल्क प्राप्त हो रही है।

❖ लघु वन उपज की आपूर्ति

राज्य में ग्रामीणों के सहयोग से प्रबन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली घास व अन्य लघु वन उपज ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से उन्हें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे वनों की सुरक्षा व प्रबन्ध के बदले कुछ न कुछ लाभ भी प्राप्त कर सके और वन उपज का वैज्ञानिक प्रबन्धन भी हो सके। विभागीय वृक्षारोपणों से करोड़ों रुपये मूल्य की घास प्रतिवर्ष ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से ग्रामवासियों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

गैर काष्ठीय वन उपज से लाभ

दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को राजस्थान राज पत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित कर राज्य सरकार ने 26 गैर काष्ठीय वन उपज को अनुसूचित क्षेत्र के अन्दर से परिवहन को पार–पत्र की आवश्यकता से उन्मुक्त कर दिया। अधिसूचना से आदिवासियों के लिए आजीविका अर्जित करने में अत्यधिक सहयोग मिला। मात्र उदयपुर संभाग में ही चालू वर्ष में माह दिसम्बर तक आदिवासी/वन निवासियों ने ₹ 8333.461 लाख की कुल 371557.26 किलोग्राम गैर काष्ठीय वन उपज का एकत्रीकरण कर विक्रय किया।

छाया सौजन्य : संयोग मिश्रा

इससे राज्य सरकार को मण्डी टैक्स के रूप में ₹ 132.323 लाख की आमदनी हुई।

गैर काष्ठीय वन उपज (NTFP) को पार–पत्र से मुक्त करने के बाद आदिवासियों को प्रत्यक्ष लाभ।

क्र.सं.	गैर काष्ठीय वन उपज	उत्पाद की मात्रा (किग्रा. में)	उत्पाद का मूल्य (₹ लाखों में)	मण्डी टैक्स (₹ लाखों में)
1.	महुआ	290916	5117.2	81.87
2.	रतनजोत	17212	275.411	4.40
3.	करंज	6022	136.65	2.186
4.	पुवाड़	40262	1636.57	26.18
5.	शहद	2124.68	421.25	6.67
6.	गोंद	2334.08	160.23	2.56
7.	आंवला	6084	266.74	4.268
8.	जेलमा	6062	152.75	1.53
9.	तेंदू पत्ता	–	159.80	2.55
10.	खैर	0.62	0.38	0.006
11.	सोगरी	0.38	0.19	0.003
12.	गोंदा	2.50	0.37	0.006
13.	अरीठा	512	5.67	0.09
14.	बहेड़ा	25	0.25	0.004
	योग	**371557.26**	**8333.461**	**132.323**

वनों का परोक्ष योगदान

पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में योगदान

पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में वनों का परोक्ष योगदान सर्वाधिक है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार एक वृक्ष अपनी 50 वर्ष की आयु में 1982 के मूल्यों पर आधारित लगभग ₹ 15 लाख मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष योगदान प्रदान करता है। इस प्रकार वनों से अत्यधिक राशि की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सेवाएं मानव समाज को प्राप्त होती हैं।

साझा वन प्रबंधन की सुदृढ़ीकरण योजना

वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंध का क्रियान्वयन राज्य में 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्तमान में वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 17.10.2000 व संरक्षित वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 24.10.2002 के राज्यादेशों के अनुरूप साझा वन प्रबंध की संकल्पना की क्रियान्विति की जा रही है।

राज्य में 6186 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां/इको डवलपमेंट कमेटियां गठित हैं जो लगभग 1147661 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र का प्रबंधन कर रही है।

साझा वन प्रबन्ध

प्रदेश में समितियों द्वारा प्रबंधित कुल क्षेत्र में से 400503 हैक्टेयर, वृक्षारोपण क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्रों के लिए 489 ईको डवलपमेंट कमेटियां गठित की जा चुकी हैं।

राज्य में कार्यरत समितियों में से 5732 पंजीकृत समितियां हैं तथा शेष 454 नवगठित समितियां पंजीकरण की प्रक्रिया में है। समितियों में कुल 6,79,845 व्यक्ति सदस्य हैं जिनमें से 2,42,186 महिलाएं हैं। कुल सदस्यों में 94,281 सदस्य अनुसूचित जाति तथा 3,03,587 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से हैं। महिला उप समितियों में 47,759 महिलाएं सदस्य हैं।

राज्य की कुल समितियों में से 4,294 समितियों ने अपने बैंक खाते खोल रखे हैं जिनमें ₹ 1678.01 लाख की धनराशि जमा है। 1599 समितियों ने पृथक से अनुरक्षण कोष स्थापित कर रखे हैं जिनमें ₹ 829.971 लाख की राशि जमा है। यह अनुरक्षण कोष, संबंधित क्षेत्र में विभागीय गतिविधियों के बन्द होने के बाद क्षेत्र के प्रबंध हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इस व्यवस्था से भारी व्यय के बाद तैयार वृक्षारोपणों के बजट के अभाव में नष्ट होने का खतरा कम हो जाएगा। राज्य में कार्यरत वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां, सदस्यता शुल्क, वन उपज के विक्रय व अन्य स्रोतों से आय एकत्रित करती है।

समितियां घास, लघु वन उपज की बिक्री/नीलामी से भी लाभ

छाया सौजन्य : ओ. पी. शर्मा

प्राप्त करती हैं। इन समितियों को घास से ₹ 326.15 लाख से अधिक का लाभ प्राप्त हुआ है। समितियों की गतिविधियों से कुल 4,28,852 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। राज्य में कार्यरत ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां सदस्यता शुल्क, वन अपराधों को पकड़कर शास्ती वसूल करने, वन उपज विक्रय आदि माध्यमों से आय एकत्रित करती है। समितियों द्वारा अब तक कुल ₹642.5394 लाख की आय अर्जित की गई है।

राज्य की 3,121 समितियों ने अपने–अपने क्षेत्र का सूक्ष्म नियोजन बनाया हुआ है तथा 1,642 समितियों की प्रबंध योजना भी बन चुकी है। इन समितियों को 442 गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं।

राज्य में वनों की सुरक्षा व वन विकास जैसे कार्यों में स्थानीय जनता की सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्राम स्तर पर ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों/पारिस्थितिकीय विकास समितियों का गठन किया जाकर उनके माध्यम से वनों की सुरक्षा व वन विकास के कार्य करवाये जा रहे हैं, इसमें उत्तरोत्तर उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। वन एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों के प्रबंधन से जहां स्थानीय गठित समितियों को घास व लघु वन उपज नि:शुल्क प्राप्त हो रही है, वहीं प्रबन्धित क्षेत्र की प्रबन्ध योजना (Management Plan) बनाकर विदोहित वन उपज की बिक्री से प्राप्त शुद्ध लाभ का आधा हिस्सा भी समिति को उक्त राज्यादेश के अनुरूप प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि से वनों पर निर्भरता में कमी व सतत् पौषणीय वन प्रबंध हेतु विभाग इन वन उत्पाद के मूल्य संवर्धन कर विपणन में सहयोग कर उनके जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न आय सृजन गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान हेतु प्रयासरत है।

ये समितियां वन विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, जहाँ एक ओर किसी वन अपराध के घटित होने पर विभाग को सूचना देती है, वहीं वन अपराध की रोकथाम, धर पकड़ में साथ देती है। कई स्थानों पर समितियां वन भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में अत्यन्त सतर्क है तथा अपने क्षेत्रों में वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने देती है। प्रबंधित क्षेत्र से घास व लघु वन उपज निकासी की प्रक्रिया बनाकर, एकत्रीकरण कर अपनी

आवश्यकताओं की पूर्ति करती है एवं अधिशेष उपज को समीप के ग्रामवासियों को उपलब्ध कराती है।

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों द्वारा की जा रही गतिविधियां

घास की सुरक्षा एवं विभाजन

राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रावधानों के अनुरूप ये समितियां इन प्रबन्धित वन क्षेत्रों से नि:शुल्क घास प्राप्त कर रही हैं जिससे ग्रामीणों की आवश्यकता व जीविकोपार्जन में सहयोग मिल रहा है।

लघु वन उपज संग्रहण

समितियों द्वारा प्रबन्धित क्षेत्र से सीताफल, रतनजोत, पुआड बेर, जामुन, महुआ फल–फूल, बहेड़ा फल, ग्वारपाठा (एलोएवेरा) आंवला फल, शहद, सफेद मूसली व अन्य फल–फूल एकत्रित किया जाता है।

बांस विदोहन एवं विपणन

समितियों द्वारा सुरक्षित व प्रबंधित किये गये वृक्षारोपण क्षेत्रों की प्रबन्ध योजना स्वीकृत कराई जाकर बांस विदोहन व उसके विक्रय से प्राप्त शुद्ध आय में आधा हिस्सा समितियों को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार इन वृक्षारोपण क्षेत्रों का सतत् पोषणीय प्रबन्ध प्रारम्भ हो गया है।

ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्रों से बांस का विदोहन :–

साझा वन प्रबंधन के अन्तर्गत ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा व प्रबन्धन से उत्पादित बांसों का प्रबन्ध योजना के स्वीकृति पश्चात् बांस विदोहन का कार्य किया जाता है। इस प्रकार तकनीकी रूप से विभागीय मार्गदर्शन में किये गये बांस विदोहन से बिक्री योग्य विदोहित बांस का परिवहन कर विभागीय कार्य मण्डल के माध्यम से नीलामी की कार्यवाही की जाती है तथा क्षेत्र में अधिशेष रहे सूखे, आड़े–टेढ़े, लॉप्स एवं टॉप्स को अगरबत्ती स्टिक्स बनाने हेतु वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2015–16 में इस प्रकार की गई बांस नीलामी से प्राप्त शुद्ध आय एवं समितियों को दी गई हिस्सा राशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मण्डल	ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति	विदोहित मानक बांस (संख्या)	विक्रय से शुद्ध लाभ (₹)	ग्रा.व.सु. एवं प्र. समिति का हिस्सा(₹)
उदयपुर	केवड़ा	30,000	554208	277104
प्रतापगढ़	दाणी तलाई	30966	341828	170914
	शकरकन्द	25813	433315	216657
	आरामपुरा	27764	612358	306179
	बलीचा	42500	1135518	567759
	मायदा	20557	694197	347098
राजसमंद	पीपाना	36192	367794	183897
उदयपुर (उत्तर)	सूरजगढ़	49335	1431950	715975
	पदराहा	5075	132076	66038
	गढ़माता	10945	160888	80444
	पलासमा	14293	247754	123877
	रावों का सायरा	20264	283744	141872
	डिकोड़ा	27009	745538	392769
	निचला सामणिया	33257	168514	84257
	योग	**373970**	**7309682**	**3674840**

छाया सौजन्य : ओ. पी. शर्मा

ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के प्रबंधित क्षेत्रों से विदोहित बांस

जीविकोपार्जन गतिविधियां

साझा वन प्रबंध के क्षेत्र में उदयपुर संभाग के वन क्षेत्रों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में सहभागिता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वनों की सुरक्षा व विकास का कार्य स्थानीय जनता की सहभागिता प्राप्त कर ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों/परिस्थितिकीय विकास समिति के माध्यम से किया जा रहा है तथा इसमें उत्तरोत्तर उत्साहवर्धक परिणाम हो रहे हैं। विभाग इसमें नये आयाम स्थापित कर रहा है। वन/वृक्षारोपण क्षेत्रों के प्रबंधन से जहां स्थानीय समिति को घास व लघु वन उपज नि:शुल्क प्राप्त हो रहे हैं, वहीं प्रबन्धित क्षेत्र की प्रबंध योजना (Management Plan) बनाकर विदोहित वन उपज की बिक्री से प्राप्त शुद्ध लाभ का आधा हिस्सा भी समिति को प्राप्त होता है।

आर. एफ. बी. पी.-2 योजनान्तर्गत विभाग भी वृक्षारोपण क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थानीय प्रजातियां रोपित कर रहा है, जिससे कि सदस्यों को जहां उनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति हो रही है, वहीं वन उत्पाद के संग्रहण, मूल्य संवर्धन व विपणन से इनकी आय में वृद्धि हो रही है। आय में वृद्धि, वनों पर निर्भरता में कमी व सतत् पौषणीय वन प्रबंध हेतु विभाग इन वन उत्पाद के मूल्य संवर्धन एवं विपणन में सहयोग कर विभिन्न आय सृजन गतिविधियों के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान हेतु प्रयासरत है।

आजीविका अर्जन गतिविधियां :

स्वयं सहायता समूह

राज्य में निवास करने वाले आदिवासी जन समुदाय एवं निर्धन व पिछड़े वर्ग के ग्राम समुदाय अपनी आजीविका के लिए निकटवर्ती वनों पर अधिक आश्रित होते हैं। ये समुदाय वनोपज निकास कर अपना जीवन चलाते हैं और अनजाने ही वनों को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से विभाग इनके स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाकर, विभिन्न उत्पादों के निर्माण, प्रोसेसिंग, विक्रय आदि का प्रशिक्षण व कार्य आरम्भ करने हेतु, ऋण के रूप में पूंजी उपलब्ध कराकर उन्हें आजीविका अर्जन के अवसर देता है जिसमें ग्रामवासियों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ उनकी आय बढ़ सके जिसके फलस्वरूप वनों के दबाव घट सके।

वन आधारित समुदायों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने

छाया सौजन्य : संयोग मिश्रा

माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का अवलोकन करते हुए

के लिए राज्य वन विभाग द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। गांव–गांव में स्वयं सहायता समूह विकसित किए जाकर उन्हें आय के नियमित स्रोत उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में कुल 3749 स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं जिनमें से पुरुषों का 1916 व महिलाओं के 1794 समूह हैं। इन समूहों के पास ₹ 231.69 लाख जमा हैं।

वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को जीविकोपार्जन कार्य के नए विकल्प प्रदान कर आर्थिक सम्बल प्रदान किये जाने का प्रयास किया गया है, जिससे स्थानीय रूप से उपलब्ध वन अथवा गैर वन उपज का मूल्य संवर्धन किया जाकर उत्पादों के विपणन से पहले से अधिक आय होने लगी है। इन गतिविधियों से जहां वृक्षारोपण/वन क्षेत्रों के संरक्षण व संवर्धन में स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त होने लगा है, वहीं इन क्षेत्रों के सतत् पोषणीय वन प्रबन्ध (Sustainable forest management) की भावना विकसित किये जाने में मदद मिलने लगी है।

जीविकोपार्जन गतिविधियों हेतु प्रथमत: उपलब्ध स्थानीय उपज की पहचान / चिह्नीकरण (Identification) किया जाकर उक्त उपज के मूल्य संवर्धन किये जाने हेतु स्थानीय ग्रामीणों में जागरूकता पैदा की जाकर, क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करवाया गया है। इन गतिविधियों के संचालन हेतु बाह्य संस्थाओं यथा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर, फूड एवं डेयरी टेक्नोलॉजी एवं उद्यानिकी विभाग, कोनबेक–सिंहदुर्ग महाराष्ट्र व अन्य संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण दिलवाया गया है।

विभाग द्वारा इस क्षेत्र में युवाओं विशेषकर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए जाकर, कौशल प्रशिक्षण दिया जाकर वनों पर निर्भरता को कम करने हेतु विशेष प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं। इसके अन्तर्गत स्थानीय रूप से उपलब्ध वन संसाधनों का चिह्नीकरण कर, उसका मूल्य संवर्धन कर, उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय से स्थानीय लोगों को जोड़ने का अभिनव प्रयोग प्रारम्भ किया गया है।

विभाग द्वारा आय सृजन हेतु चलाई जा रही प्रमुख गतिविधियां निम्न प्रकार से हैं:–

1. अगरबत्ती निर्माण

छाया सौजन्य : ओ. पी. शर्मा

स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित अगरबत्ती स्टीक्स

2. ग्वारपाठा रस/जैल निर्माण
3. हर्बल गुलाल निर्माण
4. सीताफल पल्प निष्कर्षण
5. बांस फर्नीचर निर्माण
6. दाल मिल संचालन
7. जामुन/आम/आंवला/करोंदा/बिलपत्र इत्यादि का शरबत निर्माण
8. एडवेंचर/टूरिज्म/ईकोटूरिज्म
9. खाद/बीज क्रय कर किसानों को उपलब्ध कराना
10. सामाजिक प्रयोजनों हेतु बर्तन भण्डार
11. कृषि उपकरण क्रय करना एवं कृषकों को उपलब्ध कराना
12. अनाज बैंक
13. आटा चक्की
14. मसाला उद्योग
15. पेपर बॉक्स विपणन
16. मुर्गीपालन
17. सिलाई प्रशिक्षण एवं सिलाई कार्य
18. थ्रेसर संचालन

मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आजीविका उपार्जन की दिशा में प्रयास

विभाग द्वारा उदयपुर संभाग में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करवाए जा रहे वन उपज के मूल्य संवर्धन के प्रयासों का विवरण अग्रानुसार दृष्टव्य है :

क्र.सं.	आजीविका गतिविधि	समितियों की संख्या	स्वयं सहायता समूहों की संख्या	सदस्यों की संख्या	औसत वार्षिक आय (₹ लाखों में)
1.	ग्वारपाठा उत्पाद	7	21	315	20.00
2.	अगरबत्ती स्टिक्स	8	24	360	8.00
3.	हर्बल गुलाल	5	15	225	4.00
4.	सीताफल उद्योग	1	3	50	30.00
5.	सीताफल की ग्रेडिंग	4	200	300	125.00
6.	शहद	3	9	180	3.00
7.	बांस फर्नीचर बनाना	1	3	50	2.00

स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किये गये उत्पादों को अब उपभोक्ताओं को राज्य में कई स्थानों पर विक्रय किया जाने लगा है। प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादित इन उत्पादों की बिक्री का हिस्सा सम्बन्धित वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों को जा रहा है। जिसे वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा एवं विकास पर भी व्यय किया जाने लगा है।

नाहरगढ़ अभयारण्य का विहंगम दृश्य

छाया : जगदीश गुप्ता

"जनकल्याण की दिशा में वन विभाग की अनूठी पहल"

सामाजिक कल्याण की दृष्टि से विभाग के वन मण्डल उदयपुर (उत्तर) ने चालू वित्तीय वर्ष में एक श्रेष्ठ कदम उठाया है। इस वन मण्डल ने ईको सोल्यूशन ट्रस्ट, मुम्बई के सहयोग से स्थानीय ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के 252 गांवों के 41,000 अविद्युतीकृत घरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से रोशन करने का कदम उठाया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे घर को जो अभी भी अविद्युतीकृत है, को एक–एक सोलर लैम्प उपलब्ध कराया जा रहा है। यह कार्यक्रम वर्ष 2016 की दिवाली से पूर्व, धनतेरस को आरम्भ किया गया था तथा अब तक 60 गांवों के 10,500 घरों में इन लैम्पों का वितरण किया जा चुका है।

ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों द्वारा आयोजित ऐसे समारोह में बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी व विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की उपस्थिति समारोह की गरिमा में वृद्धि करती है। ऐसे प्रथम समारोह में माननीय विधायक गोगुन्दा प्रताप राम भील ने शिरकत की। जहां कोटड़ा कैला, क्वारी, धरलीघाटी के ग्रामीणों को सोलर लैम्प वितरित किए गए थे। हाल ही में ग्राम मेरपुर में आयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री माननीय फगन सिंह कुलस्ते व उदयपुर सांसद माननीय अर्जुन लाल मीणा ने शिरकत कर मेरपुर, मालवीया, पावटी कलां के 1000 अविद्युतीकृत घरों के आदिवासियों को सौलर लैम्प वितरित किए।

सूचना एवं छाया सौजन्य : अजय गुप्ता, ओ. पी. शर्मा

17

23वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता

अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 1992 से लगातार विभिन्न राज्यों द्वारा किया जा रहा है जिसमें वन विभाग राजस्थान की टीम ने सभी प्रतियोगिता में भाग लिया है तथा प्रतियोगिता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक से वनरक्षक तक अधिकारियों/कर्मचारी एवं मंत्रालयिक संवर्ग द्वारा भाग लिया जाता है। प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों से लगभग 5000 प्रतिभागी भाग लेते हैं। अब तक कुल 22 बार उक्त प्रतियोगिता का आयोजन किया जा चुका है। उक्त प्रतियोगिताओं में टेनिस, टेबिल टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वॉलीबाल, फुटबाल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबाल, कबड्डी, रस्साकशी, तैराकी, वेटलिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, कैरम, शतरंज, ब्रिज, बिलियर्ड्स, शूटिंग इत्यादि खेलों का आयोजन होता है।

वर्ष 2007 में राजस्थान वन विभाग ने दिनांक 7 से 11 फरवरी तक 15वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया था। राजस्थान वन विभाग द्वारा टेबिल टेनिस, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, शॉटपुट, जैवेलियन थ्रो, डिस्कस थ्रो, कबड्डी एवं अन्य प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त किये गए हैं।

वर्ष 2017 में दिनांक 07.01.2017 से 11.01.2017 तक 23वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद (तेलंगाना) में किया गया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान वन विभाग के निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा 2 गोल्ड, 4 ब्रोंज मेडल प्राप्त किये गये हैं।

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	खेल	मेडल
1.	राहुल भटनागर	लॉन टेनिस, सी. वैटर्न एकल	गोल्ड
2.	श्री सतीश कुमार भार्गव	टेबिल टेनिस, सी. वैटर्न एकल	गोल्ड
3.	श्री देवेन्द्र प्रताप जागावत	लॉन टेनिस, ओपन एकल	ब्रोंज
4.	श्री अक्षय सिंह श्री सतीश कुमार भार्गव	टेबिल टेनिस, वैटर्न डबल	ब्रोंज
5.	श्री सतीश कुमार भार्गव	टेबिल टेनिस, ओपन एकल	ब्रोंज
6.	श्री अब्दुल नईम	कैरम, सी. वेटर्न एकल	ब्रोंज

इसके अतिरिक्त निम्नांकित 4 प्रतियोगिताओं में राजस्थान के खिलाड़ियों ने चौथा स्थान प्राप्त किया।

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	खेल	स्थान
1.	श्री अक्षय सिंह श्री सतीश कुमार भार्गव	टेबिल टेनिस, ओपन डबल	चौथा
2.	श्री अक्षय सिंह श्री सतीश कुमार भार्गव	टेबिल टेनिस, सी. वेटर्न डबल	चौथा
3.	श्री रघुवेन्द्र सिंह राठौड़	तैराकी 100 मी. फ्री स्टाइल ओपन	चौथा

परिशिष्ट–1

राज्य का जिलेवार अभिलेखित वन क्षेत्र

राज्य के भिन्न–भिन्न जिलों में अभिलेखित वन क्षेत्रों की स्थिति भिन्न–भिन्न है। राज्य के सभी जिलों के वन क्षेत्र की नवीनतम स्थिति (31–03–2016 की स्थिति) का अवलोकन निम्न सारणी में दृष्टव्य है :–

राज्य में जिलेवार वन क्षेत्र

(वर्ग किमी. में)

क्र.सं.	जिले का नाम	आरक्षित वन	रक्षित वन	अवर्गीकृत वन	कुल वन भूमि
1.	अजमेर	194.99	421.69	1.76	618.44
2.	अलवर	1010.78	639.73	133.95	1784.46
3.	बांसवाड़ा	0.00	1005.26	1.74	1007.00
4.	बारां	0.00	2225.31	14.38	2239.69
5.	बाड़मेर	20.30	568.81	36.76	625.87
6.	भरतपुर	28.73	393.25	12.97	434.94
7.	भीलवाड़ा	438.40	289.62	67.42	795.43
8.	बीकानेर	0.00	748.49	501.40	1249.88
9.	बूंदी	853.05	665.03	9.02	1527.09
10.	चित्तौड़गढ़	1200.15	571.17	0.62	1771.94
11.	चूरू	7.20	42.39	24.14	73.73
12.	दौसा	134.87	149.26	0.36	284.49
13.	धौलपुर	7.92	597.73	44.03	649.68
14.	डूंगरपुर	257.08	426.43	9.37	692.88
15.	श्रीगंगानगर	0.00	238.42	395.02	633.44
16.	हनुमानगढ़	0.00	113.25	126.21	239.46
17.	जयपुर	678.38	263.17	4.94	946.49
18.	जैसलमेर	0.00	238.36	343.23	581.59
19.	जालौर	126.13	299.97	83.89	509.99
20.	झालावाड़	416.38	924.32	6.21	1346.92
21.	झुंझुनूं	6.02	399.33	0.00	405.36
22.	जोधपुर	4.68	183.78	55.66	244.12
23.	करौली	62.99	1693.13	53.93	1810.05
24.	कोटा	879.61	430.36	15.59	1325.56
25.	नागौर	0.80	206.28	35.32	242.40
26.	पाली	816.56	144.82	2.21	963.58
27.	प्रतापगढ़	907.12	1017.46	0.56	1925.14
28.	राजसमंद	277.41	119.20	4.78	401.39
29.	सवाईमाधोपुर	842.87	118.16	22.01	983.04
30.	सीकर	9.92	622.40	8.19	640.52
31.	सिरोही	614.04	984.72	39.89	1638.65
32.	टोंक	101.42	233.17	1.38	335.97
33.	उदयपुर	2454.98	1434.38	9.80	3899.16
	योग	**12352.78**	**18408.85**	**2066.74**	**32828.37**

प्रदेश का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र 342239 वर्ग किलोमीटर के सापेक्ष 9.59 प्रतिशत है।

परिशिष्ट–2

राज्य योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति

वर्ष 2015–16

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	परिवर्तित आय–व्यय अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	माह तक कुल व्यय	केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय
1.	संसाधन, सीमा निर्धारण एवं बन्दोदस्त कार्य	55.21		16.15	
2.	परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण	3685.44		3562.04	
3.	जैव विविधता संरक्षण मय पारिस्थितिकी पर्यटन	295.00		273.82	
4.	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	386.96	232.18	241.87	145.12
5.	कृषि वानिकी	355.89		316.55	
6.	बाघ परियोजना रणथम्भौर	1194.54	679.24	1098.26	395.40
7.	बाघ परियोजना सरिस्का	953.11	496.93	540.93	413.62
8.	अन्य अभयारण्यों का संधारण	896.43	337.46	738.59	249.60
9.	गोरधन ड्रेन	140.01		111.31	
10.	राष्ट्रीय मरु उद्यान का विकास	221.62	120.97	154.41	80.65
11.	चिड़ियाघरों का सुधार	102.03		102.00	
12.	संचार एवं भवन	150		145.41	
13.	सांभर नम भूमि परियोजना	0.02	0.00	0.00	
14.	भाखड़ा नहर वृक्षारोपण	159.00		158.98	
15.	गंगनहर वृक्षारोपण	314.00		313.65	
16.	कैम्पा कोष	2202.11		2341.12	
17.	पर्यावरण वानिकी	656.05		655.15	
18.	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना	21000.00		21000.00	
19.	नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वन्य जीव)	0.00		0.000	
20.	पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास	50.00		46.45	
21.	घना पक्षी विहार का विकास	94.30	38.58	72.67	25.60
22.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	45.00		44.99	
23.	साझा वन प्रबंध का सुदृढ़ीकरण	30.00		20.54	
24.	नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वनीकरण)	11911.44		10497.95	
25.	जलवायु परिवर्तन एवं मरुस्थल नियंत्रण	2593.27		2417.77	
26.	जैविक उद्यान बीकानेर	100.00		100.00	
27.	पक्षी राहत केन्द्र	255.51		255.30	

लगातार...

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	परिवर्तित आय–व्यय अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	माह तक कुल व्यय	केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय
28.	वन धन योजना	252.53		231.29	
29.	मुकुन्दरा नेशनल पार्क	129.18	82.74	87.05	54.98
30.	राज्य वन विकास अभिकरण	260.00	156.00	142.02	75.35
31.	अवैध खनन की रोकथाम	228.00		227.98	
32.	कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	40.61		39.42	
33.	कैम्पा वृक्षारोपण (IEBR)	11060.31		9847.01	
34.	ग्रीन इंडिया मिशन	0.00		44.10	
35.	रणथम्भौर बाघ सुरक्षा फाउंडेशन (IEBR)	1000.00		99.34	
36.	राजस्थान वन क्षेत्र संरक्षण समिति (IEBR)	220.00		0.00	
37.	तेरवां वित्त आयोग	0		16.79	
38.	टाईगर सफारी आमली	100		48.01	
	कुल	**61138.17**	**2144.1**	**56338.02**	**1440.32**

वार्षिक योजना 2015–16 की महत्त्वपूर्ण भौतिक प्रगति

क्र.सं.	योजना/मद	इकाई	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5
A	**वानिकी**			
i.	कृषि वानिकी (पौध तैयारी)	लाखों में	40.00	36.00
ii.	पर्यावरण वानिकी (वृक्षारोपण)	है.	300.00	150.00
iii.	भाखड़ा नहर एवं गंग नहर वृक्षारोपण	रो.कि.मी.	350.00	983.00
iv.	परिभ्राषित वनों का पुनरारोपण (वृक्षारोपण)	है.	4000.00	4000.00
v.	जलवायु परिवर्तन वृक्षारोपण	है.	3000.00	3000.00
B	**नाबार्ड**			
i.	नाबार्ड वनीकरण वृक्षारोपण	है.	28890.00	28840.00
C	**भू–संरक्षण**	है.	132 है. (अग्रिम कार्य.)	132 है. (अग्रिम कार्य.)
D	**बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना**			
i.	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना स्टेज– II वृक्षारोपण	है.	19283.00	19193.00
ii.	SFDA	है.	800.00	800.00
iii.	CAMPA	है.	9016.00	9012.00

परिशिष्ट–3

राज्य योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति

वर्ष 2016–17

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	आय–व्यय अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	व्यय (दिसम्बर 2016 तक)	केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय
1.	संसाधन, सीमा निर्धारण एवं बन्दोबस्त कार्य	72.45		2.67	
2.	परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण	2891.31		1471.99	
3.	जैव विविधता संरक्षण मय पारिस्थितिकी पर्यटन	415.21		183.44	
4.	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	400.00	240.00	17.37	10.42
5.	कृषि वानिकी	224.71		76.79	
6.	बाघ परियोजना रणथम्भौर	2005.05	808.03	0.00	0.00
7.	बाघ परियोजना सरिस्का	1526.66	707.60	90.90	54.54
8.	अन्य अभयारण्यों का संधारण	1138.79	368.99	97.93	11.42
9.	गोरधन ड्रेन	150.01		70.75	
10.	राष्ट्रीय मरु उद्यान का विकास	300.00	120.00	53.55	26.66
11.	चिड़ियाघरों का सुधार	105.03		50.25	
12.	संचार एवं भवन	393.00		28.05	
13.	सांभर नम भूमि परियोजना	20.00	12.00	0.00	0.00
14.	भाखड़ा नहर वृक्षारोपण	360.76		123.63	
15.	गंगनहर वृक्षारोपण	315.89		166.34	
16.	कैम्पा कोष	50.00		241.27	
17.	पर्यावरण वानिकी	447.62		121.52	
18.	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना	20000.00		10000.00	
19.	नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वन्य जीव)	0.02		0.00	
20.	पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास	100.00		6.88	
21.	घना पक्षी विहार का विकास	115.00	42.00	26.38	0.35
22.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	85.00		15.43	
23.	साझा वन प्रबंध का सुदृढ़ीकरण	30.00		4.19	
24.	नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वनीकरण)	4355.13		2386.70	
25.	जलवायु परिवर्तन एवं मरुस्थल नियंत्रण	2759.10		1181.64	
26.	जैविक उद्यान कायलाना	0.003		0.00	
27.	पक्षी राहत केन्द्र	171.03		91.96	

लगातार...

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	आय–व्यय अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	व्यय (दिसम्बर 2016 तक)	केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय
28.	राज्य वन विकास अभिकरण	150.00	90.00	11.46	
29.	अवैध खनन की रोकथाम	228.00		93.98	
30.	कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	27.20		24.29	
31.	कैम्पा वृक्षारोपण	9500.00		2343.11	
32.	रणथम्भौर बाघ सुरक्षा फाउंडेशन	2000.00		0.00	
33.	राजस्थान वन क्षेत्र संरक्षण समिति	555.00		0.00	
34.	जैविक उद्यान, बीकानेर	300.00		0.00	
35.	वन धन योजना	500.00		62.03	
36.	मुकुन्दरा नेशनल पार्क	410.00	215.00	43.71	7.58
37.	टाईगर सफारी आमली	300.01		0.00	
	कुल	**52401.983**	**2603.62**	**19088.21**	**110.97**

वार्षिक योजना 2016–17 की महत्त्वपूर्ण भौतिक प्रगति

क्र.सं.	योजना/मद	इकाई	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5
A	**वानिकी**			
i.	कृषि वानिकी (पौध तैयारी)	लाखों में	20	8
ii.	पर्यावरण वानिकी (वृक्षारोपण)	है.	300	150
iii.	भाखड़ा नहर एवं गंग नहर वृक्षारोपण	रो.कि.मी.	1085	1035
iv.	परिभ्राषित वनों का पुनरारोपण (वृक्षारोपण)	है.	7000	7000
v.	जलवायु परिवर्तन वृक्षारोपण	है.	4000	4060
B	**नाबार्ड**			
i.	नाबार्ड वनीकरण वृक्षारोपण	है.	12550	12550
C	**भू–संरक्षण**			
i.	भू–संरक्षण (वृक्षारोपण)	है.	132	132
D	**बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना**			
i.	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना स्टेज– II वृक्षारोपण	है.	26557	26407
ii.	कैम्पा	है.	9631	7996

परिशिष्ट–4

राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का विवरण

(वर्ग किमी. में)

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्रिटहकज टाईगर हैबिटाट में सम्मिलित अभयारण्य का क्षेत्र	बफर क्षेत्र	टाईगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल	अभयारण्य का शेष क्षेत्र	कुल संरक्षित क्षेत्र	नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक
1.	**रणथम्भौर टाईगर रिजर्व**							
	अ. रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान		282.03				282.03	एफ 11(26)रेवेन्यू/8/80/ दिनांक 01.11.80
	ब. सवाईमाधोपुर अभयारण्य	सवाईमाधोपुर	131.30				131.30	
	स. सवाईमानसिंह अभयारण्य	सवाईमाधोपुर	113.07				113.07	एफ 11 (28) रेवेन्यू/8/84/ दिनांक 30.11.84
	द. कैलादेवी अभयारण्य	करौली, सवाईमाधोपुर	401.63			275.19	676.82	एफ 11 (28) रेवेन्यू/8/83/ दिनांक 19.07.83
	य. गैर अभयारण्य क्षेत्र	करौली, सवाईमाधोपुर	185.33	297.93			483.26	
	रणथम्भौर टाईगर रिजर्व (कुल क्षेत्र)		**1113.36**	**297.93**	**1411.29**			
2.	मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व							
	अ. जवाहर सागर अभयारण्य	कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ	178.73	15.87		25.50	220.10	एफ 11 (5) 13/रेवेन्यू/8/ 73/दिनांक 09.10.75
	ब. दरा अभयारण्य	कोटा, झालावाड	225.44	10.74		3.58	239.76	एफ 39 (2) फोरेस्ट/55/ दिनांक 01.11.55
	स. राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य	कोटा, बून्दी, सवाईमाधोपुर, करौली, धोलपुर	13.00			267.00	280.00	एफ 11(12)/रेवेन्यू/8/ 78/दिनांक 07.12.79
	द. गैर अभ्यारण्य क्षेत्र	कोटा, बूंदी, झालावाड, चित्तौडगढ़		316.21			316.21	
	मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व (कुल क्षेत्र)		**417.17**	**342.82**	**759.99**			

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्रिटहकज टाईगर हैबिटाट में सम्मिलित अभयारण्य का क्षेत्र	बफर क्षेत्र	टाईगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल (कि.मी. में)	अभयारण्य का शेष क्षेत्र	कुल संरक्षित क्षेत्र	नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक
3.	सरिस्का टाईगर रिजर्व							
	अ. सरिस्का अभयारण्य	अलवर	491.99				491.99	एफ 39 (2) फोरेस्ट/55/ दिनांक 01.11.55
	ब. गैर अभयारण्य क्षेत्र		389.12	266.65			655.77	
	स. जमवारामगढ अभयारण्य	जयपुर		65.58		234.42	300.00	एफ 11 (12) रेवेन्यू/8/80/ दिनांक 31.05.82
	सरिस्का टाईगर रिजर्व (कुल क्षेत्र)		**881.11**	**332.23**	**1213.34**			

*The area of Mukandra National Park is 199.55 sq.km which is comprising with the area of Darrah Sanctuary (156.32 sq km), Jawahar sagar(37.98 sq.km) and National Chambal Sanctuary (5.25 sq.km). It is also part of Mukandra Hills Tiger Reserve so it is not mentioned seperately.

लगातार...

अन्य राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल किमी.	नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक
4.	रामसागर अभयारण्य	धौलपुर	34.40	एफ 39 (2) एफओआर/55/ दिनांक 07.11.55
5.	केसरबाग अभयारण्य	धौलपुर	14.76	एफ 39 (26) एफओआर/55/ दिनांक 07.11.55
6.	वन विहार अभयारण्य	धौलपुर	25.60	एफ 39 (2) फोरेस्ट/55/ दिनांक 01.11.55
7.	शेरगढ़ अभयारण्य	बारां	81.67	एफ 11 (35) रेवेन्यू/8/83/ दिनांक 30.07.83
8.	रामगढ़ विषधारी अभयारण्य	बूंदी	307.00	एफ 11 (1) रेवेन्यू/8/79/ दिनांक 20.05.82
9.	आबूपर्वत अभयारण्य	सिरोही	326.10	प 11 (40) वन/97/ दिनांक 15.04.08
10.	भैंसरोडगढ़ अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	201.40	एफ 11 (44) रेवेन्यू/8/81/ दिनांक 05.02.83
11.	बस्सी अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	138.69	एफ 11 (41) रेवेन्यू/8/86/ दिनांक 29.08.88
12.	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	भरतपुर	28.73	एफ 3 (5) (9)/8/72/ दिनांक 27.08.81
13.	बंध बारेठा अभयारण्य	भरतपुर	199.24	एफ 11 (1) एनवायरमेंट/ दिनांक 07.10.85
14.	टॉटगढ़ रावली अभयारण्य	राजसमंद,अजमेर, पाली	475.24	एफ 11 (56) रेवेन्यू/8/82/ दिनांक 28.09.83
15.	कुंभलगढ़ अभयारण्य	राजसमंद, उदयपुर एवं पाली	610.53	एफ 10 (26) रेवेन्यू/ए/71/ दिनांक 13.07.71
16.	जयसमंद अभयारण्य	उदयपुर	52.34	एफ 39 (2) फोरेस्ट/55/ दिनांक 01.11.55
17.	फुलवारी की नाल अभयारण्य	उदयपुर	511.41	एफ 11 (1) रेवेन्यू/8/83/ दिनांक 06.10.83
18.	सज्जनगढ़ अभयारण्य	उदयपुर	5.19	एफ 11 (64) रेवेन्यू/8/86/ दिनांक 17.02.87
19.	सीतामाता अभयारण्य	उदयपुर, चित्तौड़गढ़	422.94	एफ 11 (9) रेवेन्यू/8/78/ दिनांक 02.01.79
20.	तालछापर	चूरू	7.19	एफ 379/रेवेन्यू/8/59/ दिनांक 04.10.62

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल किमी.	नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक
21.	नाहरगढ़ अभयारण्य	जयपुर	52.40	एफ 11 (39) रेवेन्यू/8/80/ दिनांक 22.09.80
22.	राष्ट्रीय मरू उद्यान अभयारण्य	जैसलमेर, बाड़मेर	3162.00	एफ 3 (1)/73 रेवेन्यू/8/79/ दिनांक 04.08.80
23.	सरिस्का 'अ' अभयारण्य	अलवर	3.01	प.1 (24) वन/08 दिनांक 20.06.2012
		योग	**10850.15**	
	कन्जर्वेशन रिजर्व			
1.	बीसलपुर कन्जर्वेशन रिजर्व	टोंक	48.31	प.3 (19) वन/2006 दिनांक 13.10.08
2.	जोडबीड गाढवाला कन्जर्वेशन रिजर्व	बीकानेर	56.47	प.3 (22) वन/2008 दिनांक 25.11.08
3.	सुन्धामाता कन्जर्वेशन रिजर्व	जालोर, सिरोही	117.49	प.3 (22) वन/2008 दिनांक 25.11.08
4.	गुढ़ा विश्नोईयान कन्जर्वेशन रिजर्व	जोधपुर	2.31	प.3 (2) वन/2011 दिनांक 15.12.11
5.	शाकम्भरी कन्जर्वेशन रिजर्व	सीकर, झुन्झुनूं	131.00	प.3 (16) वन/2009 दिनांक 09.02.12
6.	गोगेलाव कन्जर्वेशन रिजर्व	नागौर	3.58	प.3 (17) वन/2011 दिनांक 09.03.12
7.	झुन्झुनूं कन्जर्वेशन रिजर्व	झुन्झुनूं	10.47	प.3 (47) वन/2008 दिनांक 09.03.13
8.	रोटू कन्जर्वेशन रिजर्व	नागौर	0.73	प.3 (8) वन/2011 दिनांक 29.05.12
9.	उम्मेदगंज पक्षी विहार कन्जर्वेशन रिजर्व	कोटा	2.72	एफ.3 (1) वन/2012 दिनांक 05.11.12
10.	जवाई बांध लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व	पाली	19.79	एफ.3 (4) वन/2012 दिनांक 27.02.13
11.	बांसियाल–खेतड़ी कन्जर्वेशन रिजर्व	झुन्झुनूं	70.18	एफ.3 (13)वन/2016 दिनांक 01.03.2017
		योग	**392.87**	
	राज्य के कुल संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल		**11243.02**	

परिशिष्ट–5

राज्य का जिलेवार वनावरण

भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान (फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया) द्वारा प्रकाशित भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, 2015 (स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015) के अनुसार राज्य में जिलेवार वनावरण की स्थिति निम्नानुसार है :–

नाम जिला	भौगोलिक क्षेत्रफल	वनावरण (वर्ग कि.मी.)				भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	परिवर्तन	झाड़ी वन
		अत्यन्त सघन	सामान्य सघन वन	खुले वन	कुल			
अजमेर	8,481	0	36	248	284	3.35	2	216
अलवर	8,380	59	334	810	1,203	14.36	0	265
बांसवाड़ा+	5,037	0	81	286	367	7.29	–8	85
बारां	6,992	0	149	938	1,087	15.55	3	113
बाड़मेर	28,387	0	4	186	190	0.67	12	140
भरतपुर	5,066	0	31	209	240	4.74	–3	87
भीलवाड़ा	10,455	0	34	193	227	2.17	0	129
बीकानेर	27,244	0	27	181	208	0.76	–2	37
बूंदी	5,550	0	146	307	453	8.16	0	153
चित्तौड़गढ़+	10,856	0	592	1,073	1,665	15.34	–10	159
चूरू	16,830	0	5	87	92	0.55	0	6
धौलपुर	3,033	0	82	338	420	13.85	0	55
डूंगरपुर+	3,770	0	44	212	256	6.79	0	42
गंगानगर	20,634	0	30	161	191	0.93	2	3
जयपुर	14,069	13	113	517	643	4.57	12	412
जैसलमेर	38,401	4	49	164	217	0.57	40	58
जालौर	10,640	0	11	189	200	1.88	–1	187
झालावाड़	6,219	0	83	309	392	6.30	0	91
झुंझुनूं	5,928	0	24	169	193	3.26	–2	188
जोधपुर	22,850	0	2	96	98	0.43	5	124
कोटा	5,443	0	154	459	613	11.26	0	106
नागौर	17,718	0	11	114	125	0.71	4	88
पाली	12,387	0	217	474	691	5.58	31	256
राजसमंद	3,860	0	131	294	425	11.01	0	52
सवाईमाधोपुर	10,528	0	253	1,045	1,298	12.33	0	391
सीकर	7,732	0	31	162	193	2.50	0	185
सिरोही+	5,136	0	299	613	912	17.76	–1	163
टोंक	7,194	0	33	135	168	2.34	1	57
उदयपुर+	13,419	0	1420	1,700	3,120	23.25	0	454
कुल योग	**342,239**	**76**	**4,426**	**11,669**	**16,171**	**4.73**	**85**	**4,302**

* दौसा, हनुमानगढ़, करौली व प्रतापगढ़ जिलों का वनावरण मूल जिलों क्रमशः जयपुर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़ के साथ दर्शाया गया है क्योंकि इनकी सीमाएं भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान में पृथक् से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। + राज्य के आदिवासी जिले।

स्रोत : वन स्थिति रिपोर्ट 2015

वन विभाग का

माननीय वन

अति. मुख्य

शासन सचिव, वन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स), राजस्थान, जयपुर

अति. प्रमुवसं एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राज., जयपुर
उवसं (प्रशासन)
वसं (आयोजना) वजी, जयपुर

अति प्रमुवसं परि.सूत्री. एवं कॉर्डिनेशन
प्रावैधिक सहायक
उवसं कोर्डिनेशन

अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशासन)

मुवसं संस्थापन
उवसं (संस्थापन) राज.
मुवस एवं प्रा.स., प्रमुवसं
उवसं (अराजपत्रित)

अप्रमुवस श्रम एवं विधि
प्रावैधिक सहायक
उवसं श्रम एवं विधि
उवसं लिटिगेशन
व. संयुक्त विधि परामर्शी
स. विधि परामर्शी

अप्रमुवस (मुख्यालय)
मुवस (मुख्यालय)
उवस जांच
उवसं एवं प्रा.स., प्रमुवसं
उवसं विधानसभा
उवसं आरटीआई

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य आयो. एवं वन बन्दो. राज.
उवसं (प्रशासन)

अप्रमुवसं (उत्पा.)
प्रावैधिक सहायक
मुवसं विका, जयपुर
प्रावैधिक सहायक
उवसं विकामं, बीकानेर
उवसं विकामं, उदयपुर
उवसं विकामं, सूरतगढ़
उवसं विकामं, जयपुर
उवसं स्टेज-II, बीकानेर

अप्रमुवसं का.आ. जयपुर
उवसं कार्य आयोजना

अप्रमुवसं, एनटीएफपी, जयपुर
उवसं, तेन्दू पत्ता, जयपुर
वसं, मेडि. प्ला., जयपुर
उवसं मेडि. प्ला., जयपुर

अप्रमुवसं सूचना प्रौद्योगिकी
प्रावैधिक सहायक
उवसं सू. प्रौ.

मुवसं वजी, जयपुर
प्रावैधिक सहायक
वसं, वन्य जीव, जयपुर
उवसं, वन्य जीव, जयपुर
उवसं चिड़ियाघर, जयपुर
वसं एवं क्षे.नि. सरिस्का, अलवर
उवसं एवं उ.क्षे.नि.
बाघ परियोजना सरिस्का

मुवसं वजी, जोधपुर
उवसं (प्रशासन)
उवसं वजी, जोधपुर
उवसं वजी, जैसलमेर
उवसं वजी, आबू पर्वत
उवसं वजी, बीकानेर

मुवसं वन्य जीव, कोटा
प्रावैधिक सहायक
उवसं वजी, कोटा
उवसं वजी, मुकुन्दरा ने.पा., कोटा
उवसं वजी राचअ, स.मा.

मुवसं वन्य जीव, उदयपुर
उवसं (प्रशासन)
उवसं वजी, चित्तौड़गढ़
उवसं वजी, उदयपुर
उवसं वजी, राजसमंद

मुवसं वन्य जीव, भरतपुर
प्रावैधिक सहायक
वसं एवं क्षेनि. बाघ, रणथम्भौर
उवसं एवं उक्षेनि-I आरटीपी, स.मा.
उवसं एवं उक्षेनि-II आरटीपी, करौली
उवसं वजी, भरतपुर
उवसं विलेज रिलोकेशन, स.मा.
उवसं विलेज रिलोकेशन, करौली

संभागीय मुवसं, उदयपुर
वसं, एम एण्ड ई, उदयपुर
उवसं (प्रशासन)
उवसं, उदयपुर
उवसं, उदयपुर (उत्तर)
उवसं, डूंगरपुर
उवसं, बांसवाड़ा
उवसं, राजसमंद
उवसं, चित्तौड़गढ़
उवसं, प्रतापगढ़
काआअ, उदयपुर
उवसं आयो. एवं प्रबो., उदयपुर
वबअ, उदयपुर
उवसं (विधि)
सवसं उ.द., उदयपुर

संभागीय मुवसं, जयपुर
वसं, एम एण्ड ई, जयपुर
उवसं (प्रशासन)
उवसं, जयपुर
उवसं, जयपुर (उत्तर)
उवसं, अलवर
उवसं, सीकर
उवसं, झुंझुनूं
उवसं, दौसा
काआअ, जयपुर
वबअ, जयपुर
उवसं आयो. एवं प्रबो., जयपुर
उवसं (विधि)
सवसं उ.द., जयपुर

संगठनात्मक ढांचा

परिशिष्ट–6

दिनांक 1–1–2017 की स्थिति अनुसार

मंत्री, राजस्थान

सचिव, वन

उप शासन सचिव, वन

निदेशक वा.प्र.स. जयपुर

वसं, प्रशिक्षण, जयपुर
उवसं, प्रशिक्षण, जयपुर
उवसं प्रशिक्षण, अलवर
उवसं प्रशिक्षण, जोधपुर

अप्रमुवसं (भू.सं.)
प्रावैधिक सहायक

मुवसं, एफपीआर परि., जयपुर
प्रावैधिक सहायक
भूसंअ, सोजत
भूसंअ, कृषि स.माधोपुर
वअअ एवं भूसंअ, भीलवाड़ा
उवसं, टोंक

मुवसं आरवीपी, कोटा
प्रावैधिक सहायक
उवसं, बेगूं
उवसं, बांसवाड़ा
उवसं, आबू रोड

अप्रमुवसं (एफसीए)
प्रावैधिक सहायक
उवसं (एफसीए)

अति.प्रमुवसं (एम एण्ड ई एवं प्रशि.)
प्रावैधिक सहायक

वसं सी ई, जयपुर

अप्रमुवसं (वन सुरक्षा)
प्रावैधिक सहायक
मुवसं (वन सुरक्षा)
उवसं (वन सुरक्षा)

परि. निदे. आरएफबीपी

अ. परि. निदे. विकास
अ. परि. निदे. प्रशासन
संयुक्त परि. निदेशक
उप निदे. प्रशासन
उप निदे. विकास

वित्तीय सलाहकार

लेखाधिकारी
सहा. लेखाधिकारी–3

अप्रमुवसं (ईजीएस)
उवसं ईजीएस

अप्रमुवसं, सिल्वीकल्चर, जयपुर
उवसं अनुसंधान, जयपुर
अनुसंधान अधिकारी बीज
स. उद्यान विज्ञ, जयपुर
मृदा अधिकारी, जयपुर

अति.प्रमुवसं (विकास)

जनसम्पर्क अधिकारी
प्रावैधिक सहायक

मुवसं (आयोजना), जयपुर
उवसं आयोजना, जयपुर
उवसं नाबार्ड
उवसं स.प्र.प्र.
सांख्यिकी अधिकारी

अति.प्रमुवसं (कैम्पा)
उवसं कैम्पा

संभागीय मुवसं, कोटा
वसं, एम एण्ड ई, कोटा
उवसं (प्रशासन)

उवसं, कोटा
उवसं, बारां
उवसं, बूंदी
उवसं, झालावाड़
काआअ, कोटा
वबअ, कोटा
उवसं आयो. एवं प्रबो., कोटा
उवसं (विधि)
सवसं उ.द., कोटा

संभागीय मुवसं, अजमेर
वसं, एम एण्ड ई, अजमेर
उवसं (प्रशासन)

उवसं, अजमेर
उवसं, भीलवाड़ा
उवसं, टोंक
उवसं, नागौर
काआअ, अजमेर
उवसं आयो. एवं प्रबो., अजमेर
उवसं (विधि)

संभागीय मुवसं, भरतपुर
वसं, एम एण्ड ई, भरतपुर
उवसं (प्रशासन)

उवसं, करौली
उवसं, धौलपुर
उवसं, भरतपुर
उवसं, सवाई माधोपुर
काआअ, भरतपुर
उवसं आयो. एवं प्रबो., भरतपुर
उवसं (विधि)

संभागीय मुवसं, बीकानेर
वसं, एम एण्ड ई, बीकानेर
उवसं (प्रशासन)

उवसं, बीकानेर
उवसं, स्टे–II, खण्ड–I, बीकानेर
उवसं, स्टे–II, खण्ड–II, छतरगढ़
उवसं, हनुमानगढ़
उवसं, श्रीगंगानगर
उवसं, चूरू
काआअ, बीकानेर
वबअ, बीकानेर
उवसं आयो. एवं प्रबो., बीकानेर
उवसं (विधि)
सवसं उ.द., बीकानेर

संभागीय मुवसं, जोधपुर
वसं, एम एण्ड ई, जोधपुर
उवसं (प्रशासन)

उवसं, पाली
उवसं, जालोर
उवसं, बाड़मेर
उवसं, जोधपुर
उवसं, सिरोही
उवसं, जैसलमेर
उवसं, इगानप स्टेज–II जैसलमेर
काआअ, जोधपुर
वबअ, जोधपुर
उवसं आयो. एवं प्रबो., जोधपुर
उवसं, लिटिगेशन, जोधपुर
उवसं (विधि)
सवसं उ.द., जोधपुर

नोट : **का.आ.अ.**–कार्य आयोजना अधिकारी, **व.ब.अ.**–वन बन्दोबस्त अधिकारी, **उवसं आयो एवं प्रबो**–उवसं, आयोजना एवं प्रबोधन, **सवसं उ.द.**–सवसं, उड़न दस्ता, **सं.प्र.प्र.**–संचार प्रसार एवं प्रशिक्षण, **व.जी.**–वन्य जीव।

परिशिष्ट–7

वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक बजट अनुमान एवं वर्ष 2016–17 की वास्तविक प्राप्तियाँ (दिस. 2016 तक)

(₹ लाखों में)

राजस्व मद 0406	2013–14 की वास्तविक प्राप्तियां	2014–15 की वास्तविक प्राप्तियां	2015–16 की वास्तविक प्राप्तियां	बजट अनुमान अनुमान वर्ष 2016–17	माह दिसम्बर 2016 तक कुल प्राप्तियां
101–01 इमारती लकड़ी व अन्य उत्पाद की बिक्री से आय	7.18	11.06	3.00	1.00	178.84
101–02–जलाने की लकड़ी और कोयला व्यापार योजना	2487.30	2991.48	2767.87	3300.00	1277.63
101–03–बांस में प्राप्तियां	308.51	108.46	517.10	600.00	147.76
101–04–घास तथा वन की शुद्ध उपज	94.16	100.16	146.93	105.00	172.61
101–06–**तेंदू पत्ता व्यापार योजना** 01–तेंदू पत्तों के विक्रय से प्राप्तियां	968.73	597.73	710.39	900.00	2089.51
101–06–02–अन्य विविध प्राप्तियां	12.18	11.81	8.60	8.00	14.25
800–01–अर्थ दण्ड और राजसात्करण	988.02	1197.84	1356.11	1300.00	756.94
800–02–शिकार अनुज्ञा शुल्क	–	–	–	–	–
800–03–व्ययगत निक्षेप	0.19	0.16	0.20	0.02	1.00
800–04–ऐसे वनों में प्राप्त राजस्व, जिनका प्रबंध सरकार नहीं करती	4.18	7.21	5.45	0.50	2.50
800–05–अन्य विविध प्राप्तियां	990.66	985.12	3743.54	1000.00	551.36
800–06–गैर वन भूमि के वृक्षारोपण के अधिग्रहण की क्षतिपूर्ति से प्राप्तियां	436.07	1141.16	1096.71	300.00	331.39
050–01–अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां	0.42	5.48	3.64	2.00	3.60
050–02–अनुपयोगी सामानों की नीलामी से प्राप्तियां	0.36	2.73	0.32	2.00	2.62
02–111–01–चिड़ियाघर से प्राप्तियां	281.50	313.38	640.37	700.00	398.79
02–800–01–ईको डवलपमेंट से आय	199.57	295.90	272.59	300.00	352.98
02–800–02–रणथम्भौर बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति	235.99	216.44	707.31	700.00	476.54
02–800–03–सरिस्का बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति	15.43	21.15	38.42	35.00	28.13

(₹ लाखों में)

राजस्व मद 0406	2013-14 की वास्तविक प्राप्तियां	2014-15 की वास्तविक प्राप्तियां	2015-16 की वास्तविक प्राप्तियां	बजट अनुमान अनुमान वर्ष 2016-17	माह दिसम्बर 2016 तक कुल प्राप्तियां
02-800-04-रणथम्भौर बाघ परियोजना में ईको डवलपमेंट	506.73	627.43	1046.54	800.00	557.34
02-800-05-सरिस्का बाघ परियोजना में ईको डवलपमेंट से आय	58.14	70.87	100.70	80.00	57.99
050-01-अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां	29.17	15.60	13.57	0.01	-
050-02-अनुपयोगी सामानों के निस्तारण से प्राप्तियां	2.57	2.08	1.79	0.01	0.31
महायोग	**7627.06**	**8723.25**	**13181.15**	**10133.54**	**7402.09**

नोट : वन विकास कार्यों से प्राप्त लघु वन उपज निःशुल्क स्थानीय ग्रामवासियों को उपलब्ध कराने के फलस्वरूप वर्तमान में प्राप्त होने वाली प्रत्यक्ष आय मुख्यतः तेन्दू पत्ता इकाइयों की सीमित रह गई है। प्राप्त आय का विवरण उपरोक्तानुसार है।

आर.एफ.बी.पी.-2 योजनान्तर्गत वन मण्डल जयपुर उत्तर में किया गया वृक्षारोपण पौर का तकिया

छाया सौजन्य : वाई.एस. कालवी

वन मण्डल जयपुर उत्तर में किये गये वृक्षारोपण घासीपुरा 2016 में बिजाई के उत्कृष्ण परिणाम

छाया सौजन्य : वाई.एस. कालवी

परिशिष्ट-8

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 2013-14 से 2015-16 तक की उपलब्धि एवं वर्ष 2016-17 (माह दिसम्बर, 2016 तक) जिलेवार वृक्षारोपण के लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र.सं.	जिला	वृक्षारोपण (हैक्टेयर)					रोपित पौधे एवं बीजारोपण से अंकुरित पौधे (सं. लाखों में)				
		उपलब्धि 2013-14	उपलब्धि 2014-15	उपलब्धि 2015-16	लक्ष्य 2016-17 (दि.)	उपलब्धि 2016-17 (दि.)	उपलब्धि 2013-14	उपलब्धि 2014-15	उपलब्धि 2015-16	लक्ष्य 2016-17 (दि.)	उपलब्धि 2016-17 (दि.)
1.	अजमेर	1180	1195	1392	500	700	8.150	7.680	9.05	3.25	3.89
2.	अलवर	2322	1580	1833	1350	2096	21.620	11.47	18.01	8.78	15.71
3.	बांसवाड़ा	2940	3514	1231	2500	3064	17.242	22.650	10.161	16.25	19.713
4.	बारां	2955	1724	2100	900	950	17.290	12.650	14.750	5.85	7.15
5.	बाड़मेर	1421	405	721	2800	3050	8.155	2.075	4.23	18.20	18.20
6.	भरतपुर	1287	200	700	300	353	7.210	1.35	4.68	1.95	2.20
7.	भीलवाड़ा	1210	1865	900	1300	1895	10.320	13.990	5.80	8.45	9.00
8.	बीकानेर	2886	6035	5640.99	6400	6966	17.300	34.00	30.92	41.60	41.763
9.	बूंदी	2565	1478	2381	400	491	15.650	8.8	11.30	2.60	3.17
10.	चित्तौड़गढ़	2936	2424	2200	2000	2299	17.640	19350	14.00	13.00	15.42
11.	चूरू	465	372	399	1100	1185	2.620	2.07	2.006	7.15	7.17
12.	दौसा	2000	1645	1782	200	311	13.500	10.497	11.04	1.30	2.19
13.	धौलपुर	2265	1772	2097	1300	1657	18.714	15.980	15.48	8.45	14.74
14.	डूंगरपुर	2228	2945	1413	1200	1988	17.681	23.772	11.092	7.80	14.044
15.	गंगानगर	1417	1565	1037	600	1093	8.889	11.066	7.104	3.90	7.459
16.	हनुमानगढ़	604	990	511.34	500	596	3.915	5.459	3.620	3.25	4.00
17.	जयपुर	2760	3130	2333	2703	2720	17.525	18.588	13.720	17.56	18.59
18.	जालौर	4001	1159	9556	1100	1576	23.372	7.271	56.90	7.15	19.198
19.	जैसलमेर	666	5586	1051.09	8000	8486	3.593	29.19	11.046	52.00	49.83
20.	झालावाड़	2322	1588	2189.69	700	977	15.260	12.140	11.588	4.55	8.86
21.	झुंझुनूं	853	978	977	1100	1338	4.735	5.285	6.57	7.15	11.66

क्र.सं.	जिला	वृक्षारोपण (हैक्टेयर)					रोपित पौधे एवं बीजारोपण से अंकुरित पौधे (सं. लाखों में)				
		उपलब्धि 2013-14	उपलब्धि 2014-15	उपलब्धि 2015-16	लक्ष्य 2016-17 (दि.)	उपलब्धि 2016-17 (दि.)	उपलब्धि 2013-14	उपलब्धि 2014-15	उपलब्धि 2015-16	लक्ष्य 2016-17 (दि.)	उपलब्धि 2016-17 (दि.)
22.	जोधपुर	702	889	1602	1800	2506	4.140	3.92	7.94	11.70	11.05
23.	करौली	1236	1398	1942	1600	2168	7.409	9.04	12.59	10.40	16.69
24.	कोटा	1750	2592	2164.74	2000	2454	12.699	15.924	11.826	13.00	12.559
25.	नागौर	856	1785	1273.11	400	577	5.061	13.335	8.037	2.60	3.709
26.	पाली	1728	2479	1803	3000	3807	7.820	10.340	9.39	19.50	14.12
27.	प्रतापगढ़	4865	4446	3069	2500	2100	26.108	27.053	21.08	16.25	19.83
28.	राजसमंद	929	1057	1684.54	800	927	5.190	5.720	12.37	5.20	6.06
29.	सवाईमाधोपुर	1120	1100	900	350	320	7.530	6.800	4.93	2.28	2.82
30.	सीकर	723	1591	1367	1500	1829	4.810	10.578	10.21	9.75	13.52
31.	सिरोही	1388	1255	2652	1000	926	38.313	8.745	14.389	6.50	6.579
32.	टोंक	1200	1700	2077	800	934	7.800	11.300	13.06	5.20	6.07
33.	उदयपुर	9942	7705	7236.14	4400	4103	66.017	53.790	51.184	28.60	31.083
	कुल	**67722**	**70423**	**70357.64**	**57103**	**66442**	**473.038**	**451.962**	**450.075**	**371.17**	**438.547**

कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में पर्यटकों के भ्रमण हेतु सौर ऊर्जा से संचालित वाहन ताकि शौरगुल से पक्षियों के रहवास में बाधा उत्पन्न न हो

उम्मेदगंज कन्जर्वेशन रिर्जव में पर्यटकों के लिए विश्राम स्थल एवं 'व्यू पॉईन्ट'

माननीया मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजे स्मृति वन, सीकर का लोकार्पण करते हुए

माननीया मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजे सीकर में सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धियों की प्रदर्शनी में वन विभाग के स्टाल पर उप वन संरक्षक आर. के. हुड्डा को मार्गदर्शन देते हुए

छाया सौजन्य : आर. के. हुड्डा

बाघ परियोजना सरिस्का के सघन वन के बीच स्थित ऐतिहासिक धरोहर कांकवाड़ी किला

छाया : छोटू खान

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का एक मनोरम दृश्य में आवज्रक पक्षियों की उड़ान

नाबार्ड

Financial Assistance by :

Project for Development of water Catchments Through Greening of Rajasthan Under RIDF XVIII (Phase-I)

मुख पृष्ठ : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पेंटेड स्टार्क की अठखेलियां ● छाया : गुड्डू खान

वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित व प्रसारित। ● फरवरी–मार्च, 2017 । मुद्रक : पॉपुलर प्रिन्टर्स, जयपुर, फोन : 2606883

संकलन एवं सम्पादन : डॉ. राकेश कुमार शर्मा